लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 19, 14 मार्च, 1975/23 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 19, March 14, 1975/ Phalguna 23, 1896 (Saka)

विषय	Subject		PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**Oral Answers to Questions:**		
*तारांकित प्रश्न संख्या 344, 347, 348 और 350 से 353	*Starred Questions Nos. . .	344, 347, 348 and 350 to 353	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**Written Answers to Questions:**		
तारांकित प्रश्न संख्या 345, 346, 349 और 354 से 363	Starred Questions Nos. . .	345, 346 349 and 354 to 363	14—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 3304 से 3348, 3351 से 3397, 3399, 3401 से 3484 और 3486 से 3503	Unstarred Questions Nos. . .	3304 to 3348, 3351 to 3397, 3399, 3401 to 3484 and 3486 to 3503	23—122
दिनांक 21-2-75 के अतारांकित प्रश्न संख्या 694 में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correcting Statement to USQ No. 694 dated 21-2-75		123
आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege against A.I.R.		123-24
यू० एन० आई० के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege against UNI .		124
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .		125
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . . .		125
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills		126
सभा का कार्य	Business of the House		126—135

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	PA[GES]
पांडिचेरी बजट, 1975-76	Pondicherry Budget, 1975-76	
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	135—1
बजट सामान्य, 1975-76— सामान्य चर्चा	General Budget, 1975-76 General Discussion	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . .	137—14
लेखानुदानों की मांगें, 1975-76	Demands for Grants on Account, 1975-76 .	145—15
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975	Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975—	
पुरःस्थापित करने, विचार करने और पारित करने के प्रस्ताव	Motions to introduce, consider and pass	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . .	151-15
न्यास विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और न्यास विधि (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution *Re.* Disapproval of the Trust Laws (Amendment) Ordinance, 1975 and Trust Laws—(Amendment) Bill	
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya . .	152—15
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions—	
52वां पतिवेदन-प्रस्तुत किया गया	Fifty-second Report presented	154
देश में फासिस्टवाद के फैलाव के बारे में संकल्प	Resolution *Re.* Growth o Fascism in the country	
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	154—158
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	158
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya . .	158-159
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . . .	159-160
श्री भागेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	160-161
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi . . .	161-162
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi . . .	162
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman . . .	162-163

लोक सभा वाद विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 14 मार्च, 1975/23 फाल्गुन, 1896 (शक)

Friday, March 14, 1975/Phalguna 23, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[*Mr. Speaker in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि० के शेयरहोल्डरों पर करों की बकाया राशि

*344. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जय इजीनियरिंग वर्क्स लि० या उसकी सहयोगी कम्पनियों में 1000 रु० या उससे अधिक मूल्य के शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयर होल्डर पर विभिन्न करों की कुल कितनी राशि बकाया है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके पास आयात या निर्यात अथवा अन्य किसी प्रकार का लाइसेंस है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास किस-किस प्रकार के लाइसेंस हैं ; और

(ख) उन पर किस प्रकार के कर तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है और उन बकाया करों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जय इजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एक बहुत बड़ी कम्पनी है जिसकी अभिदत्त, जारी और चुकता पूंजी, कम्पनी की 26 सितम्बर, 1974 तक तैयार की गयी रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिला कर लगभग 2.47 करोड़ रु० है और कम्पनी के शेयरधारियों की संख्या लगभग 1800 है। जय इजीनियरिंग वर्क्स

344 LS—1.

लि० से सम्बद्ध/अन्त:सम्बन्धित कुछ कम्पनियां बहुत बड़ी कम्पनियां भी हैं जिनकी शेयर पूंजी और शेयर धारियों की संख्या बहुत अधिक है। इन कम्पनियों में जिन शेयरधारियों के पास 1000 रु० अथवा इससे अधिक मूल्य के शेयर हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है तथा शेयरधारी देश भर में फैले हुये हैं। प्रत्येक शेयरधारी की तरफ बकाया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विभिन्न करों की कुल रकम और जिन शेयरधारियों के पास आयात अथवा निर्यात अथवा किसी अन्य प्रकार के लाइसेंस हैं, उनके नामों के बारे में सूचना, देश भर में फैले अधीनस्थ कार्यालयों तथा अन्य विभिन्न सरकारी सस्थानों से एकत्र करनी होगी। शेयरधारियों के बारे में मांगी गयी सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा जो प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी खास शेयरधारी या शेयरधारियों के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहें तो वह एकत्र करके सदन-पटल पर रखी जा सकती है।

Shri Satpal Kapur: Sir, my question was crystal clear whereas the answer given by the hon. Minister is quite vague.

However, I would like to know through you from the hon. Minister the umber of shareholders having shares above Rs. 50,000 and the total amount of taxes outstanding against them particularly against the Directors and Managing Directors of this Company.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस संबंध में मेरा यह कहना है कि केवल यही प्रश्न नहीं है जिसका हमें जवाब देना है। यह दसवां या ग्यारवां प्रश्न है। प्रत्येक सदस्य एक कम्पनी को चुन लेता है और पूछता है कि किन किन अंशधारियों ने चूक की है आदि। यदि हम इन बातों की जांच करने लगे तो अंशधारियों का तथा उनकी चूकों का पता लगाने के लिये हमें मंत्रालय के सारे कर्मचारी देश भर में भेजने पड़ेंगें। अत: मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यदि उनके पास कोई जानकारी हो या यदि वे इन कम्पनियों के निदेशकों के बारे में पूछें तो उसका उत्तर देना हमारे लिये ज्यादा आसान होता है, यदि आप सभी अंशधारियों के बारे में पूछें तो उसका जवाब देना संभव नहीं हो पाता, हमारे लिये ऐसी जांच करना संभव नहीं हो सकता, यदि वह किसी निदेशक के बारे में या किसी खास अंशधारी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं ता हम ऐसी जानकारी एकत्रित करके उसे दे सकते हैं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक निदेशकों, प्रबन्धक निदेशक और अध्यक्ष लाला चरत राम का संबंध है, हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31-12-74 को लाला चरत राम, श्री डी० के० घई, श्री दीपक सिंह तथा श्री एच० सी० त्रिका की तरफ करों की कोई रकम बाकी नहीं थी। अन्य निदेशकों यथा श्री प्रताप भोगीलाल, श्री एम० एल० खैतान, श्री के० एन० मुखर्जी और श्री बी० एन० पोद्दार के संबंध में सूचना एकत्रित की जायगी तथा सभा पटल पर रखी जायेगी।

Shri Satpal Kapur: Sir, I want your protection. I want to know the time by which information regarding shareholders having shares above Rs. 50,000 will be given to this House.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यदि माननीय सदस्य 50,000 रुपये से अधिक के शेयर वाले अंशधारियों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हम उसे एकत्रित करके सभा पटल पर रख देंगे।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बीमा

347. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बीमा हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है ।

विवरण

तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अधिवार्षिकी पेंशन, परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन में सुधारों की सिफारिश करने के पश्चात यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि यदि इन लाभों की और आगे अनुपूर्ति की जानी है तो यह कर्मचारियों द्वारा पूर्णत अंशादायी आधार पर की जानी चाहिये। आयोग ने एतद्नुसार बीमा योजना की सिफारिश की है जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा वाले वर्तमान कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक होगी और नई भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिये अनिवार्य होगी । 5 रु० के मासिक अंशदान पर, इसका लक्ष्य किसी सरकारी कवर्मचरी के सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5000 रु० की सुरक्षा और अधिवार्षिकी की स्थिति में उसके द्वारा अंशदान की गई वास्तविक राशि को बिना ब्याज वापस लौटाने की व्यवस्था थी । इस योजना पर सितम्बर, 1975 में सयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई थी । उन्होंने इसे इस कारण स्वीकार नहीं किया कि इस योजना में, सेवा में रहते हुये केवल मृत्यु के जोखिम की सुरक्षा थी और इसमें सेवा निवृत्त होने पर, किसी अतिरिक्त लाभ की व्यवस्था नहीं थी । वे एक ऐसी योजना चाहते थे जो सेवा में रहते हुये मृत्यु के समय और सेवा-निवृत्ति के समय समान रूप से लाभ पहुंचाए । यह कहां तक संभाव्य है इस प्रश्न जांच की जा रही है। ज्यों ही इस प्रकार के किसी आधार पर कोई संशोधित योजना तैयार हो जायगी इस मामले पर अन्तिम निर्णय करने से पहले कर्मचारी पक्ष के साथविचार किया जायगा । इस बीच सरकार ने भविष्य निधि के अंशदाताओं के लिए पिछली जनवरी में एक जमा बद्ध बीमा योजना लागू की है जिसमें सेवा में रहते हुये मृत्यु को प्राप्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में मृत सरकारी कर्मचारी के खाते में उस की मृत्यु हतेके तुरन्त पूर्व के तीन वर्षों के दौरान उसकी निधि में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए औसत शेष राशि के आधार पर सुरक्षा की व्यवस्था है:–

(i) कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष सेवा कर चुका हो ।

(ii) उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व के तीन वर्षों के दौरान निधि में मृत कर्मचारी के खाते में औसत शेष रकम निर्धारित राशियों से नीचे नहीं होनी चाहिये अर्थात श्रेणी-IV के मामले में 1000 रू० श्रेणी III के मामले में 1500 रु, श्रेणी-II के लिये 2500 रु० और श्रेणी-I कर्मचायियों के लिये 3000- रु० ।

(iii) लाभ की अधिकतम राशि 10,000 रु० तक सीमित रहेगी । निधि में इस रकम से अधिक किसी भी राशि को इस प्रयोजन के लिये छोड़ दिया जाएगा ।

श्री एच० के० एल० भगत : नई भर्ती वाले कर्मचारियों के लिये तृतीय वेतन आयोग ने जो इस अनिवार्य बीमा का सुझाव दिया था । उसे काफी समय हो चुका है और उत्तर में कहा गया है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ विचार विमर्श हुआ था और जवाब में यह भी कहा गया है कि इस योजना को कुछ फेरबदल करके लागू कर दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि नये कर्मचारियों के इस अनिवार्य बीमा के बारे में अन्तिम निर्णय सरकार कब तक ले लेगा ।

दूसरी बात यह है कि वर्तमान कर्मचारियों पर भी इसे लागू करने में सरकार की क्या कठिनाइयां हैं क्योंकि इससे तो बहुत बचत होगी ? वर्तमान कर्मचारियों के संबंध में भी कोई प्रोत्साहन

होना चाहिये । वर्तमान योजना कोई प्रोत्साहन नहीं देती क्योंकि सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी को उससे कोई लाभ नहीं होता है । केवल उसके परिवार को उसकी मृत्यु होने पर लाभ पहुंचता है क्या नये कर्मचारियों से संबधित इस योजना में सुधार नहीं कर सकता और वर्तमान कर्मचारियों के लिये एक योजना लागू नहीं कर सकता जिससे बचत को प्रोत्साहन मिले और कर्मचारी तथा सरकार दोनों के लिये सुखकर हो ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसी कोई योजना बन सकती है और मैं इस संबंध में जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करूंगा ।

Shri Panna Lal Barupal: The question of crop insurance for farmers has been raised several times on the floor of this House. I want to know about farmers...

Mr. Speaker: The question is about compulsory insurance for Government employees. How does he bring in farmers here?

मलयेशिया के साथ व्यापार

*348 **श्री राम सहाय पांडे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों में मलेशिया के साथ हमारे व्यापार में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार से विदेशी मुद्रा की वस्तुत कितनी आय हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) 1969–70 से 1973-74 की अवधि के दौरान मलेशिया के साथ भारत के व्यापार में 240 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

निम्नलिखित तालिका गत पांच वर्षों में मलयेशिया के साथ भारत के व्यापार को दर्शाता है:–

वर्ष	मलयेशिया को निर्यात	मलयेशिया से आयात	व्यापार संतुलन	व्यापार का परिणाम
1969–70 .	826	827	(–) 1	1653
1970–71	1174	576	(+) 598	1750
1971–72	1173	384	(+) 789	1557
1972–73	930	842	(+) 88	1772
1973–74 . . .	2408	3209	(–) 801	5617

श्री राम सहाय पांडे : विवरण में दिखाया गया है कि गत चार वर्षों में व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था । 1973–74 में व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में नहीं था । क्या व्यापार सतुलन को अपने पक्ष में करने के लिये प्रयास किये जायेंगे ? आज हम बहुत प्रसन्न है कि हमारी हाकी टीम ने विजय प्राप्त की है । मलयेशिया ने हार स्वीकार कर ली है । मैं आशा करता हू कि भारत व्यापार संतुलन के संबंध में भी ऐसा ही करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : : उन्होंने कोई प्रश्न तो पूछा ही नहीं है ।

श्री मोहनराज कलिंगरायर : मलयेशिया ताड़ के तेल का जो एक खाद्य तेल हैं,निर्यात करता है क्या अपने देश में उपभोग के लिये ताड़ का तेल का आयात करने का विचार है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने 1973-74 में मलयेशिया से 19.24 करोड़ रुपये के मूल्य का ताड़ तेल आयात किया ।

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know the reasons for unfavourable trade balance last year and the steps being taken to make it favourable?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : व्यापार संतुलन के गत वर्ष हमारे पक्ष में न होने का कारण खाद्य तेल ताड़ का तेल और टीन का बड़ी मात्रा में आयात था । वैसे इस वर्ष में आयात और निर्यात दोनों ही अधिकतम थे । गत वर्ष और इससे पूर्व के वर्ष में अप्रैल से जून तक निर्यात 3.36 करोड़ से बढ़कर 7.22 करोड़ हो गया तथा आयात 2.32 करोड़ से बढ़कर केवल 4.32 करोड़ हुआ ।

श्री निम्बालकर : क्या जानकारी सहित हाकी स्टिकों और गेंदों का भी मलयेशिया को निर्यात किया जाता है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : विवरण में दिखाया गया है कि मलयेशिया को निर्यात में ढाई गुना वृद्धि हुई जबकि आयात में लगभग चौगुना वृद्धि हुई है । मलयेशिया से किन नई वस्तुओं का आयात किया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ताड़ का तेल और टीन । इनका हम पहले भी आयात करते रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजार से ऋण लिया जाना

*350. **श्री बी० आर शुक्ल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार को बाजार से ऋण लेने की अनुमति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसी प्रकार की रोक किन्हीं अन्य राज्य पर भी लगाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी एजेंसियों को वार्षिक आयोजना में किये गये निर्धारण के अनुसार 1974-75 में, 38.15 करोड़ रुपये के निवल बाजार ऋण लेने की अनुमति दी गई है । राज्य सरकार ने अपने लिये 20 करोड़ रुपये के और राज्य आवास बोर्ड के लिये 6 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बाजार ऋण लेने का अनुरोध किया था । चूंकि सरकारी ऋण कार्यक्रम को चलाने के लिये उपलब्ध साधनों को देखते हुये चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त बाजार ऋण लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, इसलिये यह अनुरोध स्वीकार नहीं किये गये ।

श्री बी० आर० शुक्ल : किसी राज्य द्वारा बाजार से ऋण लेने की सीमा निर्धारित करने में रिजर्व बैंक द्वारा क्या कसौटियां अपनाई जाती है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह कार्य योजना आयोग द्वारा कुल उपलब्ध साधनों को ध्यान में रख कर किया जाता है । जहां तक 1974–75 का सबंध है उन्होंने सीमा निर्धारित की है कि साधनों का सामान्य कमी को ध्यान में रखते हुये कोई राज्य सरकार 1973–74 से अधिक ऋण नहीं ले सकेगी।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष वित्तीय में 112 करोड़ रुपये के साधान जुटा लिये हैं और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस लक्ष्य को पूरा कर लिये जाने को ध्यान में रखते हुये क्या उत्तर प्रदेश द्वारा बाजार से ऋण लेने पर रिजर्व बैंक द्वारा सीमा लगाया जाना उचित है क्योंकि जनता से ऋण के लिये यह काफी है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह सच है कि साधन जुटाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बहुत अच्छा कार्य किया है लेकिन यह पहले विद्यमान कमी को पूरा किया गया है । उत्तर प्रदेश में अर्थ व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिये थोड़े और अधिक साधन जुटाने होंगे । केन्द्रीय सहायता या बाजार से ऋण के रूप में नियतन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बनाये गये फार्मूले के आधार पर विचार किया जाता है । योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिये लाभप्रद होगा या नहीं परन्तु यदि उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखा गया है तो संभवतः उत्तर प्रदेश को अधिक नियतन किया जाय ।

Shri Sarjoo Pandey: Recently the Chief Minister of U.P. said that the State Government was finding it difficult to implement the various schemes due to paucity of funds and some of the irrigation schemes have been shelved. Keeping in view this position will Government consider relaxing this limit on market borrowings?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उनके द्वारा बाजार से ऋण लिया जाता है । जो भी बाजार ऋण उपलब्ध किया जाता है वे लेते हैं । लेकिन इसके याद भी बहुत भारी घाटा है । दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश अपना बजट सतुलित नहीं कर रहा है । और बड़ा घाटा दिखा रहा है । इसलिये हम उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह पांचवीं योजना अवधि में इन कठिनाईयों से निकल सकें ।

Shri R. R. Sharma: The Home Minister has admitted that U.P. Government was not allowed market borrowing during the current year by the Reserve Bank. May I know if it has affected in any way the schemes of U.P. Government?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसमें रिजर्व बैंक को क्यों घसीटा जा रहा है । ऋण के बारे में नियतन योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । उसके अनुसार उत्तर प्रदेश को 33.15 करोड़ का नियतन किया गया है । मैं बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का जहां तक संबंध है, साधनों की तंगी है ।.उसे योजना भिन्न और विकास भिन्न व्यय को यथा संभव कम करके स्थिति सुधारने के प्रयास करने होंगे ।

Shri Narsingh Narain Pandeya: Did the Chief Minister and Finance Minister of U.P. met the Union Finance Minister, Planning Minister and members of the Planning Commission and placed certain facts regarding resources mobilisation and market borrowings; if so, was any assurance given to them?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं, इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई ।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित फार्मूले को ध्यान में न रखते हुए रिजर्व बैंक और योजना आयोग ने अनेक राज्यों को, जिनमें महाराष्ट्र भी है, बाजार से ऋणों का कम नियतन किया ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक मैं समझता हूं किसी भी राज्य के मामले में फार्मूले से हटकर नियतन नहीं किया गया। महाराष्ट्र की तो बात ही नहीं उठती क्योंकि वह तो हमेशा सर्वाधिक लाभ उठाना चाहता है।

श्री एच० एम० पटेल : पहले किसी राज्य की ऋण क्षमता को ध्यान में रखा जाता था। क्या इस समय भी इस कसौटी में इसे ध्यान में रखा जाता है या नहीं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस आधार पर निर्धारण किया जाता है कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के विभिन उपक्रमों के लिये बाजार से कितना ऋण मिल सकने का अनुमान है। इस निर्धारण के बाद विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच नियतन किय जाता है। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अभी इसे अन्तिम रूप नहीं दिया है। रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से योजना आयोग ने फ़ार्मूला बनाया है जिस पर विचार किया जा रहा है। बाजार से ऋण के उपबन्ध कुल साधनों के बारे में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिये यह सारा मामला राष्ट्रीय विकास परिषद् के पास जायेगा।

इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं की विदेशों में मांग

†351 **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं की विदेशों में मांग बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो देश के भीतर इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने और विदेशो में उनके लिए बाजार तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) मांग बढ़ती रही है।

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिए तथा इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं के निर्यातों के लिए नये उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए भी गहन संवर्धनात्मक कार्य किया जा रहा है। निर्यात-अभिमुख इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए स्वीकृति तथा लाइसेंसिंग के संबंध में एक लोचदार नीति तथा तीव्रतर प्रक्रिया अपनायी जा रही है। सान्ताक्रूज, बम्बई में पूरी तरह से इलैक्ट्रोनिक संघटकों के लिए एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई है।

श्री पी० आर० शिनाय : इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग एक श्रम प्रधान उद्योग है और तकनीकी ज्ञान की देश मे कमी नहीं है। फ़िर भी भारत से इलैक्ट्रोनिक्स माल का प्रतिवर्ष केवल 10 करोड़ रुपये का निर्यात होता है जबकि सिंगापुर से पांच गुना अधिक, ताइवान से 20 गुना, हांगकांग से 25 गुना और जापान से 300 गुना अधिक निर्यात होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमें विदेशी मुद्रा कमाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्या सरकार देश के अन्य महत्वपूर्ण तटवर्ती नगरों यथा मंगलौर तथा अन्य स्थानों में सान्ताक्रुज की भांति तथा उसी तरह के निर्यात प्रोसेसिंग जोन्स स्थापित करने की कोई योजना है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हम सान्ताक्रुज प्रोसेसिंग जोन के काम का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन कर रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही प्रोसेसिंग जोन खोलने की मांगें आई हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री पी० ग्रार० शिनाय : इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग तो पिछड़े क्षेत्रों में भी पनप सकता है । इस लिये, क्या सरकार देश के सभी राज्यों में इलैक्ट्रोनिक्स ग्रौद्योगिक इस्टेस स्थापित करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह कार्यार्थ एक सुझाव है ।

Shri Madhu Limaye: May I know whether Iran is, today. a fairly good market for electronic goods and whether it is being utilised on a large scale?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, हां इलैक्ट्रोनिक्स माल के लिये यह बहुत ग्रच्छा बाजार है ग्रौर सरकार उसका लाभ उठाने के लिये भरसक प्रयत्नशील है ।

श्री डी० डी० देसाई : सरकार ने इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग तथा उसकी निर्यात संभावना का महत्व महसूस कर लिया है ग्रौर उसने ग्रौद्योगिक लाइसेंसों तथा पूजीगत साज समान के लिये शीघ्र मंजूरी देदी है । किन्तु प्रोत्साहन संबधी इस सब क्रिया कलाप के बावजूद, इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का निर्यात बहुत कम रहा है । क्या इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग इस को ग्रधिक निर्यात नहीं कर पा रहा है । उसका कारण यह तो नहीं है कि सरकार इस उद्योग में स्वदेशी तकनीकीसियनों की नियुक्ति पर जोर देती रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पहले तो मैं माननीय सदस्य के इस कथन का निराकरण करूंगा कि इलेक्ट्रोनिक माल का निर्यात बढ़ नहीं रहा है । वर्ष 1971–72 में इलैक्ट्रोनिक वस्तुग्रों का निर्यात 5.16 करोड़ रुपये का था जबकि वह 1972–73 में बढ़कर 9.63 करोड़ रुपये का हो गया था मैं नहीं समझता कि निर्यात प्रोसेसिंग जोन में स्वदेशी तकनीकी ज्ञान बाधा डाल रहा है क्योंकि कई कम्पनियों ऐसी हैं जिनमें विदेशी तकनीकीसियन भी हैं ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली: क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुग्रों की खुद देश में ही बहुत मांग है ग्रौर यदि हां, तो क्या वह ऐसा ग्राश्वासन देंगे कि पहले देश की ग्रावश्यकताए पूरी की जायेंगी उसके बाद ही उनका बाहर को निर्यात किया जायेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम निर्यात की ग्रावश्यकता तथा देश की मांग दोनों पर विचार करेंगे ।

श्री राजा कुलकर्णी : सान्ताक्रूज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात परियोजना की प्रगति क्या है ग्रौर वहा से निर्यात कब ग्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस निर्यात प्रोसेसिग जोन में पांच एककों ने काम चालू कर दिया है ग्रौर 1 सितम्बर, 1974 से निर्यात शुरू हो गया है ।

श्री ग्रार० गोयनका ग्रौर उसकी फर्मों के विरुद्ध ग्रार्थिक ग्रपराधों के मामले

†352 **श्री भोगन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री ग्रार० एन० गोयनका ग्रौर उसकी फ़र्मों ग्रादि के विरुद्ध न्यायालयों में ग्रार्थिक ग्रपराधों के कितने ग्रापराधिक मामलों पर जांच कार्यवाही चल रही है ग्रथवा निपटान के लिए विचाराधीन पड़े हैं तथा उनका व्यौरा क्या है ग्रौर उनको शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित जो मामले न्यायालयों में फ़ैसले के लिए ग्रनिर्णीत पड़े हैं ग्रौर जिन मामलों की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच व्यूरो

द्वारा की गई है उनके सम्बन्ध में सूचना सदन पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 9177/75] सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से संबंधित जो मामले न्यायलालों में फ़ैसले के लिये अनिर्णित पड़े हैं, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सदन पटल पर रख दी जायगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने से पूर्व, प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में कि उन को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, उस बारे में मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे संबंधित सदस्य को पूछने दीजिये ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हम उन्हें जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं । उदाहरणार्थ चीफ़ प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में एक मामला है और उन्होंने 22 मार्च की तारीख लगा दी है हम इसे अपनी इच्छानुकुल शीघ्र नहीं निपटा सकते, जहां तक जांच कार्यवाहियों का संबंध है, उनको शीघ्र निपटाया जा रहा है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इतने लम्बे विवरण में केवल टालमटोल की बातें हैं । इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि देश में एकाधिकार सर्किलों में अत्यधिक भ्रष्टाचार, छल-कपट, तथा ठगी, दुराचार, झूठे लेखा-जोखे आदि का बोलबाला है ।

माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न के एक भाग का जिसका मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अभी उल्लेख किया है कि उनको शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, उत्तर टाल गये हैं । मैं जानना चाहूंगा कि धोखाधड़ी के ऐसे मामलों का पता कब लगा था और कब सिद्ध किया गया था और अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है । हालांकि यह फर्म अप्रैल, 1971 के बाद बनाई गई थी किन्तु ऐसा जताया गया कि वह 1-10-70 से बनी थी । ऐसी अन्य शिकायतें हैं जहां करोड़ों रुपये के झूठे लेखे-जोखे, झूठे विवरण आदि पेश किये गये हैं । एक मामला 2 करोड़ रुपये का है, दूसरा 1.15 करोड़ रुपये का है और एक और मामले में लाखों रुपये का हेर फ़ेर है ।

जब ऐसी चीजें चल रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि श्री आर० एन० गोयनका का जो इस सभा के सदस्य हैं, इन फ़र्मों के साथ लेन देन तथा व्यवहार था और सरकार पर दबाव के कारण बड़े मामलों में जांच कार्यवाही कई वर्षों से अभी तक पूरी नहीं हुई है । सी० बी० आई० ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है । क्या सरकार पर पड़े इस दबाव के कारण ही ये जांच पूरी नहीं हो पाई है । मैं उन मामलों की बात नहीं कर रहा हूं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं क्या यह भगवान दास गोयनका वही व्यक्ति है जो "एक्सप्रेस" अखबार का, जो अभी हाल ही में निकाला गया है, मालिक है और क्या इस अखबार के कारण भी सरकार नरमी बरत रही है क्योंकि वह राजनैतिक तर्क है ।

अध्यक्ष महोदय : आप खुद भी अपने तर्क नहीं दे सकते हैं । आप सीधे और स्पष्ट प्रश्न कीजिये

श्री भोगेन्द्र झा : क्या यह भगवान दास गोयनका "एवरीमैन्स" अखबार का मालिक/सम्पादक है और उस राजनैतिक पृष्ठभूमि में, जैसा कि सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय आधार पर बातचीत करने के सख्त खिलाफ है (व्यवधान) क्या उसके कारण ही सरकार यह कमजोरी महसूस कर रही है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चूंकि ये मामले जालसाजी के हैं जो बहुत गंभीर दाण्डिक अपराध हैं क्या उन्हें जेल में बन्द नहीं किया जा सकता । इन लोगों को, जो पेशेवर अपराधी हैं जेल में क्यों नहीं ठूसा जाता है ? क्या राजनैतिक दबाब के कारण ही ये लोग आजाद घूम रहे हैं ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक सी० बी० आई० द्वारा जांच करने का संबंध है मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि कोई राजनैतिक दबाव नहीं है लेकिन जैसा कि सी० बी० आई को विभिन्न स्थानों में विभिन्न दस्तावेजों की जांच करनी पड़ती है क्योंकि इन मामलों में कई कम्पनियां तथा बहुत से लोक अन्तग्रस्त हैं, उसमें कुछ समय लग रहा है । इस लम्बे विवरण में जो मैंने सभा पटल पर रखा है मैंने न्यायालय में विचाराधीन मामलों के बारे में तथा विभिन्न स्तरों पर जांच के प्रक्रमों का पूरा ब्यौरा दिया है, इसलिये, मैं किसी राजनैतिक दबाव की बात को इंकार करता हूं जिसको कारण बताकर यह कहा जा रहा है कि सी० बी० आई० इन मामलों में देर कर रही है ।

जहां तक अन्य प्रश्नों का संबंध है, मैं नहीं समझता कि उनका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा पहला प्रश्न तो यह था कि क्या वह लोक सभा के सदस्य हैं और दूसरा यह कि क्या वह "एवरीमैन्स" के मालिक हैं ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : अखबार के बारे में मुझे मालूम करना पड़ेगा ।

श्री भोगेन्द्र झा : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इण्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर, बम्बई एक्सप्रैस न्यूजपेपर (पी०) लिमिटेड, मद्रास, दि इण्डियन एक्सप्रैस मदुराई और आंध्र प्रभा लिमिटेड, विजयवाड़ा के सिलसिले में धोखाधड़ी तथा जालसाजी में उनका हाथ है । इन सभी कम्पनयों से मिलकर भारत में एक सबसे बड़ी कड़ी बनी है जिसका नियंत्रण केवल एक एकाधिकार गृह द्वारा किया जाता है, मैं जानना चाहूंगा कि यदि ये सभी चीजें प्रथम दृष्य, सिद्ध हो जाती है तो क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों को अपने हाथ में लेने का और जब तक इन मामलों का अन्तिम निपटारा नहीं हो जाता तब तक के लिये उन्हे समाचारपत्रों के कर्मचारियों तथा अतिरिक्त मुलाजिमों द्वारा चलाये जाने के लिये सौंपने का विचार है और क्या यह गोयंका पंजाब नेशनल बैंक का मालिक था । इसमें उल्लेख किया गया है कि वह वहां से रुपये निकलाता रहता है क्योंकि वहां के कर्मचारी इससे पहले वही मालिक था, ऐसी स्थिति में क्या पंजाब नेशनल बेंक को अब कोई ऐसा निदेश जारी किया गया है कि इन मामलों का अन्तिम निपटारा होने तक इन फर्मों, कम्पनियों तथा व्यक्तियों को कोई ऋण न दिया जाये ।

इसलिये क्या अब पंजाब नेशनल बैंक को कोई निदेश जारी किया जा रहा है कि इन मामलों के अन्तिम रूप से निपटाये जाने तक वह इन फर्मों, कम्पनियों और व्यक्तियों को कोई ऋण न दें ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध है, प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर ऋण दिया जा रहा है और यदि बैंक देखता है कि धन के वापस मिलने की संभावना नहीं तो स्वाभाविक है कि वे इन लोगों को ऋण नहीं देंगे । जहां तक इन कम्पनियों का प्रबंध अपने हाथ में लेने का संबंध है, इस स्थिति में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : सभा के गत सत्र में जब विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में यह मामला उठाया गया था, तो श्री गोयनका ने कहा था कि संसद् सदस्य के रूप में उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं लाया गया था । लेकिन आज विवरण से मैं देखता हूं कि उनके संसद सदस्य रहते हुए उनके

विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। निर्धारण 1971–72 के निर्धारण वर्ष से सम्बद्ध लेखा वर्ष में उन्होंने एक्सप्रैस ट्रेडर्स के नाम से एक बोगस फर्म बनाई थी ; यद्यपि यह फर्म अप्रैल, 1971 के बाद बनाई गई थी, लेकिन दिखाया यह गया कि जैसे फर्म पहले बनाई जा चुकी थी। श्री आर० एन० गोयनका और श्री जी० एम० साहू के विरुद्ध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन एक अन्य आरोप है क्योंकि उन्होंने 1971–72 के लिये इस कथित फर्म की आय विवरणी पर हस्ताक्षर किए थे। इससे स्पष्ट है कि श्री गोयनका ने संसद सदस्य होते हुए यह अपराध किया। मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं।

क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कल दिल्ली के एक प्रमुख समाचार-पत्र में यह खबर छपी थी कि भवतोजदत्त समिति की सिफारिशों से स्पष्ट हो गया है कि कुछ समाचार-पत्र समूह, जिन में श्री गोंयका का इंडियन एक्सप्रैस समूह का नाम दिया गया है, अपनी विधि, अन्य व्यवसाय के लिये प्रयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मत्रालय ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ? वित्त मंत्रालय और सरकार आर्थिक तथा अन्य अपराधी के मामले में प्रायः लोगों को गिरफ्तार करती है और पुलिस की हिरासत में रखती है। लेकिन श्री गोंयका को गिरफ्तार नहीं किया गया है और कभी भी पुलिस की हिरासत में नहीं रखा गया। जब भी कोई रिपोर्ट होती है वे न्यायालय को जांच सामग्री भेजने में बिलम्ब करने के लिए वित्त मंत्रालय और कम्पनी कार्य मंत्रालय पर दबाव डालते हैं। मंत्री महोदय ने श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न के उत्तर में कहा कि मामला स्थगित किया जा चुका है। इसलिये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि न्यायालय को जांच सामग्री की आवश्यकता है जिसे वित्त मंत्रालय नहीं दे रहा है।

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : जहां तक अन्तिम भाग का प्रश्न है मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या विचार करने वाले न्यायालय ने वित्त मत्रालय से कोई जानकारी चाही थी और क्या वित्त मंत्रालय वह सामग्री नहीं दे सका। दबाव डालने के बारे में मैं कह चुका हूं कि हम किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आ सकते। केन्द्रीय जांच ब्यूरा मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है। राजस्व के मामले की स्थिति के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दे चुका हूं। समाचारपत्रों की निधियों के कुछ सम्बद्ध उद्योगों में प्रयोग के बारे में विवरण मैंने उल्लेख किया है कि इस समूह के विरुद्ध यह भी एक आरोप है।

Shri Narsingh Narain Pandey: The investigations by C.B.I. against Mr. R. N. Goenka, Chairman, Board of Director. National Company Ltd., Calcutta relate to transactions involving Rs. 2 crores, misutilisation and diversion of funds from 1966 to 1969, as mentioned at page 3 of the statement given by the hon. Minister. May I know the action taken by C.B.I. and the present stage of the case filed by the Ministry of Company Affairs and the reasons for delay?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं कह चुका हूं कि मैसर्स नेशनल कम्पनी कलकत्ता के विरुद्ध 10–12–65 को एक आपराधिक मुकदमा दायर किया जा चुका है। यह न्यायालय के विचाराधीन है। हमें इससे शीघ्र निपटाये जाने के लिये प्रयत्नशील हैं। मैं इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी इस समय नहीं दे सकता हूं।

श्री समर गुह : जिन कम्पनियों के विरुद्ध जांच की जा रही है और जिन के विरुद्ध आयकर अपवचंन तथा अन्य दोनों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्या उनसे श्री भरत हरी, हरी सिंघानिया और श्री गूजरमल मोदी का कोई संबंध है ?

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी : मैंने कल ही श्री पीलू मोदी के प्रश्न के उत्तर में श्री भरत हरी सिंघानिया के सबध में विदेशी मुद्रा के एक मामले का उल्लेख किया था। मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो कोई जांच कर रहा है। इसके लिये पृथक नोटिस दें।

श्री समर गुह : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय द्वारा उल्लिखित कम्पनियों के साथ श्री भरत हरी सिंघानिया और श्री गूजरमल मोदी का कोई संबंध है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): इन दो व्यक्तियों का इन कम्पनियों का कोई सबध नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अलग–अलग न्यायालयों में अलग-अलग मुकदमें चल रहे हैं। इन अलग-अलग मुकदमों में जांच करने वाले विभिन्न प्राधिकारियों के बीच क्या तालमेल है और क्या महाअधिवक्ता को उचित रूप में समझा दिया गया है ताकि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय धन को बहुत बड़ी राशि का धोखा किया है, दंड से बच न पायें ?

श्री पवन कुमार मुकर्जी : दो आयकर के और कलकत्ता में भारतीय दण्ड संहिता के अधीन एक मुकदमा है कुछ अन्य मामलों में भी जांच चल रही है प्रत्येक आवश्यक कानून की सलाह ली जा रही है। मुझे मालूम नहीं है कि महा अधिवक्ता से परामर्श किया गया या नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विवरण में नेशनल जूट कम्पनी का उल्लेख है, जो न केवल भारत की बल्कि सभवत: विश्व की सबसे बड़ी पटसन मिल है। न्यायलयों में अनेक मुकदमें चल रहे हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पिछले 10–12 वर्षों से चल रही है और अनेक वर्षों पहले श्री गोंयनका द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के शेयरों को खरीदने के प्रयास का मामला इस सभा में उठाया गया था। मैं श्री गोंयका को गिरफ्तार करने के लिये नहीं कह रहा हू बल्कि मैं तो यह जानना चाहता हू कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने इस कम्पनी पर नियंत्रण से गोयनका समूह हटाने, बोर्ड को बदलने, सरकारी प्रतिनिधियों या वित्तीय संस्थानों को प्रतिनिधियों की उसमें रखने के लिये कोई कार्यवाही की है ? ताकि उस पर कारगर रूप में पर्यविक्षण किया जा सके।

श्री प्रणव कुमार मुकर्जी: जहां तक इस प्रश्न विशेष का संबंध है, इसके बारे में कम्पनी कार्य मंत्रालय जांच कर रहा है। मैं उनका सुझाव कम्पनी विधि कार्य विभाग को भेज दूंगा।

Shri R. R. Sharma: The hon. Minister has stated that the cases being enquired into relate to the period 68 to 69. There is an impression in the country today that any person or financial giant may escape any action for his misdeeds as long as he remains with the ruling party and no sooner does he leave the Congress he becomes liable to all sorts of actions. In this context may I know whether Government is taking action in all cases of economic offences irrespective of the persons involved whether he may be Dalmia or Tata or Birla or Singhania or Modi?

श्री प्रणब कुमार मुकर्जी : राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विरूद्ध अपराध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, वह चाहे कोई भी हो, दंड दिया जायेगा। यह सच नहीं है कि सभी मामले वर्षों पुराने हैं। केवल एक मामला दिसम्बर, 1965 का है और दूसरा 18–11–1974 को दायर किया गया था तथा तीसरा सितम्बर, 1974 में।

Meeting held between India and E.E.C.

*353. **Shri Janeshwar Misra**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the time by which the decisions taken at the first meeting held between India and the European Economic Community will be implemented; and

(b) their impact on the foreign and internal trade of India?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) :एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

27 तथा 28 मई, 1974 को ब्रसेल्स में हुई भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग की पहली बैठक में वस्तु (सैक्टोरल) करारों और सहयोग उपायों के सम्बंध में कार्यवाही करने के लिये दो विशेषीकृत उप-आयोगों की स्थापना की गई ।

दोनों उप-आयोगों ने उन्हें दिये गये प्रादेशों के अनुसार उन्हें सौंपे गये मामलों पर विचार किया और भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग के दूसरे सत्र को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी ।

पहले सत्र ने समुदाय को उसकी अधिमान संबंधी सामान्य.कृत योजना (जी० ए० पी०) विषयक विवरणिका तैयार करने, 1975 में अधिमान सम्बंधी सामान्यकृत योजना पर भारत में सेमिनारों का आयोजन करने और काजू के छिलके के द्रव, चमड़ा कमाने के निस्सारण और 4.5 किग्रा० से अधिक वजन वाले ईस्ट इंडिया किप्स के सम्बंध में टैरिफ को पूर्णत: समाप्त करने की भी सिफारिश की ।

फरवरी, 1975 के दौरान नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में जी०एस०पी० पर सेमिनार किये जा चुके हैं और समुदाय ने सेमिनारों के दौरान समुदाय की जी० एस० पी० विषयक एक विवरणिका भी परिचालित की । समुदाय ने 4.5 किग्रा० से अधिक किन्तु 8 किग्रा० से अनधिक वजन के ईस्ट इडिया किप्स और कत्थे व हरड़ फलों से निकाले गये चमड़ा कमाने के निस्सारणों पर टेरिफ को पूर्णत: हटा दिया है । जहां तक काजू के छिलके के द्रव का संबंध है, उसे नि:शुल्क टैरिफ शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया ।

संयुक्त आयोग में हुई चर्चाओं और उनके अनुसरण में किये गये उपायों का भारत के आन्तरिक व्यापार से कोई सम्बंध नहीं है । जहां तक भारत के विदेश व्यापार का सम्बंध है यह नहीं जाना जा सकता कि सयुक्त आयोग की चर्चाओं के फलस्वरूप किये जाने वाले उपायों का कितना प्रभाव पड़ेगा ।

Shri Janeshwar Mishra: The hon. Minister has stated:

"The discussions in the Joint Commission and measures taken in pursuance thereof have no relevance to the internal trade of India. In so far as external trade of India is concerned, the impact of measures taken as a result of the deliberations of the Joint Commission cannot be quantified."

If Government does not answer this question. what is the purpose of this agreement? Has any target been fixed for the export of cashew shell liquid and East India kips to European countries after declaration of this item as duty free in accordance with thies agreement?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने कहा है कि इस आयोग ने मुख्यत: दो क्षेत्रों–पटसन और नारियल जटा आदि के वस्तु करारों और तकनीको और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया था । इन वस्तु करारों के अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में पटसन और नारियल जटा जैसी कुछ वस्तुओं पर से शुल्क हटा दिया गया है और वे शुल्क मुक्त रहेंगी इस दृष्टि से इस विदेश व्यापार करार का आन्तरिक व्यापार पर प्रभाव पड़ा है परन्तु इसका आन्तरिक व्यापार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है ।

Shri Janeshwar Mishra: Did the question of nationalisation of foreign tea and coffee plantation in India was discussed; if not, the reasons therefor?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम अपने चाय या अन्य बागान उद्योग का राष्ट्रीयकरण करें यह हमारा पूर्णतः आन्तरिक मामला है । इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई ।

Shri Shashi Bhushan: Since E.E.C. is not going to benefit us in any way, is there any proposal to establish an Asian Economic Community?

प्रो० डी० पी० चपाध्द्दोयाय : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं क्योंकि आंकड़ों से यह सिद्ध नहीं होता कि यूरोपीय आर्थिक समूदाय के साथ समझौते से कोई लाभ नहीं है । इन देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ा है । एशिया आर्थिक समुदाय का विचार अच्छा है । हमने 31वें एशियाई सम्मेलन में इस पर विचार विमर्श किया था और इस दिशा में हम अग्रेतर कार्यवाही कर रहे हैं ।

प्रश्नों क लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रुपये के मूल्य में गिरावट

*345 **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** :

मोलाना इसहाक सम्भली : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक महीने में विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में 22 प्रतिशत से अधिक गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) रुपये की विदेशी मुद्राओं के साथ विनिमय दर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) रुपया स्टर्लिंग दर 18.80 रुपये=1 पौंड निश्चित की गई है और अन्य मुद्राओं की दर, रुपया पौंड स्टर्लिंग की स्थायी दर और अन्य मुद्राओं व पौंड स्टर्लिंग की विनिमय दर की क्रास दरों के आधार पर निकाली जाती है ।

नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन तथा सूती कपड़े का निर्यात

*346 **श्री रघुनाथनन्दन लाल भाटिया** :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित किस्म के कपड़े के उत्पादन और सूती कपड़े के निर्यात के संयुक्त दायित्व वाली वर्तमान योजना सतोषजनक नहीं है ;

(ख) क्या इडियन काटन मिल्स फेडरेशन ने हाल ही में इन दो दायित्वों को अलग-अलग करने की कोई मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) योजना वस्त्र निर्यातों के संबंध में लाभप्रद रही है तथा नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन भी बनाये रखा गया है।

(ख) नियंत्रित कपड़ा योजना को निर्यातों से अलग करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) योजना 30 जून, 1975 तक चालू रहेगी। यद्यपि, सरकार यदि आवश्यक हुआ तो परिवर्तन करने के लिये योजना का पुर्नविलोकन कर रही है।

कम्पनियों द्वारा सावधि जमा (फिक्सड डिपोजिट्स) आमंत्रित किया जाना

*349 **डा० कर्णीसिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कम्पनियों ने गत छह महीनों के दौरान सावधि जमा आमंत्रित की हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) बैंकों की जमा राशियों की वृद्धि पर इस प्रवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) और (ख) गैर-बैंकिंग कम्पनियों की जमा स्वीकार करने विषयक गतिविधियों को विनियमित करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कि जमायें आमन्त्रित करने/स्वीकार करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करने अथवा जमाओं के वास्ते निवेदित विज्ञापन जारी करने से पहले उनकी प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक को सुलभ कराने के लिये इन कम्पनियों को बाध्य करता हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले छः महीनों के दौरान सार्वजनिक जमायें आमंत्रित करने वाली गैर-बैंकिंग कम्पनियों की संख्या और इस आमंत्रण के कारणों के बारे में सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास सुलभ नहीं हैं।

सार्वजनिक जमायें आमंत्रित करने/स्वीकार करने के लिये समाचार पत्र में विज्ञापन देने की अनिवार्यता के साथ-साथ इन विज्ञापनों में जमा के रूप में प्राप्त होने वाले धन के प्रस्तावित उपयोग के विषय में लेखा प्रस्तुत करना कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 642 के साथ पठित नवीन धारा 58 क के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, प्रवर्तित नियमों के अन्तर्गत लाजिमी करार दे दिया गया है। ये नियम केवल गैर-बैंकिग गैर-वित्तीय कम्पनियों से ही सबधित हैं और अन्य कम्पनियां आगे भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन जारी किये गये निदेशों द्वारा ही अधिशासित होती रहेंगी। चूंकि कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रवर्तित निदेश हाल में ही प्रवृत्त हुये हैं, अतएव, पिछले छः महीनों के दौरान सार्वजनिक जमायें आमन्त्रित करने वाली गैर-बैंकिग गैर-वित्तीय कम्पनियों की संख्या तथा इस आमंत्रण के कारण के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

बचतों के निवेश के वास्ते वैकल्पिक क्षेत्र और उन पर लाभ की दर, उन विभिन्न तत्वों में से एक हैं जो बैंक की जमाओं में वृद्धि को प्रभावित करते हैं। हालांकि इस बारे में कोई यथातथ्य अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तथापि, बैंकों द्वारा ये शिकायतें की गयी हैं कि गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा अपने लिये मांगी गई जमाओं पर ऊची दरों पर ब्याज देने से बैंकों की जमाओं में वृद्धि पर प्रभाव

पड़ता है। जमायें स्वीकार करने पर बैंकों पर लगाये गये कर भार के समान ही गर बैंकिंग कम्पनियों पर भी कर-भार लगाने के बारे में कार्यवाई की जा रही है।

वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों का बम्बई में स्थित होना

*354 **श्री समर गुह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी बड़ी वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय अभी भी बम्बई में ही बने हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1974 के दौरान उद्योग, व्यापार कारोबार और अन्य परियोजनाओं सहित विभिन्न सहायता प्राप्तकर्ताओं को दिये गये ऋण तथा अन्य वित्तीय लाभों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है या उक्त अवधि के दौरान इन वित्तीय संस्थाओं को अन्य रूप में कितनी वित्तीय सहायता मिली ;

(ङ) क्या इन वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों का एक ही स्थान पर स्थित होने और देश के अन्य भागों से दूर होने के कारण देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को वित्तीय लाभों का असमान वितरण हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो इन समस्याओं से निपटने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थानों अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (दी इंण्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (दी इण्डिस्ट्रयल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (दी इण्डिस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया), भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम (दी इण्डस्ट्रियल रिकस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया), जीवन बीमा निगम (दी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन) और भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया) में से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय नयी दिल्ली में है, भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम का मुख्यालय कलकत्ता में है और शेष चार संस्थानों के मुख्यालय बम्बई में हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मुख्यालयों की बम्बई में अवस्थापना का निश्चय, तत्संबंधी उन संसदीय संविधियों के प्रावधान के अनुरूप किया गया है, जिनके अधीन इन संस्थानों की स्थापना की गयी है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के, जो कि निजी क्षेत्र का एक वित्तीय संस्थान है और जिसका गठन "लिमिटेड कम्पनी" के रूप में किया गया है, मुख्यालय की अवस्थापना उक्त निगम के संगमन ज्ञापन (मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन) के अनुरूप है।

इन संस्थानों को विभिन्न राज्यों के बीच अपने निवेश के संतुलित और सामयिक संवितरण विषयक सरकारी नीति का बोध है। पिछड़े हुए अंचलों एवं क्षेत्रों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सावधिक ऋण प्रदायी संस्थानों द्वारा सुनिर्दिष्ट कुछ रियायतें दी गयी हैं। वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गयी सकल सहायता में पिछड़े हुए राज्यों और प्रदेशों के भाग को बढ़ाने की दृष्टि से इन इलाकों की विभिन्न उन्नतिशील गतिविधियां जैसे, औद्योगिक समताओं के वास्ते व्यापक स्तरीय सर्वेक्षण और तकनीकी परामर्श सेवायें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा, अन्य सम्बद्ध संस्थानों के परामर्श से,

अपने हाथ में ली जा चुकी हैं अथवा ली जा रही हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में अवस्थित बहुसंख्यक संस्थानों तक पहुंच पाने और उन्हें प्रत्यक्ष सहायता सुलभ कराने के उद्देश्य से ये संस्थान यथावश्यक रूप से बराबर जोनल/रीजनल/शाखा-कार्यालय खोलते रहे हैं। ऐसी अवस्था में यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मात्र इस वजह से कि छः अखिल भारतीय संस्थानों में से चार संस्थानों के कार्यालय बम्बई में हैं, इन संस्थानों द्वारा विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने में कोई विषमता उत्पन्न हुई है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1974 के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संस्वीकृत वित्तीय सहायता विषयक सूचना का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है। जीवन बीमा निगम, भारतीय ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के विषय में इस प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासुलभ सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) इन संस्थानों अर्थात् भारतीय विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के संसाधनों के मुख्य स्रोत उनकी निजी शेयर-पूंजी, प्रारक्षित निधियां, इन संस्थाओं द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये गये पिछले ऋणों की वापिसी वार्षिक मार्केट बाण्डों का निर्गम भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण और सरकार के बजट से यथासुलभ सहाय्य हैं। इन संस्थानों को किसी परियोजना के वास्ते किसी भी स्रोत से अंशदान प्राप्त नहीं होता है।

जहां तक जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का संबंध है, ये अपनी निजी शेयर-पूंजी और प्रारक्षित निधियों के अतिरिक्त क्रमशः जीवन बीमा पालिसियों पर जनता द्वारा अदा की गयी प्रीमियम और जनता को बेची गयी यूनिटों के रूप में भी अपने संसाधन जुटाते हैं। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य वर्ष 1974 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा एकत्र प्रीमियमों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बेची गयी यूनिटों के राज्यवार ब्यौरे जानना चाहते हैं। यह सूचना एकत्र की जा रही है और यथासुलभ सूचना सभापटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	1974 (जनवरी–दिसम्बर) के दौरान संस्वीकृत वित्तीय सहायता		
	आई० डी० बी० आई०	आई० एफ० सी० आई०	यू० टी० आई०
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1050.33	211.00	72.50
2. असम	624.66	63.00	10.00
3. बिहार .	468.70	104.00	14.79
4. गुजरात . . .	3098.09	28.14	58.55
5. हिमाचल प्रदेश . . .	112.34	..	0.50

1	2	3	4
6. हरियाणा . . .	715.56	337.43	14.00
7. जम्मू और कश्मीर .	106.65	..	..
8. कर्नाटक . . .	2341.91	163.00	67.25
9. केरल	979.64	183.64	10.00
10. मध्य प्रदेश	972.77	160.00	0.73
11. महाराष्ट्र	6501.25	640.88	166.92
12. मणिपुर	1.24		
13. मेघालय	13.50		
14. उड़ीसा	298.88	110.32	
15. पंजाब	1045.35		
16. राजस्थान . . .	1083.07	150.00	
17. तमिलनाडु . . .	3114.61	313.36	122.19
18. उत्तर प्रदेश	1885.18	424.37	15.00
19. पश्चिम बंगाल . . .	1316.67	43.96	62.03
20. संघ शासितक्षेत्र . . .	1314.57	81.44	200.70
	27044.97	3014.54	815.16

टिप्पणी :—वित्तीय सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं :—(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) के संबंध में प्रत्यक्ष ऋण (जिसमें निर्यातों, हामीदारी और शेयरों में प्रत्यक्ष अंशदान के ऋण शामिल हैं), औद्योगिक ऋण और निर्यात ऋण तथा तथा पुनर्भुगतानों री-डिस्काउंट्स) के लिये पुनर्वित्त। (2) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संबंध में हामीदारी/प्रत्यक्ष अंशदान और गारंटियां। और (3) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के संबंध में हामीदारी/उपहामीदारी तथा नये निर्गमों/प्रत्यक्ष निर्गमों को प्रत्यक्ष अंशदान।

सीमाशुल्क विभाग के पास पड़ा 'यार्न'

*355 **श्री वसन्त साठे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय दैनिक के 16 फरवरी, 1975 के अंक में "यार्न वर्थ रुपीज 90 करोड़ लाइंग विद कस्टम्ज" (सीमाशुल्क विभाग के पास 90 करोड़ रुपये के मूल्य का यार्न का जमा होना) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त विभिन्न विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग). लेकिन सही स्थिति यह है कि पालिएस्टर फिलामेंट धागे की 1259 पेटियां, जिनका लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य 5 लाख रु० है, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई में इस आधार पर रोक ली गयी थीं कि उनमें लाइसेंसों के अवैध व्यापार और माल के न्यूनमूल्यांकन किए जाने का संदेह था। माल की ये सभी खेपें न्यायनिर्णयाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, संश्लिष्ट धागों की 802 पेटियां जिनका बाजार मूल्य लगभग 60 लाख रु० है, और 6 पेटियां तथा 3738 गत्ते के बक्से जिनका लागत बीमा भाड़ा सहित घोषित मूल्य लगभग 11.40 लाख रुपया है, रोक लिए गये हैं। इन मामलों में की गई जांच पड़ताल के परिणामतः बहुत बड़ी मात्रा में संश्लिष्ट धागा पकड़ा गया है जिसका बाजार मूल्य लगभग 70 लाख रु० है और जिनके बारे में पिछले दिनों तस्कर-आयात किये जाने का संदेह है। इस संबंध में अब तक 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। आगे जांच पड़ताल जारी है।

संश्लिष्ट धागों के अलावा पालिएस्टर चिप्स, जिनका वजन लगभग 267 मीट्रिक टन है और जिनका लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य लगभग 30 लाख रु० है पिछले लगभग छः महीनों से बम्बई में उठाने के लिये पड़ी हैं जिनकी यह जांच होनी है कि उनका आयात लाइसेंस की शर्तों के अनुसार किया गया है अथवा नहीं। इन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को अब अनुदेश जारी किये जा चुके हैं।

Decline in Production of Jute

***356. Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the jute production has declined to 48 lakh bales from 68 lakh bales during the year 1974-75;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the farmers are giving up jute growing due to fall in jute prices; and

(d) whether Government by allowing the jute prices to go down, do not want to give preference to jute cultivation?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) According to the current estimates, the production of jute including mesta in India during 1974-75 season is around 50 lakh bales against 76.37 lakh bales in the 1973-74 season.

(b) The short crop this year can be attributed to unfavourable weather conditions at the time of sowing and after it, damages caused by floods to standing jute crop as also to a diversion of land under jute cultivation to other crops.

(c) Comparative profitability of other competing crops may have induced some farmers to grow other more paying crops instead of jute, in some areas.

(d) No, Sir. On the other hand. Government have been fixing a statutory minimum price for jute every season on the basis of the recommendations of the agriculture Prices Commission which takes into account all factors including reasonable return to the grower. Government have also established the Jute Corporation of India for the purpose of conducting commercial and price support operations as well as for ultimate elimination of middlemen from the raw jute rade so that the growers are benefited. Jute Corporation of India's infra-structure is being gradually strengthened.

Export Transaction

***357. Shri Ishwar Chaudhry:**
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in an English daily dated the 22nd December, 1974 that according to a study made by Indian Institute of Foreign Trade, for every export transaction 80 documents are required to be signed by 15 Government Departments which increases the cost of export trade, causes delay therein, gives lot of inconvenience to foreign customers, results in loss and brings bad name to Indian trade;

(b) the facts in this regard and the steps taken to streamline and simplify the export procedure;

(c) the estimated amount of yearly loss suffered by Indian trade due to this procedure of export; and

(d) the procedure available in general in other countries in the matter of export trade?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The news item pertains to a study undertaken by the Indian Institute of Foreign Trade during 1969-70. The number of documents identified in that study were those which an exporter had to furnish in the course of his dealings with Goverment Departments, banks. Export Promotion Councils, Inspection agencies, foreign buyers and others. In pursuance of a recommendation in that study, a simplified procedure for processing of import replenishment applications was introduced in June, 1972. In 1974-75 a further major simplification was introduced in procedures by giving the facility of 'repeat operation' of import replenishment licences issued in the previous year to manufacturer—exporters and eligible export houses against their own exports. Simplification of procedures is a continuous process; and several steps are under way to bring about further streamlining of procedures in the next year's import and export policies commencing from 1st April, 1975.

(c) It is not possible to indicate an estimate of the amount of loss, if any, suffered in an export transaction due to various procedural formalities.

(d) Every country has its own procedures according to its requirements.

Demand for Mica in Foreign Markets

***358. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that mica worth rupees one crore is lying unsold due to the decrease in its demand abroad;

(b) if so, the reasons for the decrease in the demand of mica in foreign markets; and

(c) the action taken by Government to save mica industry from this crisis or recession?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) There has been some accumulation of stocks of processed mica with the Mica Trading Corporation.

(b) Competition from Brazilian mica, increased availability of supplies of mica from U. S. Stockpile and competition from synthetic products.

(c) Mica Trading Corporation has recently finalised contracts for export of substantial quantities of different grades of mica to important buyers, which will enable the Corporation to clear their accumulated stocks.

बैंकों द्वारा प्रतिमान लागू करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

*359. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री बैंकों द्वारा दिए गये ऋण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित अध्ययन दलों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बारे में 15 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने प्रतिमान लागू करने में अपने अनुभव के बारे में उद्योग अनुसार अपनी टिप्पणियां देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को फरवरी 1975 के अंत तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने संबधी अनुवर्ती कार्यवाही के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अध्ययन दल अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रश्न में पूछी गयी रिपोर्ट बैंकों से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि अध्ययन दल की अन्तिम रिपोर्ट जून 1975 के अन्त के लगभग प्राप्त हो जाने की आशा है।

बैंक की ब्याज दर का जीवन बीमा निगम के कार्य पर प्रभाव

*360. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से पता लगा है कि बैंकों की आकर्षक ब्याज-दर का भारतीय जीवन बीमा निगम के नये व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में, वर्ष-वार जीवन बीमा निगम के व्यापार पर बैंक की ब्याज दर का क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ग) जीवन बीमा निगम की पालिसियों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार को ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

(ख) कतिपय, प्रतिकूल बातों का, जिनमें बैंक-जमा जैसे अन्य प्रतियोगी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अधिक आय भी शामिल है, जीवन बीमा निगम के नये कारोबार की प्रगति पर निःसन्देह असर पड़ा है जसी कि आशा थी। तथापि, इन बातों की ठीक-ठीक प्रभावसीमा बताना सभव नहीं है।

(ग) जीवन बीमा निगम के लाभों में सुधार लाने और उसके द्वारा उनकी पालिसियों को अधिक आकर्षक बनाने के प्रश्न पर सरकार तथा जीवन बीमा निगम का ध्यान लगा हुआ है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम ने अपने प्रशासनिक व्यय कम करने और साथ ही ब्याज से होने वाली अपनी आय को अधिकाधिक बढ़ाने के उपाय किये हैं।

दीर्घावधिक बचतों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, वित्त विधेयक 1975 में एक उपबंध किया गया है ताकि आयकर, प्रयोजनों के लिए कर-योग्य आय की संगणना में ऐसी बचतों के संबंध में कटौती की मात्रा में वृद्धि की जा सके।

इंडियन एयरलाइन्स में रोजगार सम्बन्धी घोटाले की जांच के निष्कर्ष

*361. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली में गत वर्ष जिस रोजगार सम्बन्धी घोटाले का पता लगा था उसकी जांच का कार्य इस बीच सरकार ने पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) से (ग). मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास जांच होने तक अभी अनिर्णीत पड़ा है।

डेवलपमेंट आफीसरों द्वारा आन्दोलन किये जाने के परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम को घाटा

*362. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम को उसके डेवलपमेंट आफीसरों द्वारा देशव्यापी आन्दोलन किये जाने के कारण 400 करोड़ रुपए की हानि हुई थी ;

(ख) क्या स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जैसी कि आशा थी, जीवन बीमा निगम के नये कारोबार की वृद्धि पर कतिपय प्रतिकूल बातों का निःसन्देह प्रभाव पड़ा है। इन बातों में निवेश के अन्य प्रतियोगी श्रोतों से अधिक आय का प्राप्त होना और निगम के विकास अधिकारियों द्वारा आन्दोलन भी शामिल है। फिर भी, जीवन बीमा निगम ने चालू वर्ष के पहले 11 महीनों में 1869 करोड़ रु० का नया कारोबार पूरा किया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1508 करोड़ रु० का कारोबार हुआ था।

(ख) और (ग). जीवन बीमा निगम, भविष्य में बीमा कराने वाले व्यक्तियों को अपने परिवार को बीमा सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में समझाने का क्षेत्रीय स्तर पर तथा प्रचार द्वारा अधिकाधिक प्रयास कर रहा है।

प्रमुख हवाई अड्डों से सम्बन्धित शहरों में बस सेवा

*363. **श्री मधु दंडवते :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी प्रमुख हवाई अड्डों से संबंधित शहर में बस सेवा को आरम्भ करने की वचनबद्ध योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी, नहीं। सभी महत्वपूर्ण विमान क्षेत्रों पर विमानक्षेत्र तथा नगर के बीच परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था है। परन्तु तिरुचिरापल्ली में इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि विमानक्षेत्र सिटि टर्मिनल के बहुत नजदीक ही है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण के उपाय

3304. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण के लिये कुछ कार्यक्रमों का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। इस विषय पर नवम्बर, 1974 में उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया था।

(ख) उक्त ज्ञापन में सरकार से विवेकहीन व्यापारियों और निर्माताओं द्वारा किये जाने वाले उपभोक्ताओं के शोषण से उनकी रक्षा करने के प्रयोजन से एक कारगर तंत्र की स्थापना करने व उपयुक्त नियम बनाने; अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के कार्य क्षेत्र को और अधिक वस्तुओं को शामिल किये जाने के लिए विस्तार करने; कीमतें तय करने के लिए निर्माताओं, सरकार और

उपभोक्ताओं, निर्दलीय समितियों की स्थापना करने और खरीद तथा खुदरा बिक्री को उपभोक्ता व माल सप्लाई करने वाले के बीच एक करार मानने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि उपभोक्ता एक बार खरीदे गये माल को निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर वापस कर सके और उसके बदले नकद रकम प्राप्त कर सकें।

परिषद ने उपभोक्ताओं से सहकारी उपभोक्ता भंडारों आदि के माध्यम से अपने आप को संगठित करने और विवेकहीन व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों को रोकने के लिए भी अपील की है।

सरकार समय-समय पर प्राप्त होने वाले सुझावों पर समुचित रूप से ध्यान देती है। नागरिक पूर्ति विभाग इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में धनराशि की कमी

3305. **श्री भागीरथ भंवर : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पेश आने वाली कार्यकारी निधियों की कमी के बारे में केन्द्र के वित्त उद्योग तथा नागरिक पूर्ति तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में परस्पर समन्वय नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सरकारी उद्यमों द्वारा यदि कहीं धन की कमी महसूस की गयी है तो उसका कारण सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव नहीं है। सरकारी उद्यमों को अपनी कार्यचालन पूंजी, मुख्यत: नकद ऋण और इस प्रकार के अन्य अग्रिमों के रूप में वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त करनी होती है। कतिपय मामलों में जब सरकारी उद्यम बैंकों से कार्यचालन पूंजी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो सरकार उन्हें अल्पावधिक ऋण दे देती है। कार्यचालन पूंजी की कमी का प्रश्न तभी उठ सकता है जब उनकी आवश्यकतायें बैंकों और सरकार द्वारा पूरी न की गयी हों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यचालन पूंजी के संबंध में ऋण प्रतिबन्ध लागू कर दिये जाने के बाद कुछ उद्यमों को अपनी कार्यचालन पूंजी के लिये बैंकों से पर्याप्त मात्रा में और समय पर धन प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हुई है। इन समस्याओं पर वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति विचार कर रही है। यह समिति उन वास्तविक कठिनाइयों का हल तलाश करेगी जो सरकारी उद्यमों को बैंकों से अपनी ऋण संबंधी आवश्यकता पूरी कराने में अनुभव की जा रही है।

मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड

3306. **श्री लालजी भाई : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड एक बड़ी राशि अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले "अनुषंगी लाभों" के रूप में दिखा रही है ताकि कर भुगतान से बचा जा सके ;

(ख) क्या सरकार ने उनके बही खातों से यह पता लगाने के लिए कार्यवाही की है कि "अनुषंगी लाभों" के रूप में कितना खर्च दिखाया गया है ; और

(ग) उस के अनुसार कर्मचारियों पर हुए व्यय की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) मैसर्स कोरस (इंडिया) लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को कुछ वेतनेतर लाभ तथा भत्ते दिये हैं जिसमें किराया-मुक्त आवास, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा-व्यय, वयक्तिक दुर्घटना बीमा और उपदान शामिल हैं। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये वेतनेतर लाभ और भत्ते आयकर की अदायगी को बचाने की दृष्टि से दिये गये हैं।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क (5) के उपबन्धों के अन्तर्गत, किसी नियोजक के कर-निर्धारण में, अगर कर्मचारी को प्रति वर्ष 7500 रु० से अधिक वेतन मिलता है, तो उसके वेतन के 1/5 अथवा 1000 रु० प्रति माह, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक वेतनेतर लाभों पर किये गये खर्च और मंजूर किये गये भत्तों पर छूट नहीं मिलती। मैसर्स कोरस (इंडिया) लिमिटेड के मामले में, धारा 40क (5) के अर्थ के भीतर अस्वीकार्य इस प्रकार के खर्चे की रकम की मात्रा निश्चित करने के लिये कर्मचारियों को मंजूर किये गये वेतनेतर लाभों और भत्तों पर किये गये खर्चों के व्योरों की जांच-पड़ताल की गई है।

(ग) पूरे किये गये अन्तिम कर-निर्धारण में, 7500 रु० प्रति वर्ष से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में वेतनेतर लाभों और भत्तों पर किये गये खर्च का प्रतिशत उनको अदा किये गये वेतन की तुलना में 12 प्रतिशत से कम है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में पूंजी निवेश में वृद्धि

3307. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशकर्त्ताओं को और राहत देने संबंधी अध्यादेश के जारी करने के बाद यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के पूंजी निवेश बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान पूंजी निवेश में प्रति मास कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) क्या पूंजी निवेश के विस्तार की गति में कोई सुधार नहीं हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). जी हां, 7 जनवरी, 1975 को न्यास कानून (संशोधन) अध्यादेश [ट्रस्ट लाज (एमेंडमेंट) आर्डीनेंस] जारी किये जाने के बाद, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों में लगायी जाने वाली पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो निम्नलिखित मासिक आंकड़ों से स्पष्ट है :–

सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, 1974	21 लाख रुपये प्रति मास
दिसम्बर, 1974	14 लाख रुपये
जनवरी 1975	52 लाख रुपये
फरवरी 1975	69 लाख रुपये

यूनिट ट्रस्ट ग्राफ इंडिया द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद में भी काफी कमी हुई है। यह पुनः खरीद जो सितम्बर से दिसम्बर, 1974 तक के चार महीनों में ग्रौसतन 300 लाख रुपये की थी, कम होकर जनवरी, 1975 में 170 लाख रुपये ग्रौर फरवरी, 1975 में 100 लाख रुपये की रह गयी।

इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड को एक निर्यात गृह के रूप में मान्यता देना

3308. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड को, निर्यात व्यापार के लिये सहायता ग्रनुदानों के ग्रावश्यक विशेषाधिकारों सहित, इंजीनियरिंग सामान, रासायनिक ग्रौर सहायक उत्पादों के लिये निर्यात गृह के रूप में मान्यता दी गई है ;

(ख) क्या इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड का निर्यात व्यापार उसके ग्रपने उत्पादों पर ग्राधारित है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) मैसर्स इंडियन ग्राक्सीजन लि०, कलकत्ता को इंजीनियरी तथा रासायनिक उत्पाद समूह के संबंध में एक निर्यात सदन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

मैसर्स इंडियन ग्राक्सीजन लि० सहित सभी निर्यात सदन ग्रपनी विपणन क्षमता सुधारने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए "निर्यात सदनों" के संबंध में सरकार के संकल्प के ग्रनुसार कतिपय सुविधाग्रों तथा सहायता के पात्र हैं।

(ख) तथा (ग). कम्पनी के निर्यातों में उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद तथा उन ग्रन्य विनिर्माताग्रों के उत्पाद शामिल हैं, जिनके साथ उनके व्यावसायिक प्रबन्ध हैं।

Unsold Stock of Cloth with Textile Mills

3309. **Shri Martand Singh:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have taken certain measures to take over the unsold stock of cloth of the textile mills in various States and to sell it through the distribution system for controlled cloth; and

(b) if so, the main features in this regard. State-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ग्ररण्डी के तेल के निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा करार

3310. **श्री एम एस० पुरती :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्ररण्डी के तेल के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम तथा पश्चिम यूरोपीय देशों के बीच कोई करार हुग्रा है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां। राज्य व्यापार निगम ने चालू वर्ष में पश्चिम यूरोपीय देशों को 8050 मे० टन अरण्डी के तेल का निर्यात करने के लिए संविदाएं की हैं।

पर्यटकों को आकर्षित करने की योजनायें

3311. **श्री धामनकर** :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में, अलग अलग तथा राज्य-वार, पर्यटन के विकास, पर्यटकों को सुविधाएं देने तथा पर्यटन के प्रचार तथा उसके संवर्धन के लिए कितना व्यय किया गया है ; और

(ख) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है जिससे शीघ्र आय हो तथा देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन स्कीमों को राज्यवार आधार पर नहीं लिया जाता है। पर्यटन सुविधाओं का विकास निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर किया जाता है :—

(i) किसी स्थान का पर्यटकों के लिए आकर्षण का अपेक्षाकृत महत्व जिसका निर्धारण देश के अन्दर यात्रा की वर्तमान पद्धति के आधार पर किया जाता है

(ii) पर्यटकों के लिए किसी स्थान का उसके ऐतिहासिक तथा/अथवा पुरातात्विक महत्व या प्राकृतिक सौन्दर्य-सुषमा के कारण वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण

(iii) उसकी अभिगम्यता

(iv) उस स्थान पर पर्यटन के मूलभूत उपादानों की उपलब्धता। 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान विभिन्न पर्यटन स्कीमों पर तथा विदेशों में प्रचार एवं प्रोत्साहन पर केन्द्रीय क्षेत्र में 2468.03 लाख रुपए खर्च किये गये। उपर्युक्त व्यय का बड़ा भाग इन पर खर्च किया गया—निजी क्षेत्र में होटलों को ऋण, सरकारी क्षेत्र में आवास, निर्माण, गुलमर्ग तथा कोवालम में पर्यटक बिहार स्थलों का विकास तथा विदेशों में प्रचार एवं प्रोत्साहन।

निजी क्षेत्र के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां। पांचवीं पचवर्षीय योजना में इसके विकास पर बल दिया जाएगा। (i) पर्यटन के आधारभूत उपादान (आवास तथा परिवहन सुविधाएं), (ii) समुद्रतटाय तथा पर्वतीय बिहार-स्थल जैसे कोवालम, गोआ तथा गुलमर्ग, और (iii) पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व के चुने हुए केन्द्रों का विकास।

लद्दाख में पर्यटन का संवर्धन

3312. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार लद्दाख में पर्यटन के सवर्धन हेतु बड़ी मात्रा में आर्थिक राजसहायता देने का है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लद्दाख में पर्यटन का विकास करने के लिये कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान लद्दाख में पर्यटन से कितनी आय अर्जित की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). पर्यटन की अभिवृद्धि के लिये राज्य सरकारों को उपदान देने की कोई स्कीम नहीं है । अतः पर्यटन स्कीमें या तो केन्द्रीय क्षेत्र में प्रारम्भ की जाती हैं या राज्यीय क्षेत्र में । तथापि, कुछ समय पूर्व तक लद्दाख में पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्धों के कारण वहां पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास का प्रश्न ही नहीं था । प्राथमिकताओं के आधार पर तथा संसाधन उपलब्ध होने पर इस प्रकार की स्कीमें, जोकि उस क्षेत्र में पर्यटन अभिवृद्धि के लिए व्यवहार्य हों, प्रारम्भ की जायेंगी ।

पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता

3313. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निश्चित ऊंचाई से नीचे के पहाड़ों से घिरे क्षेत्रों परन्तु ऐसी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई के भौगोलिक दृष्टि से अधिक दुर्लभ क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के बारे में नियमों और विनियमों को उदार बनाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को पर्वतक्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ते का लाभ दिया जाएगा ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). तीसरे वेतन आयोग का यह दृष्टिकोण था कि पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति के लिए पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई को ही मानदण्ड माना जाना चाहिए । और एतदनुसार उसने 1000 मीटर अथवा उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्रों में भत्ते की स्वीकृति की सिफारिश की । यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और तदनुसार आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

Export of Bananas by Maharashtra Government

3314. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the countries to which bananas were exported by Maharashtra during the last three years and the quantity of Bananas exported to each of these countries; and

(b) the foreign exchange earned by that State?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) and (b). Statewise export statistics are not compiled and as such information in respect of bananas exported from Maharashtra State separately is not available.

दम दम कलकत्ता के निकट एयरपोर्ट होटल में काम आरम्भ होना

3315. **श्री टूना उरांव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दम/दम, कलकत्ता के निकट एयरपोर्ट होटल में शीघ्र ही काम आरंभ हो जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या होटल के ग्राउन्ड फ्लोर में दुकानें आवंटित की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस में पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). एयरपोर्ट होटल, दम दम, के मार्च, 1975 में आंशिक रूप से चालू हो जाने की संभावना है ।

(ग) और (घ). उपलब्ध छः दुकानों में से अब तक दो दुकानों का आवंटन किया जा चुका है । एक दुकान हस्तशिल्प, हाथी दांत के काम, आभूषण व कलाकृतियों (क्यूरियोज़) की, तथा दूसरी हथकरघे व रेशम के सामान की बिक्री के लिये है ।

कलकत्ता में बैंक लाकरों से पकड़ी गयी नकदी तथा जवाहरात

3316. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन के लाकरों को कलकत्ता में फरवरी, 1975 के तीसरे सप्ताह के दौरान तलाशी ली गयी थी ;

(ख) उस के परिणामस्वरूप पाये गये जवाहरात, स्वर्ण तथा हीरों का मूल्य कितना है; और

(ग) सरकार का विचार इस से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). आयकर प्राधिकारियों द्वारा फरवरी 1975 के तीसरे सप्ताह के दौरान कलकत्ता में जिन व्यक्तियों के लाकरों की तलाशी ली गयी उनके नाम ये हैं :—

श्री बुलाकी दास बागड़ी ;

श्री लक्ष्मीकांत टीबड़ोवाल ;

श्रीमती उर्मिला चौधरी ;

श्री एम० पी० जालान ;

श्री एम० एन० जालान;

श्री एम० जालान ।

इन लाकरों से जवाहरात और गहने पकड़े गये थे जिन का अनुमानित मूल्य 6.7 लाख रु० है ।

जिस तलाशी में बहु मूल्य परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती हैं उस में तलाशी के बाद पहला काम यह होता है कि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (5) के अधीन, अघोषित आय को सरसरी तौर पर निश्चित करने और जब्त की गई परिसम्पत्तियों से ऐसी परिसम्पत्तियों को रोक रखने के लिए आदेश जारी किये जाते हैं जिन से उक्त आय कर पर कर-दायित्व की और प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन विद्यमान किसी कर-दायित्व की पूर्ति हो सके ।

सीमा-शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा फरवरी, 1975 के तीसरे सप्ताह में ली गयी तलाशियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

आयकर अधिकारयों द्वारा छापे

3317. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य में आयकर अधिकारियों द्वारा कितने छापे मारे गये ; और

(ख) इन के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). आंकड़े आय कर आयुक्त अधिकार क्षेत्रवार रखे जाते हैं, राज्यवार नहीं । जनवरी, 1975 को समाप्त छः महीने की अवधि में अधिकार क्षेत्रवार ली गई तलाशियों की संख्या और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—9178/75]** । बहुत से मामलों में, मूल्यवान परिसम्पत्तियों के अलावा, खाता-बहियां और दस्तावेज भी पकड़े गए हैं ।

जांच पड़ताल चल रही है ।

सहकारी कताई मिलें

3318. श्री रोबिन काकोटी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) देश में सहकारी कताई मिलों की कुल संख्या कितनी है तथा राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार उनकी कताई क्षमता कितनी है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र में कताई मिलों की कुल संख्या कितनी है तथा राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार उनकी कताई क्षमता कितनी है ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में राज्यवार तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार कुल कितनी सहकारी कताई मिलों तथा कताई मिलों को स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तकुओं का कोई राज्यवार अथवा क्षेत्रवार आवंटन नहीं है ।

Trade Relations with Under-developed/Undeveloped Countries

3319. Shri Dhan Shah Pradhan: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of under-developed or undeveloped countries with which new trade relations have been established during the last one or two months; and

(b) the salient features of the efforts made in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) and (b). India has signed a new trade agreemet with Pakistan on 23rd January, 1975. Copies of the agreement have already been placed in the Parliament Library.

युनाइटिड बैंक आफ इंडिया की मोरहाबादी शाखा द्वारा मैसर्स प्रगति इंजीनियरिंग को मंजूर किए गए ऋण की राशि

3320. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युनाइटिड बैंक आफ इंडिया की मोरहाबादी (जिला रांची) शाखा द्वारा मैसर्स प्रगति इंजीनियरिंग (स्वामी विमलेन्दु सिन्हा) को कितना ऋण मंजूर किया गया ;

(ख) वास्तव में कुल कितना ऋण दिया गया और 28 फरवरी, 1975 को फर्म पर ब्याज सहित कुल कितनी राशि बकाया था ;

(ग) क्या उन ठेकों, जिन के लिए ऋण दिये गये थे, सम्बन्धी बिलों का बैंक को बंधना किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऋण वसूली के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) मांगी गयी सूचना का संबंध राष्ट्रीयकृत बैंकों के एक घटक (कन्स्टिटयूएन्ट) के कार्य से है इस लिए इसे, बैंकरों में प्रचलित व्यवहार और प्रथा के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार भी प्रकट नहीं किया जा सकता है ।

किसानों के लिये अनिवार्य जमा योजना

3321. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस बीच अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत किसानों को लाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह किस तारीख से लागू होगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र का आधार अलग होता है। कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए कई राज्यों ने पहले ही अनेक उपाय किये हैं। इन में से कुछ राज्य सूखे और बाढ़ से भी प्रभावित हुए हैं । इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कृषि क्षेत्र से अनिवार्य जमा राशियां प्राप्त करने के प्रस्ताव पर फिलहाल और आगे कार्यवाई नहीं की जा रही है ।

भारतीय पटसन निगम द्वारा त्रिपुरा में खरीद

3322. **श्री दशरथ देव :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम ने इस वर्ष त्रिपुरा में पटसन, रुई और तिलहन (टिसी) के लिये क्या मूल्य देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या भारतीय पटसन निगम की कोई एजसी अथवा एजेंसियां त्रिपुरा में पटसन, रुई और तलहन (टिशी) खरीद रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन एजेंसियों ने प्रत्येक वस्तु की कुल कितनी मात्रा खरीदी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : भारतीय पटसन निगम प्रचलित बाजार कीमतों पर तब तक त्रिपुरा में कच्चा पटसन खरीदता रहा जब तक ये कीमतें सरकार द्वारा नियत की गई सांविधिक न्यूनतम कीमतों से कम नहीं हुई। जब कभी बाजार कीमतों के सांविधिक न्यून्नतम कीमतों के नीचे जाने की प्रवृत्तियां प्रकट हुई, भारतीय पटसन निगम ने कीमत समर्थन कार्य शुरू कर दिया । भारतीय पटसन निगम रुई या टिशी तिलहन का कारोबार नहीं करता ।

(ख) भारतीय पटसन निगम अपने ही विभागीय खरीद केन्द्र तथा सहकारी समितियों के , जो कच्चे माल पटसन की खरीद के लिये इसके एजेंट के रूप में कार्य करती हैं, माध्यम से कार्य करता है ।

(ग) फरवरी , 1975 के अन्त तक भारतीय पटसन निगम ने त्रिपुरा स्थित अपने ही विभागीय खरीद केन्द्र के माध्यम से कच्चे पटसन की 11047 गांठें और सहकारी समितियों के माध्यम से कच्चे पटसन की 4489 गांठें खरीदी ।

Customs Officials injured while apprehending smugglers

3323. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether some customs officials had to struggle hard with the smugglers while apprehending them during the period from 1st December. 1974 to 31st January, 1975;

(b) whether several officials received injuries also; and

(c) if so. the total number of such incidents, the names of the places where they took place, the action taken in this regard and whether any such incident took place in Bombay also?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a), (b) and (c) During the period from 1st December 1974 to 31st January 1975, there were two cases of assaults on customs officials. In the first incident of assault at Mahadeo Khar village in Colaba District by a mob of villagers armed with sticks and stones, on 7th January, 1975, three Customs officers sustained physical injuries. In this connection a complaint was filed with the local police who have arrested 24 persons and have registered a case of dacoity.

In the second incident, the Superintendent Customs City Preventive Party at Baroda, while investgating a case, received minor injuries on 25th January, 1975 due to assault. A police complaint was lodged for breach of sections 353, 332, 323 and 144 of I.P.C. against three persons. They were arrested by the police and released on a bail of Rs. 500 each. Further investigation is in progress.

No such incident took place in Bombay during the above mentioned period.

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का आयात

3324. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उनका आयात करने के उपरान्त बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं के आयात पर होने वाले अनावश्यक व्यय को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जबलपुर हवाई अड्डा

3325. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर हवाई अड्डा मार्च, 1975 तक बोइंग विमान के उतरने योग्य बन जायेगा ; और

(ख) जबलपुर को वायुमार्ग से कब तक जोड़ दिया जायेगा ताकि पर्यटक-गण वहां संगमरमर की चट्टानें तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देख सकें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जबलपुर विमानक्षेत्र का बोइंग 737 परिचालनों के लिये विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, एच० एस—748 विमान परिचालनों के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयोजन से वर्तमान धावनपथ को मजबूत किया जा रहा है ।

(ख) विमान बेड़े की अत्यधिक तंग स्थिति तथा विमानन ईंधन की अत्यधिक कीमत के कारण इण्डियन एयरलाइंस निकट भविष्य में जबलपुर को विमान सेवा से जोड़ने की स्थिति में नहीं है ।

Action being taken against the employees of Comptroller and Auditor General of India

3326. **Shri Madhavrao Scindia:**
Shri R. V. Bade:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether several Members of Parliament belonging to Congress and Opposition Parties had through a letter sent to him in December last, drawn his attention to the vindictive action being taken against the employees of the Office of the Comptroller and Auditor General of India; and

(b) the remedial action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) A letter dated 17th December, 1974 signed by a number of Members of Parliament belonging to various parties has been received, in which attention has been invited to the action that is being reportedly taken against the employees of the Audit Department consequent on the May, 1974 strike and certain suggestions for action have been made.

(b) Government is looking into the matter.

रूस से रुई का आयात

3327. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री रूस से रूई आयात करने के बारे में 15 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 796 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से रूई का आयात करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) तथा रूस के साथ इस आशय का कोई समझौता हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): जी नहीं । तथापि, 1975 की भारत-सोवियत व्यापार योजना में रूई के आयात करने के लिये व्यवस्था की गई है ।

(ग) तथा (घ) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

आन्ध्र के एक संसद सदस्य और राज्य सरकार के भूतपूर्व मुख्य सचिव का भूमि और सम्पत्ति के सौदों में अन्तर्ग्रस्त होना

3328. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 दिसम्बर, 1974 के 'स्टेटसमैन' में आन्ध्र के एक संसद सदस्य और राज्य सरकार के भूतपूर्व मुख्य सचिव तथा उन के निकट सम्बन्धियों के भूमि और वास्तविक सम्पत्ति के सौदों में अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में प्रकाशित समाचार को देखा है ;

(ख) क्या इस सज्जन और इस के निकट सम्बन्धियों के मामले में विभिन्न कर प्राधिकारियों द्वारा कोई जांच की गई है ;

(ग) इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) इन जांच रिपोर्टों के आधार पर उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) तथा (घ). आय-कर अधिकारियों द्वारा जांच जारी है । जांच के पूरा होने पर कानून के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जायगी ।

भूटान के साथ व्यापार

3329. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में भूटान के महाराजा की हाल की यात्रा को देखते हुए भूटान के साथ व्यापार में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : भारत सरकार का सदा यह प्रयत्न रहा है कि व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ किये जायें ।

व्यक्तियों / संगठनों को तस्करों से प्राप्त दान

3330. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन संगठनों तथा व्यक्तियों की एक सूची तैयार की है जिन्होंने तस्करों से नकदी तथा वस्तुओं के रूप में दान प्राप्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ग) सरकार के पास ऐसे संगठनों और व्यक्तियों के बारे में कोई विशिष्टि सूचना नहीं है जिन को तस्कर-व्यापारियों से दान प्राप्त हुआ हो ।

आस्ट्रेलिया सरकार के साथ अनिर्णित मामले

3331. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आस्ट्रेलिया के साथ सम्पन्न समझौते के उपरान्त भी उस देश के साथ व्यापार से सम्बन्धित कुछ समस्याएं अनिर्णित पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनिर्णित मामलों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) हाल ही में सम्पन्न समझौते की शर्तें क्या हैं तथा उस देश के साथ इन समस्याओं को हल करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आस्ट्रेलिया के साथ अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं । ऐसे एक करार के लिये बातचीत चल रही है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बैंकों द्वारा इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को ओवर ड्राफ्ट लेने की सुविधायें देना

3332. **श्री शशि भूषण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब नेशनल बैंक, चार्टर्ड बैंक और नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड द्वारा इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को सार्थसंघ आधार पर 300 लाख रुपये से अधिक की राशि का ओवर ड्राफ्ट लेने संबंधी सुविधायें दी गयी हैं ; और

(ख) सामान्य बैंकिंग शर्तों पर कच्चे माल तथा निर्मित वस्तुओं को गिरवी रख कर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ओवरड्राफ्ट की राशि लेने में इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को क्या कठिनाई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना का सम्बन्ध बैंकों के एक घटक से है, इसलिए इसे, बैंकरों में प्रचलित व्यवहार और प्रथा के अनुसार तथा बैंकों को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार भी प्रकट नहीं किया जा सकता है ।

त्रिपुरा में युनाइटिड बैंक आफ इंडिया को विस्तार हेतु तथा कृषि विकास ऋण देने के लिए मान्यता देना

3333. **श्री बीरेन दत्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में केवल यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया को विस्तार हेतु तथा कृषि विकास ऋण देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा मान्यता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) त्रिपुरा राज्य के सम्बन्ध में, लीड बैंक योजना के अन्तर्गत, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया को मार्ग-दर्शन (लीड) दायित्व सौंपा गया है । राज्य के 'लीड बैंक' के रूप में इस से यह आशा की जाती है कि यह राज्य की वित्तीय संस्थाओं के प्रयत्नों को समन्वित करे । किन्तु फिर भी सरकारी क्षेत्र के जिन बैंकों की शाखायें इस राज्य में स्थित हैं वे अपनी अपनी शाखाओं के अधिकार क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त वर्गों के लघु ऋण कर्त्ताओं की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के अपने प्रयासों के एक अंश के रूप में कृषि सम्बन्धी ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं ।

अपरिष्कृत ऊन का आयात

3334. **श्री डी० के० पांडा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊनी स्वेटरों के निर्माताओं एव निर्यातकों को अपरिष्कृत ऊन आयात करने के लिये पूर्ण प्राधिकार-पत्र देने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण तथा ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी नहीं । वर्तमान नीति के अन्तर्गत ऊनी निट वियरों के निर्यातक अपने आवंटन के 50 प्रतिशत के लिये रिलीज़ आर्डर प्राप्त करने के तथा शेष 50 प्रतिशत प्राधिकार-पत्र के अधीन आयात करने के हकदार हैं ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा संकटग्रस्त एककों को अपने नियन्त्रण में लेना

3335. **श्री प्रिय रंजन दास मुशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने जनवरी, 1975 तक कितने संकटग्रस्त एककों को उनका काम चलाने तथा उन में सुधार लाने के लिए अपने नियंत्रण में लिया है ;

(ख) भारतीय औद्योमिक पुनर्निर्माण निगम के जनवरी, 1975 तक संकटग्रस्त एककों को चलाने के लिए कितने एककों को ऋण अथवा सहायता दी है ; और

(ग) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने दोनों मामलों में कुल कितनी पूंजी निवेश किया है तथा अपने नियंत्रण में ली गई और सहायता अथवा ऋण दिये गये कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने जनवरी, 1975 के अंत तक किसी रुग्ण (सिक) एकक को अपने नियंत्रण में नहीं लिया गया है । तथापि, निगम ने उन 11 रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता दी है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन और अथवा सरकार के विशिष्ट अधिनियम द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया है । इन 11 एककों में से दो के मामले में केन्द्रीय सरकार ने इस निगम को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत-नियंत्रक नियुक्त किया है ।

(ख) और (ग). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन और / अथवा सरकार के विशिष्ट अधिनियम द्वारा सरकार ने जिन एककों को अपने नियंत्रण

में लिया है उनके समेत सब एककों को मंजूर की गई और दी गई सहायता का विवरण निम्नलिखित है: —

(लाख रुपयों में)

एककों की संख्या	मंजूर राशि	वितरित राशि
(i) सहायता प्राप्त 78 एकक . .	1791.05	1173.14*
घटाइये—8 एककों की निरस्त की गई सहायता	93.50	—
70 एककों को दी गयी शुद्ध सहायता	1697.55	1173.14
(ii) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन और / अथवा विशिष्ट अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण में लिए गये एककों को सहायता :		
(क) दो एकक-निगम जिनका प्राधिकृत नियंत्रक है	184.91	140.75
(ख) अन्य 9 एकक . . .	778.92	541.95
जोड़ : . . .	963.83	682.70
कुल जोड़ . . .	2661.38	1855.84

* 31–1–1975 तक 55 औद्योगिक एककों को सहायता दी गई थी, जिनमें सहायता प्राप्त वे 11 एकक शामिल नहीं है जिनका प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) के अधिनियम, 1951 के अधीन अथवा विशिष्ट अधिनियम के अधीन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् को इंजीनियरिंग की वस्तुओं के निर्यात में गिरावट की आशंका

3336. श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों में इंजीनियरिंग की वस्तुओं के निर्यात में गिरावट के बारे में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की कथित आशंका से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन आंशकाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल का प्रतिवेदन

3337. **श्री विजयपाल सिंह :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री कपड़ा मिलों में स्टाक के जमा हो जाने के बारे में 20 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5339 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) स्टाक जमा हो जाने संबंधित स्थिति में सुधार हो गया था और इसलिये दल ने पहले तैयार की गई रिपोर्ट के मसौदे में संशोधन करना आवश्यक समझा ।

तेज गति से चलने वाली नौकाओं को क्षति

3338. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :**
श्री एम० एस० पुरती :
श्री एन० ई० होरो :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी विरोधी अभियान के लिये अधिक मूल्य पर आयातित तेज गति से चलने वाली नौकायें एक के बाद एक खराब होती जा रही है ;

(ख) क्या 'शक्ति' नामक स्पीड बोट को, जिसे कुछ दिन पूर्व ही चलाया गया था एक चट्टान से टकराने से भारी क्षति हुई थी और 'भवानी' नामक स्पीड बोट में भी कोचीन जाते समय एक समुद्री चट्टान (रीफ) से टकराने पर एक बड़ा छेद हो गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). तेज चलने वाली नौका "भवानी" 7–2–1975 को कोचीन पर रेत में धस गई और उसे कुछ क्षति पहुंची । किन्तु, आवश्यक मरम्मत के बाद वह 17–2–75 से कार्यवाही योग्य हो गई ।

दूसरी नौका "शक्ति" 10/11 फरवरी, 1975 को रात को एक संदिग्ध जलयान का निकट से पीछा करने के दौरान खार के समीप एक चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसे भारी

क्षति पहुंची। जल परिवहन-विभाग ने, जिसने इस नौका की जांच की, इसे किफायती तौर पर मरम्मत के अयोग्य घोषित कर दिया है। दूसरी नौका "काली" के निचले हिस्से (हल) की रखरखाव संबंधी मरम्मत की जा रही है।

अब तक प्राप्त नार्वे में बनी 10 नौकाओं में से "काली" और "शक्ति" को छोड़कर शेष 8 नौकायें कार्यवाही योग्य हैं। जब कभी आवश्यक होता है, मरम्मत स्थानीय तौर पर करा ली जाती है।

जी० डी० फार्मास्युटिकल लिमिटेड कलकत्ता के मालिक के पास से अवैध आयातित सोना पकड़ा जाना

3339. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले एक बंगाली दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 23 जनवरी, 1975 के अंक में इस आशय का समाचार छपा है कि "बोरोलीन" के निर्माता जी० डी० फार्मास्युटिकल लिमिटेड, कलकत्ता के मालिक और प्रबन्ध निदेशक को हाल ही में अपने पास अवैध आयातित सोना रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). आय-कर अधिकारियों ने 17–1–1975 को मेसर्स जी० डी० फार्मास्युटिकल लिमिटेड, कलकत्ता के मालिक के निवास स्थान की तलाशी ली और सोने की 105 छड़ें तथा 1060 तोला प्राथमिक सोना बरामद किया जिसका मूल्य 6.4 लाख रुपया है जिन्हें बाद में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। उसे 18–1–1975 को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया किन्तु जमानत पर छोड़ दिया गया।

बाद में, उसने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्याशी याचिका दायर की और अपनी नजरबंदी एवं विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ने उच्च न्यायालय में मामले का प्रतिवाद करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी है।

फ्लाइंग क्लबों को अधिक राजसहायता देने के बारे में निर्णय

3340. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फ्लाइंग क्लबों को दी जाने वाली राजसहायता को बढ़ाने के लिये इस बीच कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि वतमान राजकीय सहायता को परिचालन लागत में हुई अभि-वृद्धि के आधार पर बढ़ा दिया जाये क्योंकि विमानन इंधन, विमानों के फुटकर पुर्जों, और मजदूरी आदि के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

Payment of Income Tax by shareholders of Kohinoor Mills Ltd.

3341. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of shareholders of Kohinoor Mills Company Limited, Bombay and the number of the shareholders out of them who have not made upto date payment of Income tax; and

(b) year-wise arrears of Income-tax against them and the action being taken by Government for realising it?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b). As on 31st August, 1974 there were 10254 shareholders in Kohinoor Mills Company Ltd. These shareholders may be spread all over the country. The collection of the required information will. therefore, involve considerable time and labour which may not be commensurate with the results that may be achieved. However, information in respect of shareholders holding shares of Rs. 50,000 and above is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

If the Hon'ble Member desires to have information about any other particular shareholder(s), the same can be collected and furnished.

संकटग्रस्त चाय बागान

3342. **श्री नुरुल हुदा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कुल कितने संकटग्रस्त चाय बागान हैं जिनका सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है ;

(ख) चाय बागानों के संकटग्रस्त होने के विभिन्न कारण क्या हैं ; और

(ग) आसाम के कछार जिले में सरकार का विचार कितने चाय बागानों का अधिग्रहण करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चाय बोर्ड द्वारा जुलाई, 1972 में जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर में देश में 125 चाय बागानों ने स्वयं को अलाभकर होने का दावा किया है । तथापि, हाल ही के मूल्यांकन से पता चलता है कि ऐसे बागानों की संख्या बहुत ही कम है जो संकटग्रस्त हैं अथवा बन्द पड़े हैं।

(ख) जिन कारणों को किसी बागान के अलाभकारी/संकटग्रस्त स्थिति में होने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है वे हैं अधिक पूंजीकरण, श्रमिकों व प्रबंधकों के बीच खराब संबंध, निधियों का दुरुपयोग, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, कुप्रबन्ध, कानूनी दायित्वों को पूरा न करना आदि ।

(ग) जिन बागानों को फिर से सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है उन्हें पुन: स्थापित करने के लिए प्रबन्ध को नियंत्रण में लेने के उपाय सरकार के विचाराधीन हैं।

बैंकों द्वारा लिया जाने वाला परीक्षा-शुल्क

3343. श्री के० मालन्ना :
चौधरी रामप्रकाश :
श्री एन० ई० होरो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों अधिकांश बैंक रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों से पद के आधार पर 5 रुपये से 50 रुपये तक परीक्षा शुल्क लेते हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कि लाखों लोग बेरोजगार हैं बैंक इस काम में अत्याधिक लाभ कमाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंकों के लिए ऐसे आदेश जारी करने का है कि शुल्क केवल परीक्षा के समय ही लिया जाये अतः जिन लोगों को परीक्षा के लिये नहीं बुलाया जाता उन्हें कुछ न देना पड़े ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों से की गई पूछताछ से पता चला है कि बैंकों में विभिन्न पदों पर भरती के लिए आवेदन पत्र देने वाले उम्मीदवारों से, आवेदन पत्रों की फीस लेने के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भिन्न भिन्न प्रथाएं हैं। कुछ बैंक तो आवेदन पत्र लेते समय फीस लेते हैं और अन्य बैंक केवल उन्हीं उम्मीदवारों से फीस लेते हैं जिन्हें परीक्षा के लिए बुलाया जाता है । कुछ बैंक बिल्कुल ही फीस नहीं लेते ।

लिपिक-वर्गीय (क्लेरीकल) पदों के लिए आवेदन पत्र देने वाले उम्मीदवारों से 2 रुपये से 15 रुपये तक फीस ली जाती है और अधिकारी-वर्गीय पदों के लिये आवेदन-पत्र देने वाले उम्मीदवारों से 5 रुपये से 25 रुपये तक । आम तौर से सभी बैंक उन उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं लेते जो अधीनस्थ संवर्ग (सबार्डिनेट काडर) के लिए आवेदन पत्र देते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये या तो कुछ भी फीस नहीं रखते अथवा उन के मामले में कम फीस नियत करते हैं। फीस लेने वाले बैंकों ने बताया है कि वसूल की गई राशि से भरती संबन्धी खर्च की आंशिक रूप से पूर्ति होती है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भरती की नीति और व्यवहार में एकरूपता लाने के विचार से सरकार ने क्लर्कों और कनिष्ठ अधिकारियों की भरती के लिए एक बैंकिंग सेवा आयोग गठित करने का निर्णय किया है और इस संबंध में एक विधान संसद में प्रस्तुत भी कर दिया गया है ?

Export of Sugar, Tea and Shoes

3344. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government export Sugar Tea and Shoes to foreign countries;

(b) if so, at what price; and

(c) the reasons for exporting them at lower prices?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) While exports of sugar and footwear are exclusively made by the S.T.C., the S.T.C. also undertakes export of tea to various countries.

(b) Exports are made at international prices.

(c) Does not arise.

राज्यों के पिछड़े जिलों में जीवन बीमा निगम द्वारा आरम्भ की गई नई योजनायें

3345. **श्री सरजू पांडे :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या वित्त मंत्री पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की धनराशियों के बारे में 20 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने योजना आयोग की स्वीकृति से वार्षिक योजना के लिये राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में नयी योजनायें आरम्भ की हैं तथा "मार्केट बारोइंग" के रूप में ऋण देना आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974-75 में बड़े औद्योगिक गृहों की 'मार्केट बारोइंग' के रूप में कितनी-कितनी धनराशि दी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) "पिछड़े" राज्यों में अपनी पूंजी निवेश में वृद्धि करने की दृष्टि से इस प्रकार की और योजनायें तैयार करने के प्रश्न पर जीवन बीमा निगम अभी भी विचार कर रहा है ।

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण-पत्रों तथा शेयरों को खरीदने की जिम्मेदारी लेकर / सीधे अंशदान करके किये गये निवेशों तथा 20 अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों की कम्पनियों से संबंधित हकदारी शेयरों (राइट इश्यू शेयर) में किये गये अंशदान की रकमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	(लाख रु० में)
1972–73	551.37
1973–74	268.34
1974–75 . . . . . . (31–12–74 तक)	72.2[illegible]

तदनुरूपी अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा 20 अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों की कंपनियों को दिये गये ऋणों और बाजार से खरीदे गये शेयरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	दिये गये ऋणों की रकम	(लाख रू० में) बाजार से खरीदे गये शेयर और ऋण-पत्र
1972–73	75.00	108.46
1973–74	251.00	69.28
1974–75 . . . . (31–12–74 तक)	340.00	79.11

लघु उद्योगों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना

3346. **श्री बेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने के अपने अधिकारों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षित रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ख) 1974–75 के व्यस्त मौसम के लिये, ऋण नीति उपायों की घोषणा करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे बैंक ऋण देते समय, अधिक से अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनायें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऋणकर्ता एककों को केवल उनके आकार की ही दृष्टि से नहीं, बल्कि उनके उत्पादन की किस्म को भी दृष्टिगत रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अपने दुर्लभ संसाधनों का लाभ पहुंचायें। इस नीति के अन्तर्गत "कोर" क्षेत्र और "वेज गुडज़" उद्योगों के लिये उपकरण उत्पादन करने वाले लघु औद्योगिक एककों को कम आवश्यक उद्योगों की तुलना में वरीयता दी जानी है। बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने की नीति को व्याप्ति की दृष्टि से और परिष्कृत करें जिससे कि 10 लाख रुपये उससे कम की ऋण सीमा वाले एककों को इस नीति का विशेष रूप से लाभ पहुंच सके।

गुजरात में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

3347. **श्री डो० डो० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 14 दिसम्बर, 1974 को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि की राशि वर्षवार कितनी है ; और

(ग) इसमें कितना खर्चा आयेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल नहीं उठते।

भारत सहायता सार्थ संघ के देशों से सहायता

3348. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहायता सार्थ संघ के सदस्य देशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन देशों में से प्रत्येक ने भारत को, अदायगी की किन शर्तों पर तथा ऋण के मामले में किस ब्याज दर पर, कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में दी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य इटली, जापान, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका वे देश हैं जो भारत सहायता संघ के सदस्य हैं। इनके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक) और आसान शर्तों पर ऋण देने वाली इसकी एजेंसी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ भी सहायता संघ की बठकों में भाग लेते हैं।

(ख) अनुबन्ध एक में 31-12-1974 को स्थिति के अनुसार भारत द्वारा कुल मिलाकर प्राप्त की गयी देशवार विदेशी सहायता का ब्यौरा दिया गया है। ऋणों की शर्तें समय की अवधि के अनुसार अलग अलग होती हैं। सबसे हाल की स्थिति अनुबन्ध दो में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-9179/74]

केरल राज्य से निर्यात की मात्रा में कमी

3351. **श्री वयालर रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल के वर्षों में केरल राज्य से परम्परागत वस्तुओं के निर्यात की मात्रा में कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते अतः यह बताना संभव नहीं है कि हाल के वर्षों में केरल से परम्परागत वस्तुओं के निर्यातों की मात्रा घट रही है या नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की सहायक शाखाओं के अधिकारियों द्वारा अपनी दीर्घकाल से अनिर्णीत मांगों के बारे में अभ्यावेदन

3352. **श्री पी० जी० मावलंकार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक शाखाओं के अधिकारियों ने सरकार को अपनी दीर्घ काल से चली आ रही अनिर्णीत समस्याओं और मांगों के बारे में अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है और यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के अखिल भारतीय अधिकारी संघ ने 10 जनवरी, 1975 को एक ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन में उल्लिखित दो मुख्य मांगें निम्नलिखित के बारे में थीं :—

(1) ग्रेड II से ग्रेड I में अधिकारियों की पदोन्नति ; और

(2) ठेके पर नियुक्त किये गये तकनीकी (कृषि) अधिकारियों का स्थायी सेवा में समामेलन (एब्जार्प्शन)।

2. प्रबन्धकों और अधिकारियों के संघ के बीच द्विपक्षीय चर्चा चल रही है ताकि बकाया प्रश्नों का मान्य हल निकाला जा सके। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि ग्रेड II से ग्रेड I में अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में समझौता हो गया है।

जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई मांग

3353. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने पलार नदी के जल संसाधनों का उपयोग करने की अपनी योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता और जीवन बीमा निगम से ऋण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) अभी तक कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पटसन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कार्यवाही करना

3354. **श्री आर० एन० बर्मनः** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन मिलों में हड़ताल होने के कारण पटसन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : यद्यपि पटसन विनिर्मित माल की कीमतों पर, जोकि बाजार प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित होता है, कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, तथापि वायदा बाजार आयोग की स्वीकृति से ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हेशियन एक्सचेंज ने सट्टेबाजी की रोकथाम के उपाय किये हैं। हड़ताल इस बीच समाप्त हो गई है और कीमतों में नीचे का रुख दिखाई देने लगा है ।

केरल की मिलों में अनुपयुक्त पड़ा कता हुआ सूत

3355. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री केरल मिलों में अनुपयुक्त पड़ा कता हुआ सूत के बारे में 6 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1974 तक केरल की काटन स्पिनिंग मिलों में पड़े हुए सूत के भंडार का उपयोग कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). केरल में रुई कताई मिलों के पास पड़े धागे का स्टाक, जोकि अक्तूबर, 1974 के अन्त में 7,900 गांठें था, जनवरी, 1975 के अन्त में कम हो कर 180—180 कि० ग्रा० वाली 6500 गांठें रह गया।

(ग) केरल में धागे का उठान मुख्य रूप से हथकरधा क्षेत्र से धागे की मांग के कम हो जाने के कारण संतोषजनक नहीं है।

ईराक को निर्यात की गई वस्तुयें

3356. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में ईराक को कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात होगा ;

(ख) वर्ष 1975–76 के लिये किये गये करारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम तथा सरकार को सरकार द्वारा किये जाने वाले निर्यातों के अतिरिक्त गैर-सरकारी व्यक्ति भी ईराक के साथ कारोबार कर रहे हैं, यदि हां, तो इस प्रकार कितना निर्यात होता है ; और

(घ) गैर-सरकारी प्रणाली तथा सरकारी ऐजेंसियों के माध्यम से कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1974-75 के पहले सात महीनों में (पहली अप्रैल 1974 से 31 अक्तूबर, 1974 तक जिसके सम्बन्ध में ही अभी तक आंकड़े प्राप्त हैं) इराक को किये गये भारत के निर्यातों की राशि 2827 लाख रु० थी।

(ख) प्राइवेट पार्टियों द्वारा 1975-76 के लिए हस्ताक्षरित संविदाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अन्य देशों से कड़ी प्रतियोगिता को देखते हुए सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्योरे बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) प्राइवेट व्यक्ति भी इराक के साथ व्यवसाय कर रहे हैं। प्राइवेट पार्टियों के कारोबार के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकारी क्षेत्रों के अभिकरणों के माध्यम से निर्यात की जाने वाली मदों की सूची एक्सपोर्ट ट्रेड कंट्रोल हैंडबुक आफ पालिसी एण्ड प्रोसीजर, 1974 में दी गई है जो संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है। जो मदें सरकारी अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत नहीं है उनका निर्यात ये अभिकरण तथा प्राइवेट निर्यातक दोनों करते हैं। इराक को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदे हैं : चाय, लोहे तथा इस्पात की मदें, मशीन तथा उपस्कर, जिनमें परिवहन उपस्कर शामिल है, प्लाइबुड तथा वस्त्र।

जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3357. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी मागों के समर्थन में हाल ही में हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मांगें रखीं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्रेणी I अधिकारी संघ द्वारा जीवन बीमा निगम को दिये गये मांग-पत्र पर, जो वेतनमानों/भत्तों और सेवा की शर्तों के संशोधन से सम्बन्धित है, ध्यान दिया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले अधिकारियों के विदेशी दौरे

3358. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि सरकारी उपक्रमों के बहुत से अधिकारी विदेशों का दौरा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, विदेश गये ऐसे अधिकारी कौन-कौन से हैं ;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है; और

(घ) इन अधिकारियों के दौरों का उद्देश्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Instructions to employees of Indian Airlines regarding Dress

3359. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether any instructions have been issued to pilots and other employees of Indian Airlines by the Department in regard to styles of dress, hair and moustache;

(b) if so, the broad outlines thereof and the reaction of the employees thereto; and

(c) the reasons for issuing such instructions by Government and the extent to which these instructions are being carried out?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). Recently a circular has been issued in respect of Traffic Staff by the Commercial Manager, Madras to all Station Managers and Officers in-charge of stations with a view to ensure that no staff turns out for duty in a manner as to cause criticism and comments from passengers and other visitors to Indian Airlines establishments. No such circular has been issued in respect of pilots or other general categories.

यरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ भारत का निर्यात तथा आयात व्यापार

3360. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में तथा चालू वर्ष में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारत द्वारा कितना निर्यात किया गया तथा वहां से कितना आयात किया गया और इन अवधियों में हमारे कुल विदेशी व्यापार का यह कितना प्रतिशत है ;

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के कुल विदेशी व्यापार का यह कितना प्रतिशत है; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) संलग्न विवरण अपेक्षित जानकारी दर्शाता है ।

(ख) 1973 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रारम्भिक छः सदस्य देशों में कुल कितने आयात हुए उनमें भारत से किये गये आयात 0.25 प्रतिशत रहे । ब्रिटेन डेनमार्क तथा आयरलैंड के लिए ये आंकड़े क्रमशः 0.15 प्रतिशत, 0.29 प्रतिशत तथा 0.48 प्रतिशत ठहरते हैं ।

1973 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रारम्भिक सदस्य देशों द्वारा किये गये कुछ निर्यातों में भारत को किये गये निर्यात 0.29 प्रतिशत रहे । ब्रिटेन, डेनमार्क तथा आयरलैंड के लिए ये आंकड़े क्रमशः 0.17 प्रतिशत, 0.07 प्रतिशत तथा 0.09 प्रतिशत ठहरते हैं ।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के लिए कोई अलग व्यापार कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है । तथापि इन बाजारों की सम्पन्नता, अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध रियायतों आदि को देखते हुए इस क्षेत्र में निर्यात प्रयास केन्द्रित किये जायेंगे । इनमें

वाणिज्यिक विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा अन्य प्रयास अथवा वाणिज्यिक प्रचार शामिल होंगे ।

विवरण

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत का विदेश व्यापार

(लाख रुपये)

	भारत में आयात			भारत से निर्यात		
	कुल आयात	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से आयात	कुल आयातों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रतिशत भाग	कुल निर्यात	यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात	कुल निर्यातों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रतिशत भाग
1973-74	292091	68318	23.4	248322	59432	23.9
अप्रैल-सित०—1974	193302	36902	19.1	151464	32744	21.6

कच्चे माल के बारे में एक संगठन की स्थापना

3361. **श्री बी० पी० नायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकार में हुए तीसरे विश्व देशों के कचचे माल और प्राथमिक संसाधनों सम्बन्धी सम्मेलन के फलस्वरूप पट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन की भांति एक संगठन स्थापति हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में उल्लिखित उन कच्चे मालों के नाम क्या हैं जिन में भारत की रुचि है ; और

(ग) क्या मसाले और अचार, चटनी आदि कुछ कच्चे माल हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). कच्चे माल के सम्बन्ध में डाकार में 3–8 फरवरी, 1975 तक हुए विकासशील देशों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि विकासशील देशों के निर्यात हित की प्रमुख वस्तुओं का कारोबार करने वाली उत्पादकों की विभिन्न एसोसिएशनों के बीच परामर्श तथा सहयोग के लिए विकासशील देशों को एक परिषद् की स्थापना करनी चाहिए ताकि उनके कार्यकलापों में समन्वय तथा पारस्परिक सहायता हो सके । किन्तु सम्मेलन में इस सम्बन्ध में वस्तुएं निश्चित नहीं की गई ।

भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेला

3362. **श्री वरके जार्ज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरी व्यापार, मेले के पहले सप्ताह में "सिंक्रोनाइज्ड मोटर्स "पैकिंग" मशीनरी, वैल्डिंग उपकरण, "वुड वर्किंग" मशीनों, डीजल इंजनों, पम्प तथा टर्बाईन,

मशीनी औजार, कागज संयंत्रों तथा अलौह मिश्रित धातु की ढली वस्तुओं आदि के बारे में 1.5 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान के निर्यात सम्बन्धी बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या देशों ने भारतीय इंजीनियरी उद्योग में अत्यधिक रुचि दिखाई है ;

(ग) यदि हां, तो किन वस्तुओं के बारे में निर्यात आर्डर मिलने की सम्भावना है ; और

(घ) इस मेले से सरकार को, मदवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): जी हां।

(ग) वायु कम्प्रेसर, वायुदाबी औजार, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर स्विचगियर इस्पात की ढली तथा गढ़ी वस्तुएं, ई०आर० डबल्यू० इस्पात पाइप तथा ट्यूबें, आटो हिस्से, औद्योगिक भट्ठियां, अलौह मिश्रित धातुएं तथा उनसे ढली वस्तुएं, टग, निकर्षण पोत तथा बजरे, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, लकड़ी-कार्य मशीनें, बिजली के पंखे तथा सिलाई मशीनें, और वातानुकूलक तथा प्रशीतक ।

(घ) भारतीय इंजीनियरी उद्योग संस्था के अनुसार, जिसने व्यापार मेला आयोजित किया था, 168.30 लाख रु० मूल्य के निर्यात आदेश, जो तय हो चुके हैं अथवा जिनके क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है, निम्ननोक्त प्रकार हैं ।--

ट्रांसमिशन लाइन टावर	150 लाख रु०
लकड़ी कार्य मशीनें	18 लाख रु०
कताई उप-साधन	0.30 लाख रु०

उत्तर के भाग (ग) के उत्तर में दिखाई गई मदों के लिए 995 लाख रु० मूल्य के निर्यात आदेश प्राप्त होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, अनेक व्यापारिक पूछताछें प्राप्त हुई हैं जिनका मूल्य कई करोड़ रु० में हैं । फिर भी इन आंकड़ों से वे कुल निर्यात सम्भाव्यताएं प्रकट नहीं होतीं जो अब उत्पन्न हो गई हैं । बुक किये गये विशिष्ट आदेश, बातचीत द्वारा किये गये व्यापार और प्राप्त हुई व्यापारिक पूछताछों के परिणाम का अनुमान केवल कुछ समय के बाद ही लगाया जा सगता है ।

National awards to exporting firms

3363. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether some exporting firms were given national awards for exports during 1973-74; and

(b) if so, the names thereof and the amount given to each of them and the criterion thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) and (b): The Government have not so far given National Awards to exporters for their outstanding export performance during the period April, 1973 to March, 1974. A Selection Committee has however been constituted and selections will be made shortly. The Scheme of "Awards for Public Recognition of Outstanding Export Performance" as announced in Resolution dated 23rd November. 1968 as amended from time to time does not contemplate awards in

cash. According to the scheme, awards in the form of rotating trophies/shields are given. The winners are also given replicas for retention. In addition to trophies/shields, Certificates of Merit are given to the best exporters in the different groups of export products.

2. The criteria laid down in the Scheme, on the basis of which eligibility for the Awards is based are:—

(i) Development of a market abroad for a product which had not been previously exported.

(ii) Substantial increase in export sales on a sustained basis, preferably in non-traditional commodities and in finished products.

(iii) Successful introduction of a new product into the export trade.

(iv) Product development.

(v) Successful break-through in a foreign market where conditions are specially difficult.

(vi) Recovery of lost ground in export markets.

(vii) Novel and successful solutions to foreign trade problems.

(viii) Demonstrated efforts in international marketing and promotion of products which have contributed directly to the expansion of exports in general.

(ix) Demonstrated efforts in making credits available for expansion of export trade and for other financial assistance.

(x) Market survey which lead to a significant increase in export to the area surveyed.

(xi) Any other significant contribution in the field of export performance or promotion.

व्यक्तियों के विरुद्ध तस्करी के आरोपों की जांच

3364. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सुरेन्द्र सिंह कैरो तथा अमृतसर ट्रांसपोर्ट कम्पनी अमृतसर के मदन मोहन बिजली के विरुद्ध तस्करी के आरोपों की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख)। सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने श्री सुरेन्द्रसिंह कैरो और अमृतसर की अमृतसर ट्रांसपोर्ट कम्पनी के श्री मदन मोहन बिजली की तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में कोई जांच-पड़ताल नहीं की है और उनके पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

भारत की अभ्रक निर्यात 'कैनेलाइजशन' नीति

3365. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत की अभ्रक निर्यात 'कनेलाइजेशन' नीति पर एतराज किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1973-74 में भारतीय पर्यटन विकास निगम का लाभ

3366. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1973–74 में कोई लाभ हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना लाभ हुआ और उसका व्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1973–74 के दौरान 38.16 लाख रुपये का लाभ हुआ जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रिया कलाप	लाभ (लाख रुपयों में)
होटल, मोटल, यात्रा लाज, तथा यात्री रैस्टोरेंट . . .	7.03
यातायात	0.18
प्रकाशन एवं प्रचार	10.17
शुल्क-मुक्त दुकानें . .	15.82
अन्य	4.96
कुल . . .	38.16

जीर्ण आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिये कर में छूट देना

3367. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसियेशन ने जीर्ण-आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिए कर में छूट देने हेतु कोई ज्ञापन सरकार को प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में दिया गया सुझाव यह है कि चूंकि रुपये के मूल्य में गिरावट आई है, इसलिए औद्योगिक उपक्रमों द्वारा प्रयुक्त की गयी परिसम्पत्तियों के संबंध में मूल्य–ह्रास की छूट इन

परिसम्पत्तियों की प्रतिस्थापन-लागत के सन्दर्भ में दी जानी चाहिए, न कि जैसा वर्तमान कानून के अन्तर्गत है, उनकी वास्तविक लागत के सदर्भ में।

संस्था द्वारा दिया गया सुझाव सरकार को स्वीकार्य नहीं है।

दिल्ली में भू-स्वामियों को दिये गये धन कर के नोटिस

3368. **श्री दलीप सिंह चौधरी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बाह्य दिल्ली में कितने भू-स्वामियों को धन कर के नोटिस दिये गये हैं अथवा दिये जा रहे हैं ;

(ख) भूमि की किस सीमा तक के लिये ये नोटिस दिये गये ; और

(ग) इस निर्वाचन क्षेत्र में कितने भू-स्वामियों को ये नोटिस जिनके पास पांच एकड़ अथवा पांच एकड़ से कम भूमि है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) धनकर अधिनियम 1957 के आधीन 31 जनवरी 1975 तक बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 2171 मामलों में भू-स्वामियों को नोटिस जारी किये गये।

(ख) ये नोटिस उन मामलों में जारी किए गए थे जिनमें धन-कर अधिकारी के विचारानुसार कर निर्धारिती धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत करनिर्धारण योग्य थे। मोटे तौर पर, ऐसे नोटिस उन मामलों में जारी किए गए थे जिनमें भू-स्वामी, सामान्यतया, 10 एकड़ से अधिक भूमि के स्वामी थे।

(ग) ऐसे भू-स्वामी 25 थे। इन मामलों में नोटिस जारी किए गए थे क्योंकि भूमियों का मूल्य गांव-गांव में अलग अलग था और कर-योग्य सीमा से अधिक बताया गया था। कुछ मामलों में, भूमि अभिग्रहण कलक्टर द्वारा भूमि अभिग्रहण कर ली गई थी और कर-निर्धारितियों ने उन्हें मिले मुआवजे के विरूद्ध अपीलें दायर की थी जिनमें और अधिक रकमों का दावा किया गया था। ऐसे दावों के आधार पर, उनका धन कर योग्य सीमा से अधिक था।

World Bank's assistance for drinking water schemes in Madhya Pradesh

3369. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether World Bank representatives visited Indore (Madhya Pradesh) in January, 1975.

(b) whether a proposal for a grant of Rs 64 crores was submitted to them on behalf of the State Government for providing drinking water to 17 Districts of the State; and

(c) if so, the full facts in this regard?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) Yes, Sir.

(b) State Governments have to submit proposals to the World Bank only through the Central Government. No such proposal has been received by the Central Government so far.

(c) Does not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात क्रयादेश रद्द किया जाना

3370. **श्री सी० एम० सिन्हा :**

श्री एम० कत्तामुतु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात क्रयादेशों के रद्द किये जाने के कारण कुछ पेट्रो-रसायन वस्तुओं की खपत करने वाले उद्योगों को भारी चिन्ता हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आय-कर प्राधिकारियों द्वारा छापे

3371. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में अक्तूबर से दिसम्बर, 1974 तक आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापों के दौरान कितने मूल्य की लेखा बाह्य सम्पदाओं का पता लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : आंकड़े आय-कर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र-वार रखे जाते हैं, राज्य वार नहीं। अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9180/75]

Ratio between direct and indirect taxes

†3372. **Shri Mulki Raj Saini:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the ratio between direct and indirect taxes at present; and

(b) the ratio between direct and indirect taxes in 1967?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The ratio between direct taxes (Income-tax, Corporation-tax, Wealth-tax, Gift-tax and Estate Duty) and indirect taxes (Customs and Central Excise Duties) based on Revised Budget Estimates for financial year 1974-75 is 1 to 2.95 approximately.

(b) The ratio between direct taxes (Income-tax, Corporation-tax, Wealth-tax, Gift-tax and Estate Duty) and indirect taxes (Customs and Central Excise duties) collected during financial year 1967-68 was 1 to 2.53 approximately.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

3373. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 177 लाख टन लोह अयस्क का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; जिनको इसका निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) 1975-76 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क के निर्यात के लिए लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

काफी का निर्यात

3374. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान भारत से कुल कितनी काफी का निर्यात किया गया ; और

(ख) विश्व काफी निर्यात की तुलना में हमारे निर्यात की प्रतिशतता कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 50,400 म० टन (अनन्तिम)।

(ख) 1973 के दौरान लगभग 1.58%।

रुपए का मूल्य

3375. **श्री अमर सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूबल की तुलना में रुपये की विनिमय-दर मार्च, 1975 में गिर गई थी, जिससे गत वर्ष मार्च के महीने से उक्त विनिमय-दर में निरन्तर गिरावट का पता चलता है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी गिरावट के क्या कारण हैं ;

(ग) अक्टूबर, 1974 से फरवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान विनिमय दरें क्या थीं ;

(घ) क्या दिसम्बर, 1974 से मार्च, 1975 के दौरान पौण्ड-स्टर्लिंग के लिये विनिमय-दर में वृद्धि हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ का स्टेट बैंक सोवियत संघ के अन्दर किये जाने वाले गैर-वाणिज्यिक लेन देनों के लिए, विशेषकर पहली मार्च, 1974 से भारतीय रुपये और रूबल की विनिमय-दर में संशोधन करता रहा है। सोवियत संघ के स्टेट बैंक ने पहली मार्च, 1975 को 100 रुपये-8.66 रूबल की प्रभावी दर अधिसूचित की थी जबकि मार्च, 1974 में 100 रु०-9.51 रूबल की दर अधिसूचित की गयी थी। अक्टूबर 1974 से फरवरी, 1975 के बीच बैंक ने जो दरें घोषित की थीं, वे नीचे दी गयी हैं :—

अक्टूबर, 1974 . .	100 रु०-9.47 रूबल
नवम्बर, 1974 .	100 रु०-9.44 रूबल
दिसम्बर, 1974	100 रु०-9.27 रूबल
जनवरी, 1975 .	100 रु०-9.09 रूबल
फरवरी, 1975 . .	100 रु०-8.88 रूबल

सोवियत संघ के स्टेट बैंक के अनुसार, उसके द्वारा समय-समय पर घोषित विनिमय-दर रूबल की तुलना में भारतीय रुपये के वस्तुतः मूल्य पर आधारित है, जो बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये की तुलना में मुख्य मुद्राओं की क्रास दरों के औसत के आधार पर निकाली जाती है। इस मामले में दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है।

(घ) और (ङ) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के स्टेट बैंक ने दिसम्बर, 1974 से मार्च, 1975 के बीच पौंड-स्टर्लिंग की जो विनिमय दरें अधिसूचित की थीं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

दिसम्बर, 1974 .	1.66 रूबल-1 पौण्ड स्टर्लिंग
जनवरी, 1975	1.66 रूबल-1 पौण्ड स्टर्लिंग
फरवरी, 1975 . .	1.60 रूबल-1 पौण्ड स्टर्लिंग
मार्च, 1975 .	1.62 रूबल-1 पौण्ड स्टर्लिंग

हमें इन परिवर्तनों के ठीक-ठीक कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा हानि को पूरा किया जाना

3376. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया में तालाबन्दी के दौरान उनको हुई हानि को पूरा करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) क्या पर्यटक यातायात में भी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अपनी आय बढ़ाने के लिये दोनों कारपोरेशनों ने जोरदार मितव्ययिता तथा उत्पादन उपाय प्रारम्भ किये हैं और उनकी हानियां काफी कम हो जाने की आशा है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान आने वाले पर्यटकों की संख्या तथा वृद्धि की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

वर्ष		पर्यटक आवकों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि की प्रतिशत
1970	.	280,821	14.8
1971		300,995	7.2
1972	.	342,950	13.9
1973		409,895	19.5
1974		423,161	3.2

भारत की यात्रा करने वाले पर्यटक

3377. **श्री निम्बालकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आशा है कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1975–76 में देश में अधिक पर्यटक आयेंगे ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1975 के दो महीनों में और तुलनात्मक रूप से वर्ष 1974 के उन्हीं महीनों में आये पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है :—

		जनवरी	**फरवरी**
1974	. . . .	37,778	33,021
1975	. . . .	42,661	38,000 (अनुमानित)

इसे दृष्टि में रखते हुए सरकार को आशा है कि गत वर्षों की अपेक्षा 1975 में अधिक पर्यटक भारत आयेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में कमी

3378. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में कमी हुई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास वर्ष-वार तथा बैंक-वार कितनी जमा राशि थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की (अन्तर-बैंक जमाओं को छोड़कर) कुल जमा रकमें 18 जुलाई, 1969 को 3885 करोड़ रु० थीं, जो बढ़कर दिसम्बर, 1974 के अन्तिम शुक्रवार को 9632 करोड़ रु० हो गयीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—918 1/75]

Exports to and imports from Bangladesh

3379. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the value of different items India will import from Bangladesh under the Indo-Bangladesh trade agreement this year and the value of the items Bangladesh will import this year?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): Under the latest Protocol concluded between India and Bangladesh on 17th December, 1974, no value ceilings have been prescribed for total imports from either country. Both countries have agreed to affect payments in freely convertible currency for trade exchanges taking place from 1st January, 1975. India has, however, agreed to buy fish from Bangladesh valued at Rs. 350 lakhs during 1975.

Import of Cotton from Pakistan

3380. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether India has recently entered into an agreement with Pakistan for import of two lakh bales of cotton;

(b) if so, whether it will not adversely affect the cotton-growers in the country;

(c) whether a Union Minister protested in a letter against such import of cotton from Pakistan; and

(d) if so, his name and the action taken by Government on the suggestion made by him and details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The import is of medium staple cotton of which there is shortage in the country as compared to the demand. Hence no adverse effect on the indigenous producers of cotton is anticipated.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

ओपियम फैक्टरी, गाजीपुर के तकनीकी कर्मचारियों के वेतनमान

3381. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर ओपियम फैक्टरी के कर्मचारियों जैसे क्लीनरों, जूनियर फिटरों तथा लबोरेटरी असिस्टेंटों के वेतन-मान अभी तक निश्चित नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) क्लीनर और जूनियर फिटर के पदों के संशोधित वेतन-मान भारत के राजपत्र, (असाधारण) सं० 76, दिनांक 30-3-1974 में अधिसूचित किये गये थे। लेबोरेटरी अटेण्डर के पदों के लिये संशोधित वेतन-मान अभी निश्चित नहीं किया गया है।

(ख) लेबोरेटरी अटेण्डर के पद के लिये संशोधित वेतन-मान के बारे में वेतन आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की थी। इस पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वेतन-मान निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

निषिद्ध वस्तुओं तथा जानवरों की खाल की तस्करी

3382. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि विदेशी विमान सेवाओं के कुछ इंजीनियर शेर और सांप की खालों, हशीश तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करते हैं ; और विमानों तक इन वस्तुओं को अपनी कारों में ले जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये गये अथवा किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) विदेशी विमान सेवाओं के कुछ इंजीनियरों द्वारा शेर और सांप की खालों, हशीश तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की आरोपित तस्करी के बारे में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है हालांकि सामान्य रूप में एकत्र की गयी गुप्त सूचना से यह पता चलता है कि इन वस्तुओं को भारत से बाहर तस्कर-निर्यात किये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

गुप्त सूचना को सुव्यवस्थित ढंग से एकत्र करना, निवारक जांच को तीव्र करना और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में संदिग्ध तस्कर-व्यापारियों पर सतत् निगरानी रखने जैसे विभिन्न तस्करी-विरोधी उपाय किये गये हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को अतिरिक्त कर्मचारी तथा उपकरण भी दिये गये हैं। पर्याप्त संख्या में तस्कर-व्यापारियों को भी निवारक नजरबन्दी के अधीन लाया गया है।

विशेष रूप से शेर, सांप की खालों आदि के तस्कर-निर्यात संबंधी प्रयासों के संबंध में, ऐसे माल को जब्त करने और उपयुक्त मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही करने के अतिरिक्त सख्त जुर्माना और दंड लगाने के अनुदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

यूगोस्लाविया के उप-प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

3383. **श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूगोस्लाविया के उप-प्रधान मंत्री के साथ जब वह हाल में दिल्ली में थे, भारत सरकार ने किन बातों पर विचार-विमर्श किया ; और

(ख) उस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत-यूगोस्लाविया संयुक्त समिति की बैठक के लिए हाल ही के भारत के दौरे के दौरान यूगोस्लाविया के उप-प्रधान मंत्री के साथ व्यापार के विस्तार तथा उसके विविधीकरण, भारत में, यूगोस्लाविया में व तीसरे देशों में औद्योगिक सहयोग से संबंधित विभिन्न मामलों पर तथा पारस्परिक आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में अन्य मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

यूगोस्लाविया के बाजार में सम्भाव्यता वाली अनेक मदों का पता लगाया गया। भारत में एवं यूगोस्लाविया में तथा तीसरे देशों में औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस पर सहमति व्यक्त की गई कि संबंधित सरकारों उनके केन्द्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तिय संस्थानों के बीच पारस्परिक परामर्श एवं सहयोग बढ़ाने हेतु उपायों पर विचार करने के लिए बैंकिंग तथा वित्तीय सहयोग संबंधी एक उप-समिति स्थापित की जाये।

युनाइटेड कामर्शियल बैंक द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में लघु एककों के लिए धनाशि का आंवटन

3384. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड कामर्शियल बैंक के एक बुलेटिन में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जून, 1972 में 108 लघु एककों के लिये 70 लाख रुपये आवंटित किये गये थे और केवल 38 लाख रुपये इस प्रयोजन के लिये खर्च किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में पूर्वी जोन में लघु एककों के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और उक्त अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का वितरण किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य युनाइटेड कामर्शियल बैंक द्वारा प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में एकत्रित त्रैमासिक आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1972 के अंत तक छोटे पैमाने के 108 एककों को मंजूर की गई 70 लाख रुपये की ऋण सीमाओं (लिमिटों) (जिसमें से 39 लाख रुपये की बकाया सीमाएं हैं) का वितरण असम राज्य में किया गया था।

(ख) छोटे पैमाने के उद्योगों को कार्य-चालन पूंजी की उनकी आवश्यकताओं के लिए, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की व्यवस्था नकद-ऋण के रूप में की जाती है। ऋणकर्ता मंजूर की गई सीमा (लिमिट) में ऋण की बकाया राशि से अपना कार्य चलाते हैं, जो ऋण-कर्त्ता की नकद रुपये की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर घटती बढ़ती रहती है। आम-तौर पर छोटे पैमाने के उद्योग से कुल बकाया राशि औसतन मंजूर की गई कुल सीमा के लगभग 62 प्रतिशत के बराबर होती है।

(ग) उपलब्ध सूचना संलग्न सारिणी में दी जा रही है। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए संख्या एल०टी०—9182/75**]

दम दम हवाई अड्डे से जम्बो जेट सेवा

3385. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमदम हवाई अड्डे से जम्बो जेट सेवा शुरू की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या जम्बो जेट सेवा चलने से भारत के पूर्वी राज्यों की ओर पर्यटक आकर्षित होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सरकार चाहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां अपनी हकदारी के अनुसार अधिकतम सीमा तक कलकत्ता का उपयोग करें। तथापि, किसी भी विदेशी विमान कम्पनी ने अभी तक कलकत्ता विमान क्षेत्र के लिये जम्बो परिचालनों के लिये समयावलियां दायर नहीं की हैं । व्यापारिक हितों के कारण एयर इंडिया भी तब तक कलकत्ता के रास्ते जम्बो परिचालित करने की स्थिति में नहीं है जब तक कि वह अपनी पूर्वी सेवाओं को चौड़ी बाड़ी वाले विमानों से परिचालित नहीं करता।

(ग) जम्बो विमानों के परिचालन मात्र से ही पर्यटक यातायात आकर्षित नहीं होता।

नारियल की खेती के विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की योजना

3386. **श्री बयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल की खेती के विकास में सहायता करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उसके लिये कुल कितनी धनराशि आबटित की गई है तथा इसके कब तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है, जो सभा पटल पर रख दी जायगी।

केरल में पर्यटन विकास

3387. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में पर्यटन विकास के लिये शामिल की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) उक्त परियोजनाओं की मुख्य बात क्या हैं और उन पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है तथा उक्त परियोजनाओं के लिये केन्द्र से कितनी सहायता मिलेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख). कोवालम में विकसित किये जा रहे समुद्रतटीय का बिहार-स्थल के और आगे विस्तार का काय पांचवें योजना

के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में प्रारम्भ किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिये पांचवीं योजना के प्रारूप में पर्यटन के लिये 310 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित की गई है। किये जाने वाले विकास कार्य की प्रकृति तथा क्षेत्र का निर्धारण कोवालम में पहले से ही प्रदान की गई सुविधाओं के पर्यटकों द्वारा उपयोग का मूल्यांकन कर लेने के पश्चात ही किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त त्रिवेन्द्रम में युवा होस्टल के लिये 2.85 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है तथा इसके प्रबन्ध के बारे में राज्य सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है।

अरण्य निवास होटल, केरल

3388. **श्री वयालार रवि :**
श्री वरके जार्ज :
श्री सी० जनार्दनन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरण्य निवास होटल, केरल के विस्तार के दूसरे चरण के निर्माण पर हुये खर्च की 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति के लिये केरल सरकार के अनुरोध पर अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). अरण्य निवास होटल के विस्तार के लिये 2.47 लाख रुपये की सहायता पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से पहले दी गयी है। इस प्रकार की स्कीमों को समाप्त करने देने से वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत के आधार पर सहायता देना बन्द कर दिया गया है। राज्य सरकार को उनके द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव की एक प्रति भेजने का अनुरोध किया गया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आये भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के अधिकारी

3389. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा के उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो वर्ष 1974 में अपने सेवा निवृत्ति काल से कुछ महीने पहले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये ;

(ख) इन अधिकारियों को, जो सेवा निवृत्त होने वाले थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिये किस ढंग से चुना गया ;

(ग) प्रत्येक मामले में सेवा में रहते हुये तथा सेवा निवृत्ति की उनकी तिथि के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि कितनी है और कौन कौन अधिकारी सरकारी सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बजाय 60 वर्ष तक सेवा में रहेंगे ;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नये पदों पर इन अधिकारियों द्वारा कितने वेतन तथा भत्ते लिये जाते हैं ; और

(ङ) क्या इनमें से कुछ अधिकारियों को सरकारी आवास रखने की भी अनुमति है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आवासों के किराये क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग का कोई अधिकारी 1974 के दौरान सेवानिवृत्त से केवल कुछ ही महीने पहले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रति-नियुक्ति पर नहीं भेजा गया था। एक मामले में न्यूनतम निवृत्तिपूर्व सेवा एक वर्ष से ऊपर—16 महीने थी। अन्य दूसरे सभी मामलों में यह अवधि 4 से लेकर 18 वर्ष थी।

(ख) से (ङ). यह सवाल नहीं उठते।

कनारा बैंक और सिण्डीकेट बैंक द्वारा कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में जमा की गई धनराशि और दिए गए ऋण

3390. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1974 तक (एक) कनारा बैंक और (दो) सिण्डीकेट बैंक द्वारा कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में जमा की गई राशियों और दिये गये ऋणों की कुल धनराशि का प्रयोजन वार और तालुक-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) जिले के अन्दर स्थित कार्यालयों से जिले के बाहर की पार्टियों को कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई ; और

(ग) जमा राशियों की अपेक्षा ऋणों की राशि कम होने का क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) दक्षिण कनारा जिले में अवस्थित कनारा बैंक और सिंडीकेट बैंक की शाखाओं की जमाओं और अग्रिमों के सम्बन्ध में उपलब्ध जिले वार ताजा आंकड़े और इन जिलों में उपयोग किये गये इन दो बैंकों के अग्रिमों का प्रयोजन-वार वितरण अनुबन्ध में दिया जा रहा है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—9183/75]। आंकड़े इकट्ठे करने की वर्तमान व्यवस्था में तालुके वार और ऋणकर्ता के मूल निवास के अनुसार आंकड़ों का संकलन करने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) प्रत्येक शाखा के अग्रिमों की मात्रा का निर्धारण इस बात से किया जाता है कि उस शाखा के कार्य क्षेत्र में, विशेष रूप से व्यापार और उद्योग के संगठित क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकलाप का स्तर क्या है और भूमि-विकास, छोटे सिंचाई कार्य, औद्योगिक बस्तियों की स्थापना, आदि, जैसे विकास के विशिष्ट-कार्यक्रमों के लिए छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण देने के अवसर कितने हैं।

कनारा बैंक तथा सिंडीकेट बैंक में रोजगार सम्बन्धी भर्ती नियम

3391. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनारा बैंक तथा सिंडीकेट बैंक में रोजगार के सम्बन्ध में कोई भर्ती नियम है;

(ख) यदि हां, तो इन नियमों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) क्या इन बैंकों में पिछड़े वर्गों के लोगों तथा भूतपूर्व सैनिकों के हितों को रक्षा करने के लिए कोई उपबन्ध हैं और यदि हां, तो वे उपबन्ध क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क), (ख) और (ग). कनारा बैंक और सिण्डीकेट बैंक ने सूचित किया है कि उनके यहां भरती संबंधी नियम बने हुये हे, जिनमें विभिन्न पदों के वास्ते आयु सीमाओं, शैक्षिक योग्यताओं और अहक-स्तरों (क्वालिफाइंग स्टेण्डड् स) समेत सुपात्रता के मापदंड निर्धारित किये हुये हैं।

इन द.नों ही बैंकों ने सूचित किया है कि सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के वास्ते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु-सीमा, शैक्षिक योग्यता और अर्हक-स्तर में छूट दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को केवल आयु सीमा में ही छूट दी जाती है।

कलकत्ता से सीधी उड़ानें

3392. **श्री टुना उरांव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विमान कम्पनियों ने कलकत्ता से अपनी सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने में रुचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं और वे कलकत्ता से कितनी उड़ाने शुरू करेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). भारत सरकार विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा उनकी हकदारी के अनुसार कलकत्ता के लिये/से होकर अनुसूचित विमान सेवायें परिचालित करने का स्वागत करेगी। तथापि, इस विषय में विदेशी कम्पनियों से कोई ताजा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हैं।

युनाईटिड कर्माशियल बैंक के चेयरमैन पर कांग्रेस-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाना

3393. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 दिसम्बर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक में छपे इन प्रस समाचारों की ओर गया है कि कुछ व्यक्तियों ने पश्चिम बंगाल की कांग्रेस संगठम के नाम पर युनाईटिड कर्माशियल बैंक के चेयरमैन पर कांग्रेस-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है तथा उस चेयरमन को हटाने हेतु दवाव डालने के लिये शिव सेना किस्म का आन्दोलन करने की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) माननीय सदस्य का संकेत संभवतः 17 दिसम्बर, 1974 के दैनिक "पेट्रिअट" में प्रकाशित समाचार की ओर है। सरकार ने उक्त रिपोर्ट देखी है।

(ख) पिछले कुछ समय से सरकार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी, कलकत्ता के "इकनामिक सेल" "कांग्रेस इकनामिक कांउसिल" से पत्रादि मिल रहे हैं, जिनमें युनाईटेड कर्माशियल बैंक के चेयरमैन तथा बैंक के कार्य-निस्पादन के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। जैसी कि सामान्य प्रक्रिया रही है सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करती है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कपड़ा उद्योग को वित्तीय सहायता

3394. **श्री समर गुह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से 1974 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कपड़ा उद्योग को उनके मंत्रालय द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उसी अवधि के दौरान दोनों क्षेत्रों के उत्पादन संबंधी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के कपड़ा उद्योग में उत्पादन में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वाणिज्य मंत्रालय ने 1971-1974 के वर्षों के दौरान सूती वस्त्र उद्योग को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ख) सूती वस्त्र उद्योग (राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों सहित) में कुल उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:-

उत्पादन (लाखों में)

वर्ष	सूत (कि०ग्रा०)	सूती कपड़ा (मीटर)
1971 .	8810	39,570
1972 . . .	9720	42,450
1973	9980	41,690
1974 (अनन्तिम)	10080	42,980

जो मिलें राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन हैं उनके अलग से उत्पादन आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों के उत्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से 82 मिलों के संबंध में 1974 के अन्त तक आधुनिकीकरण कार्यक्रम मंजूर किये जा चुके थे जिनमें लगभग 49 करोड़ रु० का व्यय अन्तर्ग्रस्त था। मार्च, 1974 के अन्त तक 22 करोड़ की राशि की वस्त्र मशीनरी के लिये आदेश प्रस्तुत किये गये जिसमें से 10 करोड़ रु० मूल्य की मशीनरी प्राप्त हो गई थी और उसे मिलों द्वारा संस्थापित कर दिया गया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिए गए विज्ञापनों पर व्यय

3395. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मंत्रियों और प्रबंधकों के फोटो वाले बड़े-बड़े विज्ञापन समाचारपत्रों में देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान ऐसे कितने विज्ञापन दिये गये और उन पर कितनी लागत आई ;

(ग) क्या ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन महंगे कागज पर और सजावट के साथ प्रकाशित किये जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या विज्ञापनों के रूप में और उनके वार्षिक प्रतिवेदनों के भव्य प्रकाशन पर होने वाले ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संगठनों को आदेश देगी; और

(ङ) क्या सरकार मामले की जांच करने के लिये समिति नियुक्त करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सरकारी उपक्रमों द्वारा समाचार-पत्रों में जो विज्ञापन दिये जाते हैं उनमें आमतौर पर मंत्रियों या प्रबंधकों के चित्र नहीं होते हैं। पहले कुछ मामलों में सरकारी उद्यमों के अध्यक्षों के भाषणों के साथ उनके फोटो भी छपवाये जाते थे। लेकिन खर्च में किफायत बरतने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशो के संदर्भ में यह प्रथा अब बन्द की जा चुकी है। सरकारी उद्यमों द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों की संख्या तथा उनकी लागत का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इस सूचना को एकत्र करने में जितना काम करना होगा उसकी तुलना में उतने मूल्य के परिणाम प्राप्त होने की आशा नहीं है।

(ग) वार्षिक रिपोर्ट का केवल आवरण पृष्ठ आर्ट पेपर पर छपवाया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के सभी पृष्ठ आमतौर पर साधारण कागज पर छपवाये जाते हैं।

(घ) सरकार ने सरकारी उद्यमों को ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनमें महंगे कागज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुये इस प्रकार के खर्च में अधिकतम किफायत बरतने पर जोर दिया गया है। इन आदेशों का सरकारी उद्यमों द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ङ) चूंकि पहले ही विशिष्ट अनुदेश जारी किये जा चुके हैं, इसलिये कोई समिति बनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

सरकारी क्षेत्र के निकायों द्वारा वार्षिक रिपोर्टों के लिए महंगे कागज का उपयोग

3396. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी निकाय अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रकाशन में बहुत ही महंगे किस्म के कागज का प्रयोग करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान कागज-संकट के दिनों में कागज के ऐसे दुरुपयोग को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) वार्षिक रिपोर्ट का केवल आवरण पृष्ठ आर्ट पेपर पर छपवाया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के सभी पृष्ठ आमतौर पर साधारण कागज पर छपवाये जाते है।

(ख) और (ग). सरकारी उद्यमों को कागज के उपयोग में अधिक से अधिक किफायत बरतने के संबंध में विशेष तौर पर अनुदेश जारी किये गये हैं। सरकारी उद्यमों को इस आवश्यकता का भली प्रकार ज्ञान है और वे किफायती तरीकों से ही काम कर रहे हैं।

भारतीय फिल्मों की तस्करी

3397. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्मों की तस्करी में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से बाहर तस्करी करके भेजी गई भारतीय फिल्मों की अनुमानित कीमत का वर्षवार ब्यारा क्या है ; और

(ग) फिल्मों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). भारतीय फिल्मों का विदेशों को किये जाने वाले तस्कर-निर्यात की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव नहीं है। जुलाई, 1973 से पूर्व विदेशों को तस्कर-निर्यात किये जाते समय पकड़ी गई भारतीय फिल्मों के मामलों के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे गये। तथापि, जुलाई, 1973 और दिसम्बर, 1974 के बीच तस्कर–निर्यात किये जाते समय पकड़ी गई भारतीय फिल्मों का मूल्य लगभग 5.25 लाख रु० था।

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण-पत्र

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत तस्कर-व्यापारियों की निवारक नजरबन्दी के अतिरिक्त, देश से माल के तस्कर–निर्यात को रोकने के लिये जिसमें फिल्में भी शामिल हैं, निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

सुव्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना तथा संदिग्ध तस्कर–व्यापारियों पर निगरानी रखना, संदिग्ध असबाव तथा पार्सलों की जांच करने में अतिरिक्त सतर्कता बरतना, संदिग्ध जलयानों तथा नौकाओं की तलाशी लेना और समुद्रतट तथा भू-सीमाओं पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में निवारक कार्यवाही करना। सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों, वितरण केन्द्रों तथा सम्पर्क मार्गों पर निवारक चौकियां कायम करने के उपाय किये गये हैं। पश्चिमी पट पर बहुत से स्थलों को जोड़ने वाली एक बेतार संचार व्यवस्था भी कायम की गई है। इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारियों तथा उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है। नार्वे की दस ऐसी नौकाएं प्राप्त की गई हैं जिनमें रडार और अन्य उपकरण लगे हुए हैं तथा आशा है कि दस और नौकाएं इस वर्ष मार्च/अप्रैल तक पहुंच जायेंगी।

स्टैण्डर्ड कपड़े की कीमतों का निर्धारण

3399. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड की कपड़े कीमतों के निर्धारण संबंधी सिद्धान्त क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : संभवतः 'स्टैंडर्ड कपड़े' से अभिप्राय नियंत्रित कपड़े से है, प्रारम्भ में नियंत्रित कपड़े की कीमतें 1964 में अन्तर्निविष्ट साधनों और प्रोसेसिंग प्रभारों और ऊपरी व्यय की लागत के आधार पर निर्धारित की गई थी । 1 अप्रैल, 1974 से नियंत्रित कपड़े की कीमत मई, 1968 में निर्धारित एक्स-मिल कीमत की अपेक्षा 30 प्रतिशत बढ़ा दी गई ।

भारत और गुयाना के बीच व्यापार समझौता

3401. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और गुयाना ने कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) इस समझौते को कब तक पूर्णतया क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले आयात पर लाभ की गुंजाइश के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

3402. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले आयात पर लाभ की गुंजाइश का संकेत देते हुए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे मार्गदर्शी सिद्धान्त कौन-कौन से हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित कच्चे माल के संबंध में कीमत नीति निर्धारित करने तथा उसकी समीक्षा करने के लिये आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कीमत समिति गठित की गई है। निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत, समिति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए सर्विस मार्जन निश्चित किए गए हैं।

श्रीराम बियरिंग लिमिटेड के शेयर होल्डरों/निदेशक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी

3403. **श्री सतपाल कपूर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीराम बियरिंग लिमिटेड के किसी शेयर होल्डर/निदेशक को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है या उनके अहातों में किसी प्रकार का छापा मारा गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन छापों में उनसे कितना माल पकड़ा गया और इस प्रकार पकड़ा गया माल इस समय कहां है और उसकी क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). श्रीराम बियरिंग लिमिटेड एक बहुत बड़ी कम्पनी है जिसकी अभिदत्त, जारी की गयी तथा चुकता पूंजी लगभग 75 लाख रु० की है और 28 दिसम्बर, 1974 तक की बनायी गयी कम्पनी की वार्षिक विवरणी के अनुसार कम्पनी के शेयरधारियों की संख्या लगभग 2700 है। कम्पनी के शेयरधारियों की कुल संख्या काफी बड़ी है और वे देश भर में फैले हुए है। कम्पनी के जिन शेयरधारियों को तस्कर आयात-निर्यात के अरोपों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था अथवा जिनके परिसरों पर किसी प्रकार के छापे मारे गये थे, उनके सम्बन्ध में सूचना देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से और विभिन्न सरकारी संस्थापनों से एकत्र करनी होगी। शेयरधारियों से संबंधित अपेक्षित सूचना को एकत्र करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा जो सम्भवतः प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी खास शेयरधारी/शेयरधारियों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह एकत्र करके सदन पटल पर रखी जा सकती है।

श्री राम बियरिंग लिमिटेड के निदेशकों से संबंधित अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये विदेशों में एजेंसियां नियुक्त करने का प्रस्ताव

3404. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये विदेशों में एजेंसियां नियुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय सहकारी बैंकों का कार्यकरण

3405. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :
श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री डी० डी० देसाई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने नगरीय सहकारी बैंकों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहकारिताओं पर आधारित उनका स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क), (ख) और (ग). इस समय, ऐसे सहकारी संस्थान जिनकी शेयर-पूंजी एवं आरक्षित निधियां एक लाख रु० से ऊपर हैं और बैंक जो संबंधी क्रियाकलापों में लगे हैं, नगरीय सहकारी बैंकों की श्रेणी में आते हैं और उन पर बैंकिंग विनियमन

अधिनियम, 1949 के प्रावधान लागू होते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन इन बैंकों का नियतकालिक निरीक्षण किया जाता है और निष्कर्षों समेत निरीक्षण रिपोर्ट सम्बद्ध बैंकों के पास कमियों को दूर करने के वास्ते भेज दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों को ऋण-नीति के विनियमन और निदेशकों को ऋण जैसे विषयों पर समय-समय पर सांविधिक निदेश भी जारी किये जाते हैं।

इन बैंकों के सही दिशा में विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों के कार्यों की नियतकालिक समीक्षायें भी की जाती हैं । इन समीक्षाओं में, ऋण देने, संसाधन जुटाने, संचालन पद्धति और प्रणालियों विषयक इन बैंकों के परिचालन संबंधी पहलुओं का समावेश किया जाता है ।

राज्यों में नये विद्युत् संयन्त्रों के लिये बैंकों द्वारा धन दिया जाना

3406. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को राज्यों में नये विद्युत संयंत्रों के लिए धन देने की अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि विद्युत-उत्पादन कार्यक्रमों के लिये बैंक ऋण, मुख्यतया विद्युत बोर्डों द्वारा जारी किये गये बांडों। ऋण पत्रों (डिबेन्चर्स) में अंशदान के रूप में होना चाहिए । बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सीमित तथा चयनात्मक आधार पर पम्प सैटों के विद्युतीकरण के लिये अल्पावधिक ऋण प्रदान कर सकते हैं। बैंकों को यह भी अनुमति दी गई है कि वे जिन विद्युत बोर्डों के, लिये बैंकरों का कार्य करते हैं, उनकी कार्यचालन पूंजी और अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अल्पावधिक ऋण दे सकते हैं।

रुपये में व्यापार

3407. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी यूरोपीय देशों के अतिरिक्त वे देश कौन-कौन से हैं जिनके साथ भारत का रुपये में व्यापार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी या इन में से कुछ देशों के साथ रुपये में व्यापार समाप्त करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) नेपाल, उत्तर कोरिया, मिस्र का अरब गणराज्य, सूडान तथा अफ़गानिस्तान। जहा तक अफ़गानिस्तान का संबंध है, उस देश के साथ अधिकांश व्यापार रुपये में किया जाता है परन्तु अफगानिस्तान से आयात किये गये माल का भुगतान आयातकों द्वारा समान मूल्य के भारतीय माल का निर्यात करके किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि

3408. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1975 को (एक) सोने (गोल्ड होल्डिंग्ज), (दो) एस०डी०आर० और (तीन) परिवर्तनीय आरक्षित निधि के रूप में भारत की विदेशी मुद्रा की कुल कितनी आरक्षित निधि थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मांगी गयी सूचना नीचे दी गयी है :—

	(करोड़ रुपयों में) (3 जनवरी, 1975 शुक्रवार को)
सोना	182.53
एस०डी०आर०	179.93
रिजर्व बैंक की विदेशी परिसम्पत्तियां	513.42

इसमें चालू राजस्व वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली गयी 488.12 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से गोआ का लौह-अयस्क निर्यात करने के बारे में निर्णय

3409. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से गोआ का लौह-अयस्क निर्यात करने के बारे में 6 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3405 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से गोआ का लौह-अयस्क निर्यात करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक के लौह-अयस्क के बारे में भी ऐसा ही निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विशवनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) कर्नाटक सहित भारत के अन्य भागों से लौह-अयस्क का निर्यात पहले ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है।

Result of investigations in air accidents

3410. Shri Janeshwar Mishra: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have investigated into the causes of the accidents in which Indian aircraft were involved within the country and abroad during the last one year; and

(b) the results thereof in each case?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Out of the 24 notifiable accidents in which Indian aircraft were involved within the country and abroad during the last one year, 12 cases have been investigated completely, the details of which are given in the enclosed statement. [Placed in the Library. See No. LT-9184/75]. The remaining 12 accidents are under investigation.

Export of Coal to Nepal

3411. Shri Janeshwar Misra: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether according to an Indo-Nepal agreement, India supplies coal to Nepal on priority basis;

(b) whether on the demand note of the Nepal Government, the coal Controller, Calcutta supplies coal to Nepal;

(c) whether Government are aware that coal meant for supply to Nepal is sold in India instead of its being sent to Nepal;

(d) whether Government are also aware that at present coal is not available in Nepal at all and whether some of the Indian coal traders supplying coal to Nepal are doing clandestine business in coal in India itself and do not supply it to Nepal; and

(e) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) to (e). According to the Indo-Nepal agreement, provision is made for the supply of an agreed quantity of coal to Nepal. The programme of movement is issued by the Coal Controller on the recommendation of the Royal Nepalese Consulate General in Calcutta and priority is accorded by railways in allotment of wagons to ensure flow of supplies required by Nepal. Suitable measures are taken to prevent deflection of goods meant for Nepal.

फिल्मों के आदान-प्रदान के लिये भारत-बंगलादेश व्यापार समझौता

3412. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़िल्मों के आदान-प्रदान के लिये भारत–बंगलादेश व्यापार समझौता बिल्कुल क्रियान्वित नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) फ़िल्म आदान-प्रदान व्यापार समझौते की क्रियान्विति की विफ़लता के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) फ़िल्मों के आदान-प्रदान के लिए कोई अलग से भारत-बंगलादेश व्यापार समझौता तो नहीं हुआ था किन्तु 31-12-1975 तक वैध संतुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत फ़िल्मों के आयात तथा निर्यात का समावेश करने के लिए 10 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी । किन्तु भुगतान व्यवस्था संबंधी व्यापार में

असन्तुलन के कारण उठने वाला कुछ कठिनाईयों से फिल्मों का कोई आदान-प्रदान नहीं किया गया। पुरानी व्यवस्था का स्थान नये व्यापार संलेख ने ले लिया है जिसके अन्तर्गत मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के आधार पर फ़िल्मों का निर्यात और आयात किया जा सकता है।

करों की बकाया राशि

3413. **श्री वसंत साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फ़रवरी, 1975 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र में "टैक्स एरियर्स माउन्ट टु रिकार्ड हाई" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में की गई टिप्पणियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां। सरकार का ध्यान 14 फ़रवरी 1975 को 'दि इकानिमिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) जैसाकि समाचार की सारणी 1 से ही स्पष्ट है, सभी प्रत्यक्ष करों की बाबत कर मांगों की बकाया, जो 1969–70 के अन्त में 916.5 करोड़ रु० थी, कम होकर 1972–73 के अन्त में 834.4 करोड़ रु० रह गयी जिससे मांगों की बकाया में 82.1 करोड़ रु० की कमी हुई।

समाचार में की गयी टिप्पणियों में से कुछ टिप्पणियां गलत और/अथवा अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए "कर-निर्धारित आय" शीर्ष के अन्तर्गत सारणी 11 के कालम 1 में कर निर्धारित आय-श्रेणियों का आभास होता है जबकि वास्तव में ये श्रेणियां कर की बकाया से सम्बन्धित हैं। सारणी III में भी जबकि 'देय कर' शीर्ष के कालम 2 के अन्तर्गत आयकर तथा निगमकर की कुल रकम के आंकड़े दिये गये हैं, परन्तु 'वसूल किया गया कर' शीर्ष के कालम 3 के अन्तर्गत किये गये आंकड़े आयकर की वसूली तक ही सीमित है और उसमें निगम कर की वसूली शामिल नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सारणी III के कालम 2 तथा 3 की तुलना नहीं की जा सकती है।

(ग) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे उपयुक्त उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं जिनकी विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों में व्यवस्था की गई है।

निर्यात-आयात बैंक

3414. **श्री वसंत साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में और विशेषकर परियोजना निर्यात के लिये वर्तमान पेचीदा प्रक्रिया से छुटकारा पाने हेतु एक निर्यात आयात-बैंक स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार द्वारा नियुक्त समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि देश में निर्यात-आयात बैंक की आवश्यकता है या नहीं, और यदि है तो, उसके कार्यकलाप क्या होने चाहिए।

(ख) इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र मिल जाने की आशा है।

तम्बाकू व्यापारियों द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

3415. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया टोबेको फैडरेशन ने सरकार का ध्यान तम्बाकू व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादनशुल्क के अपवंचन की ओर दिलाया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा नियुक्त किये गये आयोग ने फैडरेशन के मत का समर्थन किया तथा इन त्रुटियों के लिये तरीके सुझाये ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने उत्पादन-शुल्क के अपवंचन को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 1973 के अपने संकल्प के अधीन नियुक्त की गई तम्बाकू उत्पादन-शुल्क टैरिफ़ समिति द्वारा बम्बई में 17 अक्तूबर, 1973 को किये गये विचार-विमर्श के दौरान संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ, अनुरोध किया था कि धुआं दिये बिना सिझाये गये तम्बाकू पर शुल्क की उच्चतर एवं निम्नतर दरों के बीच प्रवर्तमान अन्तर के कारण तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों में राजस्व की हानि हो रही है और इस लिये इस प्रकार की हानि को रोकने की दृष्टि से इस अन्तर को कम किया जाना चाहिए। समिति ने तम्बाकू के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ़ ढाचे के बारे में अपनी मुख्य सिफ़ारिशें तैयार करते समय उक्त प्रश्न को ध्यान में रखा था।

(ग) 9-1-75 को प्रस्तुत की गई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में समिति ने सिगरेटों के निर्माण के लिये प्रयुक्त होने वाले तम्बाकू से भिन्न सभी प्रकार के अनिर्मित तम्बाकू के लिये एक समान टैरिफ़ दर की सिफ़ारिश की और साथ ही निर्मित तम्बाकू के कतिपय विनिर्दिष्ट उत्पादों अर्थात् ब्रांड नामों के अन्तर्गत बेची जाने वाली बीड़ी तथा खाने की तम्बाकू और सुंघनी तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क की निम्न दर की सिफ़ारिश की।

(घ) सरकार ने समिति की सिफ़ारिशें मोटे तौर पर स्वीकार कर ली हैं और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ़ में परिणामी परिवर्तन करने के बारे में, लोक सभा में, 28-2-1975 को पेश किये गये 1975-76 के बजट में प्रस्ताव किया गया है।

उत्तर-बिहार में विमान सेवा

3416. श्री विभूति मिश्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या उन के मंत्रालय के अधीन नागर विमानन विभाग का कार्य जनता को सुविधायें **प्रदान करना है ;**

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर बिहार की आबादी दो करोड़ से अधिक है, किन्तु वहां कोई विमान सेवा नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : देश में विमान यातायात सुविधायें इंडियन एयरलाइंस द्वारा वायु निगम अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अनुसार प्रदान की जाती हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स से यथा-सभव रूप से व्यापारिक सिद्धान्तों पर कार्य करते हुए विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के प्रतिस्पर्द्धात्मिक दावों और उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुए एक जनोपयोगी सेवा के रूप में कर्त्तव्य पालन की अपेक्षा की जाती है।

उत्तर बिहार स्थित मुज़फ्फरपुर उन 16 नगरों में से एक है जिन के लिये 18-3-1974 से लागू की गयी संशोधित समयावली के अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस ने विमान सेवाओं का परित्याग कर दिया, जिसका कारण विमानन ईंधन में अत्यधिक वृद्धि व उस पर बिक्री-कर का लगाया जाना था। जिस के परिणाम-स्वरूप विमान बेड़े में से डकोटा एवं वाइकाउन्ट विमानों को सेवा से निकालने का भी निर्णय करना पड़ा था। अब तक इन में से किसी भी नगर के लिये पुनः विमान सेवा प्रारंभ नहीं की गई है। विमान-बेड़े की अत्यधिक तंग स्थिति और विमानन ईंधन की बढ़ी हुई लागत के कारण इंडियन एयरलाइंस के लिये निकट भविष्य में मुजफ्फर पुर के लिये विमान सेवा पुनः प्रारम्भ करना संभव नहीं है।

Purchase of Mica by Foreign Countries

3417. Shri Ramavatar Shastri: Will the **Minister of Commerce** be pleased to state the name of the foreign countries which purchase mica from this country and on what terms?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): Bulgaria, Czechoslovakia, France, GDR, Hong Kong, Japan, Netherlands, Norway, Poland, Rumania, U.K., USA, USSR and West Germany are the major buyers of mica from India. Being commercial transactions with the Buyers, the terms are not made public..

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार रक्षा विभाग के अधिकारी की पदोन्नति

3418. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा विभाग के एक ऐसे अधिकारी को पदोन्नति की जा रही है, जिसे पूना में भोरा समिति ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के मामले में गम्भीर अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार ठहराया है ;

(ख) क्या इस अधिकारी को आचरण सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने के लिये पुरस्कृत किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) जी नहीं, श्रीमन्। नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना के कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के मामले में कुछ अनियमितता बताई गई हैं परन्तु श्री एन० डी० मोरे, संयुक्त नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा की जांच से पता चला है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। अतः ऐसी अनियमितताओं के लिये रक्षा लेखा विभाग के किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रक्षा लेखा विभाग में आई० डी० ए० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति

3419. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा विभाग के आई० डी० ए० एस० अधिकारियों और विशेषतया श्रेणी एक के अधिकारियों के स्थानान्तरण को कोई निर्धारित नीति है ;

(ख) क्या उन के लिए एक स्थान पर ठहरने का कोई निश्चित अवधि है ;

(ग) यदि हां, तो 1972 में डिफेंस अकाउन्ट्स के कतिपय कन्ट्रोलरों के स्वीकृत स्थानान्तरण अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं, श्रीमन्। नियंत्रकों की तैनातियों का निर्धारण तथा आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ख) जी, नहीं, श्रीमन्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलादेश से पटसन का आयात

3420. **श्री नरेन्द्र सांघी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के पटसन निर्यात निगम ने भारत को पटसन की चार लाख गांठें निर्यात करने के बारे में सहमति व्यक्त की है ;

(ख) क्या बंगलादेश में चल रहे पटसन के मूल्य ऊंचे हैं और वे भारत में किये जा रहे आयात के लिये लाभप्रद नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगलादेश पटसन निर्यात निगम के साथ बातचीत आरम्भ करने का है ताकि कोई समझौता किया जा सके और हम बंगलादेश से अधिक पटसन खरीद सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) जबकि बंगला देश से पटसन आयात करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्थापना नहीं है, आयातों के लिए कीमतें जब कभी आवश्यक होगा बातचीत के जरिए तय की जाएंगी।

कर्नाटक में हवाई पट्टियां

3421. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कर्नाटक में हवाई पट्टियों के रख रखाव और विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) क्या इनका पूरा उपयोग किया गया है ; और

(ग) हवाई पट्टियों की स्थिति में और सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) : विमान क्षेत्रों का सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस दिशा में परिचालानात्मक आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुये सतत प्रयास किये जाते हैं ।

कर्नाटक में होटल परियोजनाएं

3422. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने कर्नाटक में अपने होटल परियोजनाओं को पूरा कर लिया है ; और

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम की परियोजनाओं के कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान , निम्नलिखित निजी क्षेत्रीय उद्यमों ने कर्नाटक में अपनी होटल प्रायोजनाएं पूरी कर ली बताते हैं ; इनका पर्यटन विभाग द्वारा उनकी विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्तता के दृष्टिकोण से प्रायोजना स्तर पर अनुमोदन कर दिया गया था :—

	होटल का नाम
1—बार्टन, सन एंड कं० प्रा० लि० . .	बार्टन कोर्ट होटल , बंगलौर ।
2—होटल हाईवे प्रा० लि० .	होटल हाईवे, मैसूर ।
3—गुरूप्रसाद होटल्स (प्रा०) लि० . .	होटल कावेरी कांटिनेंटल, बंगलौर ।
4—ईस्ट वेस्ट होटल्स लि०	ईस्ट वेस्ट होटल, बंगलौर ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम बंगलौर में होटल अशोक तथा मैसूर में ललित महल पैलेस होटल का परिचालन कर रहा है । निजी क्षेत्र में उपर्युक्त नए होटलों के चालू किए जाने से इन होटलों के कार्य-निष्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है । निगम हस्सन में एक छोटा मोटल तथा बीजापुर में एक पर्यटक लांज का भी परिचालन कर रहा है । पर्यटन विभाग ने इन दोनों स्थानों पर किसी होटल प्रायोजना का अनुमोदन नहीं किया है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम का उर्वरकों का आयात करने के लिए पोलैंड की एक एजेंसी के साथ करार

3423. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने हाल ही में उर्वरकों का आयात करने के लिये पोलैंड की एक एजेंसी के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पोलैंड भारत को मई से दिसम्बर 1975 के दौरान 230000 मै० टन उर्वरक सप्लाई करेगा ।

उर्वरकों के आयात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम और सोवियत संघ के बीच बातचीत

3424. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आयात किये जाने वाले उर्वरकों के संबंध में हाल ही में नई दिल्ली में सोवियत संघ और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बीच कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत में कोई गतिरोध हुआ था ; और

(ग) ऐसे गतिरोध के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और युगोस्लाविया के बीच करार

3425. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री डी० डी० देसाई :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के विचार से युगोस्लाविया के साथ हाल ही में कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त करार को किस तारीख से लागू किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : अभी हाल ही में युगोस्लाविया के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । तथापि 1972 के भारत-यूगोस्लाविया व्यापार करार के अन्तर्गत स्थापित भारत-युगोस्लाविया संयुक्त समिति की बैठक 10 से 13 फरवरी, 1975 तक नई दिल्ली में हुई । तीसरे देशों में आर्थिक सहयोग से संबंधित उप-समिति की बैठक भी हुई। इस विचार विमर्श की मुख्य विशेषताएं हैं कि युगोस्लाविया के बाजार में संभाव्यता वाली अनेक मदों का पता लगाया गया । भारत में व युगोस्लाविया में तथा तीसरे देशों में औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया । इस पर सहमति व्यक्त की गई कि संबंधित सरकारों, उन के केन्द्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच पूरा परामर्श एवं सहयोग बढ़ाने हेतु उपायों पर विचार करने के लिए बैंकिंग तथा वित्तीय सहयोग संबंधी एक उप समिति स्थापित की जाये।

Sale of Japanese Silk Cloth

3426. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Japanese silk cloth is sold in the bazars of the country cladestinely;

(b) if so, the total value of the goods seized during 1974-75; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b). Government have no information; nor has any seizure of Japanese silk cloth, as distinct from synthetic fabrics, believed to be of Japanese origin, been made during 1974-75.

(c) Does not arise in view of (a) and (b) above.

हथकरघा विद्युत करघा उद्योग में संकट

3427. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् करघा और हथकरघा उद्योगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये, जिन के कारण उनके बंद होने का खतरा है, कोई ठोस उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा उद्योगों की सुदृढ़ता तथा विकास मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । कतिपय राज्यों में अनबिके माल के इकट्ठे हो जाने की सूचना मिली है । इस संबंध में राज्य सरकारों से और अधिक विवरण मांगे गये हैं। राज्य सरकारों

से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद, उपर्युक्त समस्या का समाधान करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई उपाय किये जाने हैं तो उन पर विचार किया जाएगा ।

भारत और बंगला देश के बीच व्यापार करार

3428. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र निर्धारित करने के बाद व्यापारिक सम्बन्धों का विस्तार करने के उद्देश्य से भारत और बंगला देश के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): भारत और बंगला देश के बीच 17 दिसम्बर, 1974 को एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें, आपसी व्यापार में सुधार लाने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए दोनों देशों की ओर से संकल्प व्यक्त किया गया है । संलेख की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं ।

जबलपुर को इंडियन एयरलाइंस के विमान नक्शे में शामिल करना

3429. **श्री मधु लिमये** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जबलपुर, विशाल मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है और वहां पर उस का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय स्थित हैं और यह रक्षा डिपुओं और साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधि का केन्द्र है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस स्थान से नजदीक से नजदीक हवाई अड्डे ग्वालियर, भोपाल और नागपुर में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार खजुराहो और बनारस के बीच एक मध्यवर्ती हाल्ट की व्यवस्था करके इसे इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के विमान नक्शे में शामिल करने के सुझाव पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख): जी, हां ।

(ग) उड़ान-बेड़े की अत्यधिक तंग-स्थिति और विमानन ईंधन के ऊंचे दामों के कारण इंडियन एयर लाइंस निकट भविष्य में जबलपुर के लिये विमान सेवा सम्पर्क स्थापित करने की स्थिति में नहीं है ।

बंगाल वाणिज्य और उद्योग मंडल के आयकर का निर्धारण

3430. **श्री शशि भूषण** :
श्री आर० वी० राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्गम प्रमाणपत्र के शुल्क, विशेष प्रमाण पत्रों के शुल्क, प्रकाशनों पर रायल्टी, 'कलकत्ता लाइसेंस्ड मैसर्स' में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल के साथ

साझेदारी से आय के शेयरों के माध्यम से बंगाल वाणिज्य और उद्योग मण्डल को होने वाले आय का आय-कर अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष निर्धारण किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार बंगाल वाणिज्य और उद्योग मण्डल नियमित रूप से भुगतान करता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28(iii) में व्यवस्था है कि व्यवसायिक अथवा वैसी ही किसी संस्था द्वारा अपने सदस्यों के लिए की गई विशिष्ट सेवा से हुई आय, कर लगने योग्य होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, बंगाल के वाणिज्य और उद्योग मण्डल की उल्लिखित सभी आमदनी पर, उस के सदस्यों से चन्दे और प्रवेश-शुल्क के रूप में प्राप्त आय को छोड कर आयकर निर्धारण किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

हवाई अड्डा प्राधिकरण को सुरक्षात्मक जांच के बारे में अनुदेश

3431. **श्री शशि भूषण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जनवरी, 1975 को दम दम हवाई अड्डे पर कांग्रेस अध्यक्ष को हवाई अड्डे की सुरक्षात्मक जांच की गई थी ; और

(ख) सुरक्षा की दृष्टि से मंत्रियों, दलों के नेताओं, संसद् सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों की जांच के बारे में हवाई अड्डा प्राधिकरणों को क्या अनुदेश हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां । 21 जनवरी, 1975 को दम दम हवाई अड्डे पर कांग्रेस अध्यक्ष की सुरक्षा जांच की गयी थी।

(ख) हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मचारियों को इस संबंध में ये अनुदेश दिए गए हैं कि विमान में सवार होने से पहले सभी बाहर जाने वाले भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुरक्षा जांच की जानी चाहिये। मंत्री और संसद सदस्य इस मामले में अपवाद नहीं हैं किन्तु सुरक्षा जांच के दौरान उनके साथ उचित शिष्टाचार बर्ता जाता है । इस तलाशी/व्यक्तिगत जांच से केवल दूतावासों/मिशनों के प्रमुखों (जिस में प्रभारी राजदूत, कार्य-वाहक उच्चायुक्त जैसे दूतावासों / मिशनों के कार्यवाहक प्रमुख भी सम्मिलित हैं) और राजनयिक वार्तावाहकों को ही छूट है ।

हल्दी का निर्यात

3432. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972–73 की तुलना में 1973–74 के दौरान देश से हल्दी का निर्यात काफी मात्रा में और काफी अधिक मूल्य का हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी वर्षों में निर्यात वृद्धि की उक्त गति बनाये रखी जायेगी; और

(ग) इस निर्यात वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस गति को बनाये रखने के लिये भरसक प्रयत्न करेगी ।

(ग) कुछ विदेशों में, विशेषतः मध्यपूर्व और पूर्व एशिया में मांग बढ़ने से ऐसा हुआ है । इकाई मूल्य प्राप्ति में भी भारी वृद्धि हुई है ।

जीवन बीमा निगम के आन्दोलनकारी डेवेलपमेंट आफीसरों की मांग

3433. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के आन्दोलनकारी डेवेलपमेंट आफीसर अपने वेतनमानों में और सवारी भत्ते में वृद्धि की मांगों के साथ-साथ जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये पालिसी-धारियों को उत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग भी कर रहे हैं : और

(ख) यदि हां तो उनकी मासिक आय की राशि क्या है तथा उन्हें अन्य क्या लाभ मिलते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) यद्यपि हाल ही के बयान में इस पहलू का उल्लेख किया जा रहा है, तथापि विकास अधिकारियों द्वारा भारत के जीवन बीमा निगम की प्रबन्ध व्यवस्था को प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र में पालिसी-धारकों के प्रति की जाने वाली सेवाओं में सुधार का कोई उल्लेख नहीं था ।

(ख) वर्ष 1973–74 में विकास अधिकारी को वेतन, भत्ते, बोनस और प्रोत्साहन इत्यादि के रूप में औसतन 1435 रु० अदा किये जाते थे । यह रकम, चालू वर्ष में उन के महंगाई भत्ते में अतिरिक्त वृद्धि मंजूर किये जाने के कारण और बढ़ जायगी ।

नागर विमानन के बारे में भारत-पाक वार्ता

3434. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां तक दोनों देशों के बीच नागर विमानन का सम्बन्ध है, वार्ता होना निश्चित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वार्ता की कार्य सूची में कुछ समय पहले लाहौर हवाई अड्डे पर एक भारतीय विमान के जलाये और नष्ट किये जाने का भी उल्लेख होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नवम्बर, 1974 में पाकिस्तान में हुई पिछली नागर विमानन वार्ता की समाप्ति पर यह निर्णय किया गया था कि वार्ता को परस्पर सुविधाजनक तिथि को नई दिल्ली में पुनः प्रारंभ किया जाएगा । परन्तु तिथियां अभी तक निश्चित नहीं की गयी हैं । इस संबंध में भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

(ख) इस वार्ता में दोनों देशों से सम्बन्धित नागर विमानन के सभी पहलुओं पर विचार होगा ।

सिंदरी उर्वरक कारखाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन का ऋण

3435. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन, जो विश्व बैंक का सहयोगी है, सिंदरी उर्वरक कारखाने के विस्तार और नवीकरण हेतु 9101 लाख डालर का ऋण दे रहा है ;

(ख) क्या विस्तार कार्यक्रम के पूरा हो जाने के उपरान्त विभिन्न किस्म के उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि होगी, यदि हां, तो प्रत्येक किस्म के उर्वरक में कितनी वृद्धि होगी ; और

(ग) क्या उक्त एसोसिएशन ने इसी अवधि में देश में अन्य उर्वरक कारखानों को भी ऋण दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी हां । सिंदरी आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत सिंदरी में प्रतिदिन 900 मेट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन करने वाले संयंत्र और प्रति दिन 1000 मैट्रिक टन यूरिया तैयार करने वाले संयंत्र की स्थापना किये जाने की व्यवस्था है । विस्तार के इस दौर का और उन अन्य योजनाओं के पूरा हो जाने पर, जिन पर अमल किया जा रहा है, भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी एकक में लगभग 300,000 टन यूरिया 28,500 टन अमोनिया सल्फेट और 326,000 टन सुपर फास्फेट का उत्पादन होने लगेगा ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कोचीन (दूसरा दौर) गोरखपुर विस्तार, नांगल विस्तार और ट्राम्बे (चौथा दौर) नामक उर्वरक परियोजनाओं के लिए भी ऋण दिये हैं ।

कृषि विकास के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा त्रिपुरा में दिया गया ऋण

3436. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा 1972–74 में त्रिपुरा में दी गई ऋण की राशि राज्य की आवश्यकताओं की तुलना में नगण्य हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में पर्याप्त ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) त्रिपुरा राज्य में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि दिसम्बर, 1972 के अन्त में 84 लाख रू० थी जो दिसम्बर, 1973 के अन्त तक बढ़कर 120 लाख रु० हो गयी । इन अग्रिमों में से भारतीय स्टेट बैंक की राशियां क्रमश: 8 लाख रु० और 29 लाख रु० थी। अलबत्ता इन आंकड़ों में वे अग्रिम शामिल नहीं हैं, जो त्रिपुरा राज्य से बाहर अवस्थित बैंक शाखाओं द्वारा दिए गए हैं, किन्तु उनका उपयोग त्रिपुरा राज्य में किया गया है ।

(ख) बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले अग्रिमों का परिमाण मोटे तौर पर आर्थिक गतिविधि के सामान्य स्तर और परिवहन, बिजली, संचार आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की सुलभता के आधार पर निर्धारित किया जाता है । तथापि सरकारी क्षेत्र के बैंक सभी

संक्षप एवम् उत्पादक उपक्रमों के वास्ते, विशेषत: अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में सहायता देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

समानान्तर बैंकिंग संस्थायें चलाया जाना

3437. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गत एक या दो वर्षों से देश में "चिट फंड" के नाम पर समानान्तर बैंकिंग संस्थाएं काम कर रही हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार उन्हें काम करने की अनुमति हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बारे में 6 और 14 अक्तूबर, 1974 को समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क), (ख), (ग) और (घ) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत उन प्रेस रिपोर्टों की ओर है जो "इकानोमिक टाइम्स" में 6 और 14 अक्टूबर 1974 को क्रमश: "चिट आतंक के शमन के लिए कार्रवाई आवश्यक" और "भारतीय रिजर्व बैंक पर आरोप" - चिटों के प्रति उदारता "शीर्षकों के अंतर्गत छपी थी। इन्हें सरकार ने देखा है। इनमें परम्परागत चिट योजनाएं तथा इनामी चिटें / लकी ड्रा / बचत योजनाएं/ बेनीफिट योजनाएं चलाने वाली विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों के कार्य चालन के कुछ पहलुओं का जिक्र किया गया है।

सरकार यह जानती है कि देश में कुछ विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियां चल रही हैं जो परम्परागत चिट व्यवसाय करने के साथ-साथ उनके द्वारा चलाई जाने वाली चिट योजनाओं के लिए अपने सदस्यों से चन्दा वसूल करती हैं। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि परम्परागत चिट फण्ड व्यवसाय करने वाली ऐसी चिट फण्ड कम्पनियों की योजनाएं स्वत: समापी (सेल्फलिक्विडेटिंग) प्रकार की होती है और उनमें भाग लेना परस्पर लाभ की योजनाओं में भाग लेने जैसा है। इसलिए इन कम्पनियों द्वारा अपने सदस्यों से लिए गये चन्दे को उन निदेशों के क्षेत्र से बाहर रखा गया जिन्हें रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग कम्पनियों के जमा-स्वीकार करने के कार्य का नियमन करने के लिए जारी किया है। इन परम्परागत चिट फण्ड कम्पनियों के कार्य पर मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है तथा कई राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट विधान बनाते हैं। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकिंग कमीशन द्वारा जिस आदर्श चिट फंड विधि की सिफारिश की गई है उसपर वह विचार कर रहा है और जिन राज्यों में चिट फंडों का नियंत्रण करने के लिए कोई विधान नहीं है। उनमें इस प्रकार का विधान पास करने की आवश्यकता की ओर उन राज्यों की सरकारों का ध्यान रिजर्व बैंक ने खींचा है।

परम्परागत चिट फण्ड व्यवसाय करने वाली कम्पनियों के अलावा इनामी चिट/लकी ड्रा / बचत योजनाएं / बेनिफिट योजनायें चलाने वाली कई विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों भी पिछले कुछ वर्षों में बन गई हैं। ये कम्पनियां अपनी विभिन्न योजनाओं के सदस्यों से चन्दा लेकर उन्हें अथवा अन्यों को ऋण देती हैं। इन कम्पनियों के चन्दे लेने का काम विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रिजर्व बैंक ने

सूचित किया है कि उसके उक्त निदेशों के उल्लंघन के लिए इन में से कुछ कम्पनियों के विरुद्ध उसने कार्रवाई आरम्भ कर दी है तथा कुछ अन्य कम्पनियों द्वारा जमाएं स्वीकार करने के सम्बन्ध में उसके (रिजर्व बैंक के) निदेशों के अनुसार जांच की जा रही है । इसी प्रकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के उल्लंघन का पता चलने पर कम्पनी कार्य विभाग सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है और आवश्यक होने पर उसने कम्पनी अधिनियम 1956 के खण्ड 209(4) के अंतर्गत ऐसी कम्पनियों के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के आदेश भी दिये हैं ।

गैर-बैंकिंग संस्थाओं के जमाएं स्वीकार करने के कार्य सम्बन्धी वर्तमान विधियों और उन के अंतर्गत जारी किये गये निदेशों को कड़ा करने के बारे में और जिन कमियों का लाभ ये कम्पनियां विशेष रूप से प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां, उठातीं है उन्हें दूर करने के बारे में सिफारिश करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक अध्ययनदल का भी गठन किया है ।

दिल्ली/पटना/कलकत्ता उड़ान की अलाभप्रद व्यवस्था

3438. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की कोई समीक्षा की गई है कि एयर इंडिया का जम्बू विमान कलकत्ता हवाई अड्डे पर क्यों नहीं उतरता ; और

(ख) इसे सीधे दिल्ली-पटना उडान किये बिना दिल्ली-पटना-कलकत्ता उड़ान की अलाभ-प्रद व्यवस्था के क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अन्य विमान-कम्पनियों की भांति एयर-इंडिया अपने विमानों के मार्ग के स्टेशनों के बारे में संभाव्य यातायात सघनता को दृष्टि में रखती है । यातायात, जनन की दृष्टि से बम्बई और दिल्ली भारत / यू० के० / यू० एस०ए० मार्ग पर बोइंग 747 जम्बो विमानों के परिचालन का औचित्य सिद्ध करने में सफल हुए है । यातायात संभाव्यता तथा ऐसी सेवा की आत्मनिर्भरता का मूल्यांकन करने के लिये अक्तूबर, 1972 से मार्च, 1974 के अन्त तक लन्दन और कलकत्ता के बीच बोईंग- 707 विमान द्वारा एक सीधी सेवा परिचालित की जाती रही और यह पाया गया कि कलकत्ते से और कलकत्ता के लिये यातायात की सघनता इतनी नहीं है कि चौड़ी बाड़ी वाले बोइंग-747 जम्बो विमान के परिचालन का औचित्य सिद्ध हो ।

(ख) आई०सी० 409/ 410-दिल्ली / लखनऊ / पटना / कलकत्ता उड़ान तीन राज्यों का हित साधन करती है । पटना का दिल्ली तथा लखनऊ व कलकत्ता से घनिष्ट सम्बन्ध है । इस सेवा द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी का दिल्ली से सम्पर्क बना हुआ है । इंडियन एयरलाइन्स का फिलहाल दिल्ली / पटना के बीच सीधी सेवा के परिचालन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा सेन-रेले साइकिल कम्पनी को दी गई वित्तीय सहायता

3439. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम अथवा भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में आसनसोल स्थित पश्चिम बंगाल की सेन-रेले साइकिल कम्पनी को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त उत्पादन में उद्योग प्रबन्ध और बिक्री के संबंध में कोई सुधार हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय दीर्घकालीन ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं में से केवल भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने मार्च, 1972 से फरवरी, 1975 के बीच सर्व श्री सेन-रेले लिमिटेड को कुल 227.59 लाख रुपये के चार पुनर्निर्माण ऋण मंजूर किये हैं। इस राशि में से 156.35 लाख रुपये कम्पनी को दिये जा चुके हैं। भारत सरकार ने कम्पनी को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है

(ग) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की पुनर्निर्माण सहायता से कम्पनी ने 31 मार्च, 1972 से अपना काम फिर चालू कर दिया है । काम चालू होने के बाद ढाई वर्षों में उत्पादन की मात्रा में कुछ वृद्धि हुई यद्यपि यह वृद्धि उतनी नहीं है जितनी का लक्ष्य पुनर्निर्माण योजना में रखा गया था। अक्टूबर 1974 से उत्पादन की मात्रा में कमी आ गयी है क्योंकि कार्य चालन पूंजी, महत्वपूर्ण कच्चे माल और हिस्से पुर्जों आदि की कमी पड़ गयी ।

कम्पनी के प्रबन्ध मंडल को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर बोर्ड के पुनर्गठन और उस में व्यावसायिक विशेषज्ञों को रखने जैसे उपाय किये गये हैं। महाप्रबन्धक सहित उच्च कार्यकारी अधिकारियों की भरती के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

बिक्री की दृष्टि से, पुनर्निर्माण के प्रथम दो वर्षों में वृद्धि के कुछ आसार दिखायी दिये थे। किन्तु 1974 के आरम्भ से ही मांग की कमी आदि जैसे कई कारणों से बिक्री में कमी आ गई ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पालन किया जाना

3440. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियां 31-12- 1974 तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पालन नहीं करती रही हैं ;

(ख) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया है ; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में अपने पूंजी ढाचे का भारतीयकरण कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) . विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास 12 फरवरी, 1975 तक भारत में काम कर रहीं विदेशी शाखाओं और 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों से 877 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे । बैंक इन प्रार्थना पत्रों की छान-बीन कर रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक इस बात की भी जांच कर रहा है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाली किन विदेशी शाखाओं या भारतीय कम्पनियों ने प्रार्थनापत्र नहीं दिये हैं ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चीन से व्यापार चुनौती

3441. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :
श्री के० मालन्ना :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, विकसित तथा विकासशील देशों में, भारत के विदेश व्यापार को चीन की चुनौती का जबरदस्त मुकाबला करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका के अक्तूबर 1973 के अंक में "ट्रेड पैटर्न आफ चायना एण्ड इंडिया ए कम्पैरिसन" के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस में विकसित तथा विकासशील देशों के साथ चीन के व्यापार के संबंध में ब्यौरा दिया गया है। इस लेख में उठाई गई मुख्य बात यह है कि भारत को, इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में विशेषत: विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में चीन से प्रतियोगिता करनी पड़ती है अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की चुनौती का, जो कि विदेश व्यापार की एक सामान्य बात है मुकाबला हमारे द्वारा और अधिक गहन प्रयास करके किया जा सकता है ।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में पूंजी लगाने वालों को कर में राहत

3442. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में पूंजी लगाने वालों को कर में राहत देने की हाल में घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि नवीनतम व्यवस्था अधिक विषम है क्योंकि पूंजी निवेश की जितनी अधिक आय होगी और जितनी अधिक सम्पत्ति होगी वह कर में उतनी ही अधिक राहत चाहेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : जी, हां । भारत के राष्ट्रपति ने 7 जनवरी, 1975 को न्यास कानून (संशोधन) अध्यादेश [ट्रस्ट लाज (एमेंडमेंट) आर्डीनेंस] जारी किया था जिस में कुछ स्वीकृति-प्राप्त निवेशों के सम्बन्ध में जिन में यूनिट भी शामिल हैं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80एल० के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध 3,000 रुपये की वर्तमान सीमा के अलावा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों से होने वाली 2,000

रुपये तक की आय को आयकर से छूट देने की व्यवस्था की गयी है और इसमें धन कर अधिनियम, 1975 की धारा 5 में उल्लिखित निवेशों के सम्बन्ध में, जिसमें यूनिट भी शामिल हैं, उस धारा के अन्तर्गत छूट की वर्तमान सीमा के अलावा यूनिटों में किये गये निवेशों पर धन कर से 25,000 रुपये तक की और छूट देने की भी व्यवस्था है ।

(ग) और (घ). करों में उपर्युक्त राहत देने का आशय यूनिटों की बिक्री को बढ़ावा देने और यूनिट होल्डरों द्वारा यूनिटों की पुन: बिक्री पर अंकुश लगाना है । यह राहत आय-करदाताओं को दी जाती है और इनकी राशि इस बात पर निर्भर करती है कि उन आयकरदाताओं ने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों में कितना धन लगाया है, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उनकी करयोग्य आय कितनी है और धन कर अधिनियम के अन्तर्गत इनकी करयोग्य सम्पत्ति कितनी है ।

केपरोलेक्टम की खरीद और चीनी की बिक्री के बारे में राज्य व्यापार निगम के निदेशक श्री एस० शुक्ल की विदेश यात्रा

3443. श्री ज्योतिर्मय बसु : (क) क्या यह सच है कि वर्ष 1973 में राज्य व्यापार निगम ने 1,000 टन केपरोलेक्टम खरीदने के लिये बातचीत करने हेतु अपने निदेशक श्री एस० शुक्ल को जापान भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितना और कितने मूल्य का केपरोलेक्टम खरीदा गया ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गोलमाल हुआ था ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या उसी निदेशक को 2,000 टन चीनी बेचने के लिये एक सौदे को अन्तिम रूप देने हेतु लन्दन भेजा गया था ;

(च) यदि हां, तो क्या यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त मात्रा में चीनी का निर्यात 275 पौंड की दर से किया गया था जब कि अधिकतम बोली 350 पौंड की थी ;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 750 अमरीकी डालर प्रति मे० टन लागत बीमा-भाड़ा बम्बई की दर से 1200 मे० टन ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) तथा (छ) प्रश्न नहीं उठते ।

कपड़े का उत्पादन

3444. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1974 के बीच हर प्रकार के कपड़े का वर्षवार कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) वर्ष 1972 से 1974 के दौरान इस कुल उत्पादन में मोटे कपड़े का वर्षवार कितना भाग रहा ;

(ग) जनवरी से दिसम्बर, 1974 के बीच प्रतिमास (एक) फ़ाईन तथा सुपर फ़ाईन कपड़े (दो) मीडियम कपड़े तथा (तीन) मोटे कपड़े के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा गिरावट हुई ; और

(घ) वर्ष 1972 से 1974 के दौरान कपड़े के कुल उत्पादन नियंत्रित कपड़े का वर्षवार कितना भाग रहा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख) मिल क्षेत्र में सूती वस्त्रों का उत्पादन ।

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरों में)	
	मोटा कपड़ा	योग
1972 .	5900	4,2450
1973 . . .	6050	4,1690
1974 (जनवरी—अक्तूबर) . . .	4660	3,5870

(ग) एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—9185/75]

(घ) अवधि	कुल उत्पादन	नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन
	(लाख मीटर)	(लाख मीटर*)
दिसम्बर 1971—दिसम्बर 1972	46130	3990
1973	41690	4270
1974	42440	7570

*नियन्त्रित कपड़े के संबंध में उत्पादन आंकड़े वर्ग मीटरों में रखे जाते हैं और उन्हें 1.1 रैखिक मीटर से 1 वर्ग मीटर के आधार पर रैखिक मीटर में परिवर्तित कर दिया गया है ।

Udaipur Aerodrome

3445. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the contract for widening the runway of the Udaipur aerodrome has been given to M/s Shah and Company:

(b) when was this contract given and what is the schedule time for its completion: and

(c) the extent to which the work has been carried out by the contractor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) The contract for strengthening of the existing runway, apron and taxi track at Udaipur aerodrome has been awarded to M/s. Shah Construction Co. Ltd., Bombay. No widening of the runway is envisaged.

(b) The contract was awarded on 26th November, 1973 and the stipulated period for completion was 18 months.

(c) Material has been collected, equipment installed and the actual work of laying bitumenous pavement started.

लघु उद्योगों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना

3446. **श्री वेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को ऋण संबंधी सुविधायें देने के अपने अधिकारों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). 1974–75 के व्यस्त मौसम के लिये, ऋण नीति उपायों की घोषणा करते समय, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे बैंक ऋण देते समय, अधिक से अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनायें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऋणकर्त्ता एककों को केवल उनके आकार की ही दृष्टि से नहीं बल्कि उनके उत्पादन की किस्म को भी दृष्टिगत रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अपने दुर्लभ संसाधनों का लाभ पहुंचायें। इस नीति के अन्तर्गत "कोर" क्षेत्र और "वेज गुड्ज़" उद्योगों के लिए उपकरण उत्पादन करने वाले लघु औद्योगिक एककों को कम आवश्यक उद्योगों की तुलना में वरीयता दी जानी है। बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने की नीति को व्याप्ति की दृष्टि से और परिष्कृत करें जिससे कि 10 लाख रुपए और उससे कम की ऋण सीमा वाले एककों को इस नीति का विशेष रूप से लाभ पहुंच सके।

Kohinoor Mill Company Ltd., Bombay

3447. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Kohinoor Mill Company Limited, Bombay has taken loan of Rs. 3 crores from a Bank in Bombay some time back;

(b) whether Government are also aware that the cloth mortgaged in the bank by the said Company is about 10 years old the value of which is far below the amount of loan so taken; and

(c) if so, the names of officers who have given such huge amount of loan and whether Government are taking any action against them and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): As the information sought relates to the affairs of a constituent of a bank, it cannot be divulged in accordance with the practices and usages customary among bankers and also in accordance with the provisions in the statutes governing public sector banks.

Issue of licences to Shree Ram Rayons, Kota (Rajasthan)

3448. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3565 on the 6th December, 1974 regarding issue of licences to Shree Ram Rayons, Kota, Rajasthan and state:

(a) whether information in respect of parts (b) and (c) has since been collected;

(b) if so, the main features thereof;

(c) whether the said industry has greatly exceeded the production as specified in the terms and conditions in this regard;

(d) if so, the production specified in the terms and conditions and its actual production; and

(e) the year-wise value of the products exported so far since the commencement of production and the difference between the cost of production and that of the export?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). As per licences No. L|23|5|N-17. Tex(D)|61| dated 22-3-1961 and No. L|23|5|90-Tex.|(F)|65 dated 29th April, 1965, M/s. Shree Ram Rayons were licensed to manufacture rayon tyre cord with a capacity of 5,000 tonnes per annum. The firm have not been manufacturing this item in excess of the sanctioned capacity. Their production of rayon tyre cord during 1973 and January—September, 1974 has been to the extent of 3188 tonnes and 2259 tonnes respectively. Hence, no action on the part of Government is called for in this regard.

(e) As per the information furnished by the Silk and Rayon Textiles Export Promotion Council, export of rayon tyre cord effected by the firm since the commencement of production has been as under:—

(Value in Rs. lakhs)

1971-72	..	38.23
1972-73	..	12.06
1973-74	..	14.17
1974-75	..	17.38

The cost of production of this item by the firm is not available.

Arrears of Income-tax against shareholders of M/s D.C.M. Chemicals and Shree Ram Rayons, Kota.

3449. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Finance** be pleased **to state:**

(a) whether sizable amount of Income-tax was outstanding in 1972-73 and 1973-74 against the shareholders of M/s. Delhi Cloth and General Mills Chemical Ltd. Industries and Shree Ram Rayons Mills, Kota, Rajasthan; and

(b) if so, the names of these shareholders, the amount of income-tax outstanding against each and the action being taken by government to realise the same?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b). There are no companies by the names of M/s. Delhi Cloth and General Mills Chemical Ltd. Industries and Shree Ram Rayons Mills, Kota. "D.C.M. Chemical Works" and "Shriram Rayons" are constituent units of Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd., Delhi. Since the two units are not separate corporate bodies, they do not have any shareholders.

Loans taken by Kohinoor Mill Co. Ltd. Bombay from financial institutions and Banks

3450. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Finance** be pleased **to state:**

(a) the names of the Finance Corporations, Institutions and banks from which Kohinoor Mill Company Limited, Bombay has taken loans during the last three years indicating the conditions and the amount thereof, separately; and

(b) the time by which the said loans would be repaid?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): **(a) and (b). In accordance with the practice and usage customary among bankers and also in conformity with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, information relating to the individual constituents of the banks is not to be divulged. It is therefore, not possible to furnish particulars of loans given by banks to M/s. Kohinoor Mills Co. Ltd.**

None of the five all-India long term financial institutions viz., the Industrial Development Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India, the Life Insurance Corporation of India, the Unit Trust of India and the Industrial Credit and Investment Corporation of India has sanctioned any loan assistance to the company during the last three years.

However, the Company has availed of the facilities under the IDBI's Bills Rediscounting Scheme as a purchaser-user of indigenous machinery, details of which are as under:—

(Rs. in lakhs)

Years (July-June)	Face value of bills discounted	Balance outstanding as on 28-2-75	Due date of last instalment
1971-72	9.97	2.64	22-5-1976
1972-73	..	..	..
1973-74	12.03	9.15	22-12-1978
From 1-7-1974 to 28.2.1975	46.16	46.16	31-12-1979
Total	68.16	57.95	

ब्रिटेन से ऋण

3451. **श्री नूरुल हुडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में भारत ब्रिटेन से 950 लाख पौण्ड का ऋण प्राप्त कर रहा है ;

(ख) करार की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार उस ऋण का उपयोग किस प्रकार से करना चाहती है ; और

(ग) भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां । चालू वित्त वर्ष 1974-75 के लिए ब्रिटेन की सरकार ने 950 लाख पौण्ड के ऋणों के वचन दिये हैं ।

(ख) ब्रिटेन की सरकार के साथ अब तक कुल मिलाकर 594 लाख पौण्ड के तीन ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

	लाख पौण्ड
(1) ब्रिटेन / भारत अनुरक्षण ऋण 1974 (संख्या 2) (12-9-74 को हस्ताक्षरित) . .	300
(2) ब्रिटेन / भारत ऋण पुनर्वित्त ऋण 1974 (संख्या 2) (23-12-74 को हस्ताक्षरित) . . .	94
(3) ब्रिटेन / भारत अनुरक्षण ऋण 1975 (11-3-75 को हस्ताक्षरित)	200
जोड़	594

356 लाख पौण्ड की शेष रकम के ऋण करारों पर (जिनका संबंध ब्रिटेन / भारत मिश्रित परियोजना और पूंजी निवेश ऋणों से है) जल्दी ही हस्ताक्षर किये जाने की सम्भावना है ।

ब्रिटेन / भारत अनुरक्षण ऋणों का इस्तेमाल गैर-परियोजनागत माल अर्थात् सामग्री अतिरिक्त हिस्सों और संघटकों के आयात का खर्च पूरा करने के लिए किया जायेगा । ब्रिटेन / भारत पूंजी निवेश ऋण का इस्तेमाल पूंजीगत माल का आयात करने के लिए किया जायगा । ब्रिटेन / भारत ऋण पुनर्वित्त ऋण 1974 (संख्या 2) कुछ निर्दिष्ट ऋण करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत 1-4-74 से 31-3-75 तक की अवधि में ब्रिटेन सरकार को देय उसे की गयी मूलधन की वापसी/अदायगी की भारत सरकार को पुनः पूर्ति करने के लिए है । यह सहायता ब्रिटेन से माल और सेवाओं की खरीद से संबंधित नहीं है और इस प्रकार यह राशि मुक्त विदेशी मुद्रा का अन्तरण ही है ।

ब्रिटेन / भारत मिश्रित परियोजना ऋणों का इस्तेमाल परस्पर सहमति से चुनी गयी परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

(ग) इन सभी ऋणों की वापसी 25 वर्षों की अवधि में की जानी है जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है और ये ऋण ब्याज या किसी अन्य प्रभार से मुक्त हैं ।

सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क विभागों के इंस्पेक्टरों की नियुक्ति और उनका अन्तरण

3452. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कलेक्टोरेट में सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क इंस्पेक्टरों की नियुक्ति और अन्तरण अंधाधुंध किया जाता है ;

(ख) क्या विभिन्न शाखाओं में अधिकतम समय तक और निम्नतम समय तक ठहरने के बारे में कोई मापदण्ड नहीं है तथा अधिकांश कार्यकारी कर्मचारियों को बिना किसी कारण के लिपिकीय कार्यों पर लगाया जाता है ; और

(ग) क्या दिल्ली कलेक्टोरेट में कार्यकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के भी अवसर नहीं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । सामान्यतः किन्हीं खास एककों/शाखाओं में अपेक्षाकृत अधिक समय से काम कर रहे अधिकारियों को, विशेष प्रशासनिक कारणों को छोड़कर, बदल दिया जाता है । किसी भी कार्यकारी अधिकारी को कार्यालयी कार्य पर नहीं लगाया जाता है ।

(ग) समाहर्ता-कार्यालय दिल्ली में कार्यकारी कर्मचारियों की पदोन्नतियों के संबंध में स्थिति, विभिन्न अन्य केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता-कार्यालयों में उनके साथियों की तुलना में अनुकूल है । कार्यकारी कर्मचारियों की उच्चतर पदों पर पदोन्नति के संबंध में प्रगति रुद्धता (स्टेग्नेजन) एक अखिल भारतीय प्रश्न है परन्तु कुल मिलाकर सरकार, कार्यभार तथा अन्य प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, सम्भव सीमा तक इस दिशा में राहत देने के लिये कदम उठा रही है ।

नेपाल को आवश्यक वस्तुओं का निर्यात

3453. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल की आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को अब सर्वथा वाणिज्यिक सौदे माना जाएगा ;

(ख) क्या नेपाल ने कुछ आवश्यक वस्तुओं के अधिक मात्रा में आवंटन के बारे में अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) . 1975–76 के दौरान नेपाल को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के संबंध में ब्यौरेवार प्रबन्धों को, जिसमें उनकी मात्राएं तथा कीमतें शामिल हैं, शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बैंकों का खोला जाना

3454. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1974 तक वर्षवार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी-कितनी बैंक शाखाएं खोलीं ;

(ख) क्या गत वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यापार में भी कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) . उपलब्ध आंकड़े अनुलग्नक में दिये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9186/75] ।

(ख) और (ग). जी, हां । राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाएं 1973 के अन्त में 8465 करोड़ रुपए से बढ़कर 1974 के अन्त तक 9632 करोड़ रुपए हो गई है । तदनुरूप इसी अवधि में ऋण भी 5912 करोड़ रुपए से बढ़कर 6665 करोड़ रुपए हो गये हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहकों को दी गयी सेवा

3455. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहकों को दी जा रही सेवा का स्तर काफी गिर गया है ; और

(ख) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवा में सुधार करने के लिए बैंकों के प्रबन्धकों और कर्मचारी संघों के परामर्श से सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) . राष्ट्रीयकरण के बाद, राष्ट्रीयकृत बैंकों की गतिविधि में तीव्र तथा व्यापक विस्तार और उनके संसाधनों विशेषतया मानव शक्ति पर पड़ने वाले दबाव का, उनके द्वारा उपलब्ध की जा रही सेवाओं के गुण पर प्रभाव पड़ा है । किन्तु फिर भी उनका यह निरन्तर प्रयास रहा है कि वे अपने ग्राहकों की और अच्छी सेवा करने के लिये समुचित उपाय करें ; जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्र और विषयों में समुचित परिवर्तन करना, तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को भर्ती करना, फार्मों और प्रक्रियाओं को सुगम बनाना, प्रशासनिक ढांचे का विकेन्द्रीकरण, क्षेत्रीय तथा शाखा स्तर पर अधिकारों का प्रत्यायोजन (डेलीगेशन) तथा साथ ही ग्राहक-सेवा में सुधार की दृष्टि से कर्मचारियों तथा प्रशासन में अच्छे संबंधों का प्रोत्साहन ।

(ग) सरकार ने बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट के 'बैंक संचालन की पद्धति और प्रक्रियाएं' शीर्षक ग्यारहवें अध्याय में दी गयी अनेक सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिनमें ग्राहक सेवा समेत बैंक-कार्यों के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हैं । बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे उन सिफारिशों को, जो

मुख्यतः बैंकों की व्यवहार क्षमता और संचालन संबंधी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए दी गयी है, काय रूप में परिणत करने के लिये शीघ्र कदम उठायें जायें।

तस्करी को रोकने के लिए लघु जल-जेट-चालित नावें

3456. **श्री के० मालन्ना :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों में तस्करी रोकने के अभियान को तेज करने के लिए लघु जल-जेट-चालित नावें खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी लागत के बारे में ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तस्करी-विरोधी अभियान में कतिपय कार्यों के लिए छोटी जेट इंजन-चालित नौकाओं को खरीदने के एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में राहत कार्यों के लिये विश्व बैंक से सहायता

3457. **श्री एन० आर० वेकारिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में सूखा राहत के लिए विश्व बैंक से अनुरोध किया है ; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या रुख है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार सूखा संबंधी राहत कार्यों के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगना आवश्यक नहीं समझती है।

सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतनों पर खर्च की गयी राशि

3458. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान भारत सरकार द्वारा वास्तविक राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई।

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतनों (भत्तों सहित) पर कितनी राशि खर्च की गयी ; और

(ग) दोनों मदों पर प्रति वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

844 LS—D—7.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां
1971–72	4027.93	2504.05
1972–73	4578.35	2395.06
1973–74	5072.66	2975.69

इन आंकड़ों में रेलवे, डाक-तार और रक्षा कार्यालय शामिल नहीं है और ये आंकड़ें करों में से राज्यों के हिस्से को घटाकर शुद्ध आंकड़े हैं।

(ख) तत्काल उपलब्ध सूचना के आधार पर रेलवे, डाक तार और रक्षा कार्यालयों के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के वेतनों (भत्तों सहित) पर खर्च की गयी रकमें निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	रकम करोड़ रुपयों में
1971–72	303.68 (वास्तविक)
1972–73	324.68 (संशोधित अनुमान)
1973–74 .	362.68 (संशोधित-अनुमान)

(ग) राजस्व प्राप्तियां

1972–73 . .	13.6% वृद्धि
1973–74 . . .	10.8% वृद्धि

पूंजीगत प्राप्तियां

1972–73 .	4.4% कमी
1973–74 . .	24.3% वृद्धि

वेतनों पर खर्च की गयी रकम

1972–73 . .	6.9% वृद्धि
1973–74	11.7% वृद्धि

इंडियन एयरलाइंस में यात्री किरायों में वृद्धि

3459. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस ने वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 में यात्री किरायों में कितनी बार कब और कितनी वृद्धि की ; और

(ख) हर बार इस प्रकार वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

वर्ष	किराये में वृद्धि की मात्रा	वृद्धि के कारण
1972–73	कोई नहीं।	—
1973–74	(i) 1–4–73 से 5% (5 रुपये की अगली भिन्न, में परिवर्तित)	उत्पाद शुल्क में वृद्धि, राज्य सरकारों द्वारा यथामूल्य आधार पर विमानन ईंधन पर बिक्री कर लगाना, अवतरण शुल्क, आदि ।
	(ii) 1–2–74 से 25% (200 रुपये तक के लिये निकटतम 5 रुपये की भिन्न में परिवर्तित किये गये तथा 200 रुपये से अधिक को 5 रुपये की अगली ऊंची भिन्न में परिवर्तित किया गया)	जून तथा नवम्बर, 1973 में विमानन ईंधन की कीमत में अत्याधिक वृद्धि, विमान के बीमा प्रीमियम में वृद्धि, आदि।
1973–74	कोई नहीं	—

सूती वस्त्र उद्योग का विकास

3460. **श्री टुना उरांव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिये किसी समिति/बोर्ड का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें पूर्वजोन के राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(ग) क्या उक्त बोर्ड में पश्चिम बंगाल से केवल एक सदस्य लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय उन विकास परिषदों से है जो उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम के अधीन स्थापित की जाती हैं। अगर ऐसा है तो इसका उत्तर नकारात्मक है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्राम बीमा निगम के फील्ड अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते

3461. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम बीमा निगम के फील्ड (डेवलपमेंट) अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों की वृद्धि पर जनवरी, 1973 से रोक है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण उन्हें महगाई भत्ते के रूप में कोई राहत नहीं दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इन अधिकारियों को स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दो भूत पूर्व बीमा कम्पनियों, अर्थात् न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और दी ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के विकास अधिकारियों की परिलब्धियों का विनियमन अभी भी पुराने करारों द्वारा किया जा रहा है जिनके अन्तर्गत महंगाई भत्ते में संशोधन, पुराने वेतन-मान में वार्षिक वेतन-वृद्धि और प्रोत्साहनों की व्यवस्था है। सेवा की शर्तों को युक्तियुक्त बनाए जाने तक शेष क्षेत्रीय कर्मचारियों को 1973, 1974 और 1975 में तदर्थ आधार पर परिलब्धियों में वृद्धि दी गई है जो उनके द्वारा किये गये कार्यभार निर्भर रही है।

(ग) क्षेत्रीय कर्मचारियों के वेतन-मानों तथा सेवा की अन्य शर्तो को, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16(1)(छ) के अन्तर्गत एक योजना तैयार करने के उद्देश्य से युक्तियुक्त बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की मांगे

3462. श्री वयालाव रवि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न वर्गों के कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का सारांश क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अतिरिक्त महगाई भत्ते की मांग के समर्थन में बैंक के अधिकारियों ने सभी केन्द्रों पर 10 जनवरी, 1975 को आम आकस्मिक छुट्टी ली थी और 10 फरवरी, 1975 से "प्रक्रिया के अनुसार कार्य" करना आरम्भ किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के वास्ते महंगाई भत्त में संशोधित तदर्थ वृद्धि स्वीकृत किये जाने के बाद अधिकारियों ने 22 फरवरी, 1975 से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बम्बई कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने 27 फरवरी, 1975 से फर्नीचर झाड़ना और पोंछना इस दलील के साथ बंदकर दिया था कि यह इनके काम का भाग नहीं है। चूंकि टेबल और कुर्सी साफ नहीं की गई इसलिए कलेरीकल तथा अन्य

कर्मचारियों ने भी काम करना बन्द कर दिया था। बैंक के प्रबन्धकों के साथ 22 फरवरी, 1975 को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ बम्बई ने अपना आन्दोलन वापिस ले लिया और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने 24 फरवरी, 1975 से झाड़पोंछ का काम आरम्भ कर दिया है।

अहमदाबाद के असैनिक हवाई अड्डे पर एयर टर्मिनल बिल्डिंग

3463. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद से असैनिक हवाई अड्डे पर एयर टर्मिनल बिल्डिंग में सभी आवश्यक सुविधाओं तथा सेवाओं की उचित तथा सम्पूर्ण व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसमें त्रुटियां क्यों रहने दी जा रही हैं; और

(घ) उक्त टर्मिनल बिल्डिंग के नवीकरण तथा उपकरणों पर कुल कितनी लागत आई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) जी, हां। आगमन स्थान और आरक्षण लौंज, यात्री कक्ष, रेस्टोरेंट, शौचगृह, टेलीफोन, सूचना काउन्टर व कार पार्क आदि उपलब्ध हैं। सुरक्षा जांच के पश्चात् यात्रियों के विराम एवं संचालन क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर वृद्धि करने के लिये कुछ मामूली सुधार-कार्य किया जा रहा है। अतिरिक्त फर्नीचर प्रदान किया जा रहा है। लौंजों में भीड़-भाड़ को कम करने के लिये हाल ही में टर्मिनल भवन में टिकटों द्वारा प्रवेश की प्रणाली प्रारम्भ की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) टर्मिनल भवन के विस्तार तथा अन्य अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिये 6.6 लाख रुपये का व्यय।

गुजरात में आयकर अधिकारियों/सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे

3464. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारियों/सीमाशुल्क अधिकारियों ने 1 नवम्बर 1974 और 28 फरवरी, 1975 के बीच अहमदाबाद और गुजरात के अन्य भागों में कुछ व्यक्तियों के रिहायशी और व्यापारिक परिसरों पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिन मामलों में तलाशी पहले ली गयी थी, उनमें आगे क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या कुछ मामलों में किसी को अपराधी नहीं पाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम और ब्यौरे क्या हैं और क्या ऐसे निर्दोष लोगों का जनता में प्रचार किया गया है या उनके बारे में अधिसूचना जारी की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

कांडला निर्बाध व्यापार जोन

3465. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला निर्बाध व्यापार जोन के अधिकारियों को अपने निर्धारित कार्यों को कुशलता से निष्पादित करने के लिए हाल में अधिकार दिये हैं तथा उनकी संख्या में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1972, 1973 और 1974 में कांडला निर्बाध व्यापार जोन ने यदि कोई प्रगति की है तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र बोर्ड से है जिसका पुराना नाम कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र समिति था। बोर्ड का गठन सुव्यवस्थित किया गया है और इसे अधिक व्यापक शक्तियां सौंपी गई हैं ताकि यह कुशलतापूर्वक कार्य कर सके और औद्योगिक लाइसेंसों, पूंजीगत माल के आयात विदेशी सहयोग, अपेक्षित होने पर एकाधिकारी तथा निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार संबंधी क्लियरेंस और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत क्लियरेंस से सम्बन्धित सभी आवेदन पत्रों निर्णय लेने के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर सके।

(ग) जैसा कि निर्यातों से प्रकट होता है, इस क्षेत्र ने निरन्तर प्रगति की है। ये निर्यात 1972 में हुए 128.84 लाख रु०से बढ़कर 1973 में 149.18 लाख रु०के हो गये और 1974 में 218.59 लाख रु० तक पहुंच गये।

इंडियन एयरलाइंस की विमान-उड़ानों के दौरान यात्रियों के सामान का खोया जाना, इधर-उधर हो जाना या क्षतिग्रस्त हो जाना

3466. **श्री की० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाईंस की विमान-उड़ानों के दौरान यात्रियों का सामान खो जाता है, इधर उधर हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उन यात्रियों को जिनका सामान खो जाता है, ऐसे अनिवार्य खर्च के लिए, जो उन्हें करना पड़ता है, शीघ्र और उचित भुगतान किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के सामान को कुशलतापूर्वक एवं सावधानी से लाने ले जाने के लिए अधिकतम प्रयत्नों के बावजूद भी माननीय गलती के कारण, विशेषकर, अत्यधिक यातायात की अवधि के दौरान सामान के एक या दो नग इधर उधर रख दिये जाते हैं अथवा निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचते अथवा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान इण्डियन एयरलाइंस ने औसतन प्रतिमास 2,32,000 यात्रियों का वहन किया और इस दौरान कुल मिला कर सामान के 11 नग ही निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचे अथवा क्षतिग्रस्त हुए।

(ग) और (घ) : खोये गये अथवा क्षतिग्रस्त हुए सामान के लिए सम्बन्धित यात्रियों को उन की तुरन्त आवश्यकता पूर्ति के लिए आर्थिक मुआवजा दिया जाता है और खोये हुए सामान को खोजने तथा उसे यात्रियों को वापिस दिलाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं।

जब्त किये गये माल का निपटान

3467. **श्री एम. कतामुतु** :
डा. हरि प्रसाद शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तस्करों से पकड़े गये माल का निपटान करने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास अभी तक कितने मूल्य का ऐसा सामान पड़ा है और सरकार के सामने इस मामले में क्या कठिनाइयां आ रही हैं ; और

(ग) इस सामान के निपटान हेतु और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) 1-1-1975 को निपटान के लिए बाकी पड़े जब्त किये गये माल का मूल्य लगभग 619 लाख रुपया है । जब्त किये गये माल के निपटान में सरकार को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है । तथापि, निपटान की गति को और तेज करने की दृष्टि से, सरकार ने अभी हाल ही में क्षेत्रीय कार्यालयों को नये अनुदेश जारी किये हैं ।

सूती कपड़ा निर्यात सम्बन्धी कोटे के बारे में भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच गतिरोध

3468. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच समुदाय के देशों को किये जाने वाले सूती कपड़ा निर्यात सम्बन्धी कोटे के सम्बन्ध में वास्तविक गतिरोध था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) वस्त्रों के सम्बन्ध में एक नया करार सम्पन्न करने के लिए युरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बातचीत अभी भी चल रही है ।

उड़ीसा में पर्यटन पर व्यय

3469. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में अब तक पर्यटन पर कितना धन व्यय किया है ;

(ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजनावधि में कितना धन व्यय करने का विचार है ;

(ग) उड़ीसा में क्या विशेष परियोजनाएं प्रारम्भ करने का विचार है ; और

(घ) क्या उड़ीसा में चिल्का झील का विकास करने की भी कोई योजना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह):(क): चौथी योजना के दौरान पुरी में एक युवा होस्टल के निमार्ण तथा भुवनेश्वर में यात्री लाज में सुधार करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 2.35 लाख रुपये का व्यय किया गया था ।

(ख) और (ग) : पुरी में युवा होस्टल को पुरा करने तथा कोणार्क एवं भुवनेश्वर के मन्दिरों के चारों ओर के वातावरण सम्बन्धी सुधार कार्य को पर्यटन विभाग की पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है । इस के अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम का भुवनेश्वर में अपने यात्री लॉज का विस्तार करने तथा पुरी में 3-स्टार वर्ग के एक होटल

की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इन प्रायोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित हो जाने, व्यवहार्यता अध्ययन के सन्तोषजनक परिणाम निकलने तथा नये निर्माणकार्यों पर लगे प्रतिबन्ध को उठा लेने पर ही जिन्हें प्रारम्भ किया जाएगा ।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में चिल्का झील के विकास के लिए कोई स्कीम नहीं है ?

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाईंस के लाभ में वृद्धि के लिए उपाय

3470. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइस के लाभ में वृद्धि करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): जी हां । एयर-इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने प्रबल मितव्ययी एवं उत्पादन वृद्धिपूरक उपाय किये हैं । कुछ उपायों का विवरण नीचे दिया गया है :—

इंडियन एयरलाइंस

(i) विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि तथा राज्य व केन्द्र द्वारा उस पर लगे करों के कारण 16 अलाभप्रद केन्द्रों के लिए विमान सेवाओं की समाप्ति और विद्यमान विमान बेडे का अन्यत्र लाभप्रद मार्गों पर उपयोग ।

(ii) कतिपय अपव्ययी कार्य पद्धतियों की समाप्ति तथा समयोपरि कार्य व अन्य कर्मचारी लागतों में कमी करने के लिए संशोधित शिफ्ट प्रणाली प्रारम्भ करना ।

(iii) मुख्य स्टेशनों पर यातायात व्यबस्था की समाप्ति ।

(iv) चार नये बोइंग—737 विमानों की प्राप्ति जिनमें मई, 1973 में ध्वस्त के बदले विमान में लिया गया विमान भी शामिल है, और 1975 के अन्त में डिलिवरी के लिये दो और विमानों के क्रयादेश द्वारा विमान-बेड़े की अभिवृद्धि ।

(v) कारपोरेशन के विमान-बेड़े से अलाभप्रद विमानों—वाइकाउन्ट व डकोटा का निकाला जाना ।

(vi) इंडियन एयरलाईंस द्वारा क्षेत्रों और मुख्यालय में विभिन्न विभागों में विद्यमान कार्य-पद्धतियों और कार्य प्रणालियों के गहन अध्ययन करने तथा साधनों के अधिकतम उपयोग के बारे में सिफ़ारिश करने के लिए, 'संगठन और प्रणाली दल' नामक एक विशेष दल का गठन किया गया है ।

एयर इंडिया

(i) ईंधन की मूल्य वृद्धि और अन्य लागतों में भी विश्व व्यापी मूल्यवृद्धि के अनुरूप किरायों और दरों को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संगठन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया ।

(ii) (क) खाड़ी और जापान मार्गों पर उड़ानों की अभिवृद्धि; (ख) मालवहन मार्किट से पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए 1975—76 में भारत-यू०के० तथा लन्दन—जापान के बीच पूर्ण मालवाही सेवाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

(iii) अन्य विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा परिचालित चौड़ी-बाडी वाले विमानों की हैंडलिंग प्रारम्भ कर दी गई है ।

(iv) अतिरिक्त यातायात के वहन हेतु विमान-बेड़े की अधिक वृद्धि के लिए दिसम्बर, 1975 में डिलिवरी के लिए एक अतिरिक्त बोइंग–747 विमान का क्रयादेश दे दिया गया है ।

(v) लेबनान की ट्रांस मैडिट्रेनियन एयर लाइंस के विमान इंजनों के ओवरहाल का ठेका प्राप्त किया ।

(vi) यू० के० और जापान के लिए मालवाही सेवायें प्राम्रभ की गई हैं ।

(vii) आस्ट्रेलिया के लिए विमान सेवाओं को दुगना कर और खाड़ी के लिए प्रति सप्ताह पांच से बढ़ा कर छः सेवायें करके अपने विमान-बेड़े की उपयोगिता को बढ़ाया गया है ।

(viii) बिक्री प्रयासों और व्यय नियंत्रण के सुधार के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं जैसे कि (क) पूर्वी तथा पश्चिमी मार्गों पर कार्मिक-विनियोजन की स्लिप प्रणाली को प्रारम्भ करना ; (ख) प्रचार, ऊपरी व्यय में कमी, समयोपरि कार्य, संचार लागत, कर्मचारियों द्वारा यात्रा, आदि में जबर्दस्त कमी और नियंत्रण ; तथा (ग) कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध ।

(ix) लागत में कमी करने की दृष्टि से बोइंग–747 इंजनों के भारत में क्रमिक रुप से पूर्ण ओवरहाल की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में काम कर रहे उड़ीसा के लोग

3471. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में उड़ीसा के कितने व्यक्ति विमान परिचारिकाओं सहित विभिन्न पदों पर काम करते हे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में भर्ती निम्न वर्गों के मामले में स्थानीय रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है तथा उच्च वर्गों पर अखिल भारतीय आधार पर प्रतियोगिता-मूलक चयन परीक्षाओं अथवा टैस्टों द्वारा की जाती है। अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसको एकत्रित करने में काफी समय तथा परिश्रम करना पड़ेगा जिसका कि निष्पादित परिणामों को दृष्टि में रखने हुए कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता।

विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों पर व्यय तथा उनसे आय

3472. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों में व्यापार मेले आयोजन करने अथवा उनमें भाग लेने के लिये गए अधिकारियों के यात्रा और दैनिक भत्तों पर वर्ष वार कितनी धानराशि खर्च की गई ;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, तथा उनकी संख्या कितनी है, प्रत्येक देश में वे कितनी अवधि तक रहे और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) गत तीन वर्षों में भारत ने विदेशों में प्रदर्शनियों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की और उक्त प्रदर्शनियों से कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जानकारी 'क' से 'ख' तथा 'ग' जहां तक वह प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार के अनुमोदित कार्यक्रम के बारे में मेले में भाग लेने तथा प्रदर्शनियों से संबंधित है, निम्नलिखित प्रकार है:-

(क)	1972-73	3.00 लाख रु०
	1973-74	9.24 लाख रु०
	1974-75 (फरवरी) 1974	4.01 लाख रु०

(ख) जैसा कि अनुबंध में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9187/75]

		कुल व्यय	पुख्ता क्रयादेशों के जरिए हुई आय
(ग)	1972-73	24.69 लाख रु०	482.35 लाख रु०
	1973-74	71.13 लाख रु०	1,217.96 लाख रु०
	1974-75 (†फर० 75)	22.57 लाख रु०	746.70 लाख रु०†

†वार्ताधीन व्यवसाय को अन्तिम रूप दिये जाने तक कुल बुक किया व्यय तथा बताई गई आय ।

रूस में अलौह धातुओं का आयात

3473. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस से भारत में, जिनके अतिरिक्त, अन्य किन अलौह धातुओं का आयात किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): तांबा, निकल, प्लैटिनम तथा पैलेडियम।

जर्मन संघीय गणराज्य से शिष्टमंडल का भारत का दौरा

3474. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन संघीय गणराज्य के फ्रैंकफर्ट की एक फर्म डियामान्टैनबोएर्स के शिष्टमंडल द्वारा भारत का दौरा किये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या इस शिष्टमंडल की यह यात्रा हीरों में भारत-जर्मनी व्यापार तथा सहयोग से संबंधित है ; और

(ग) यदि ऐसे प्रस्तावों पर विचार हो रहा है, तो उक्त सहयोग किन शर्तों पर होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) फ्रैंकफर्ट डायमन्ड एक्सचेंज (डायमन्टबोरसे, फ्रैंकफर्ट) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 से 22 फरवरी, 1975 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) तथा (ग) : इस प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य तराशे हुए हीरों तथा अन्य मूल्यवान रत्नों को विकसित करना था। तत्काल उपाय के रूप में, उन्होंने जून, 1975 में फ्रैंकफर्ट में एक प्रदर्शनी (इंडियन जेम स्टोन फेयर) आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

तीसरे देशों में भारत-यूगोस्लाविया संयुक्त उद्यम

3475. **डा. हरि प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूगोस्लाविया ने तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये हाल में क्षेत्रों का पता लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) किस-किस देश में किस-किस प्रकार के उद्यम स्थापित किये जाने हैं तथा प्रत्येक उद्यम में उन देशों का भाग क्या होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : हाल ही में यूगोस्लाव प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत और तीसरे देशों में भारत-यूगोस्लाव आर्थिक सहयोग संबंधी उप-समिति की बैठक, में तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये दोनों देशों के उद्यमों के बीच सहयोग के क्षेत्रों /सैक्टरों का पता लगाया गया। इन में सिविल इंजीनियरी वर्क्स, परामर्श और उपस्कर-सप्लाई शामिल हैं।

(ग) ऐसे संयुक्त उद्यमों में प्रत्येक देश का हिस्सा किस प्रकार का और कितना हो इनसे संबंधित ब्यौरों का प्रश्न तभी उठेगा जब कोई विशिष्ट परियोजना सामने आयेगी और पार्टियों के बीच बातचीत से तय हो जायेगी और ये ब्यौरे संबंधित देशों के नियमों तथा विनियमों की सीमा के अन्दर दोनों देशों के उद्यमों द्वारा मिल कर तैयार किये जायेंगे।

तमिलनाडु में मदिरापान पर पुनः रोक लगाने का पर्यटन पर बुरा प्रभाव

3476. **श्री एस. ए. मुरूगन्तम : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु, में मदिरापान पर पुन: रोक लगाने का राज्य में पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि होटलों को मद्य निषेध से छूट दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : इस संबंध में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं। तथापि यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि अखिल भारतीय मदिरापान परमिट प्राप्त विदेशी पर्यटक तमिलनाडु में अनुमोदित होटलों के परमिट-कक्षों में मदिरापान कर सकते ह।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा विदेशों के दौरे

3477. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में किन किन केन्द्रीय मंत्रियों ने विदेशों के दौरे किये ;

(ख) प्रत्येक दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ग) प्रत्येक मंत्री ने किन किन देशों का दौरा किया ; और

(घ) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य व्यापार निगम के विदेश यात्रा करने वाले अधिकारी

3478. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम के अनेक अधिकारी विदेशों की यात्रा करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है ;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ; और

(घ) क्या उक्त यात्राओं का कोई लाभ हुआ और यदि हां, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। राज्य व्यापार निगम के अधिकारी केवल तभी विदेश दौरे पर जाते हैं जब ऐसा करना निगम की वाणिज्यिक जरूरतों के कारण अनिवार्य हो जाता है।

(ख) तथा (ग) पिछले तीन वर्षों में विदेश के दौरे पर गये अधिकारियों की संख्या और उन दौरों पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :

वर्ष	अधिकारियों की संख्या	खर्च की गई विदेशी मुद्रा
1972 . . .	36	1.78 लाख रु०
1973	38	1.42 लाख रु०
1974	30	1.88 लाख रु०

अधिकारियों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल०टी०--9188/75]

(घ) वार्ताएं संविदाएं करने, दावे निपटाने, बाजार सर्वेक्षण, निर्यात संवर्धन, विदेशी खरीदारों तथा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सरकार अन्य प्रायोजक प्राधिकारियों आदि द्वारा भेजे जाने वाले सरकारी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के रूप में दौरे किये जाते ह।

इन दौरों के फलस्वरूप हासिल किये गये परिण म निगम के कारोबार से प्रकट हैं जो 1971-72 के 263 करोड़ रु० से बढकर 1973-74 में 490 करोड़ रु० तक पहुंच गया।

औद्योगिक वित्त निगम के पास धन की कमी

3479. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम को संसाधनों की कमी का सामना करन पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) से (ग) कई वर्षों से औद्योगिक वित्त निगम सहकारी क्षेत्र की वस्त्र और चीनी मिलों सहित औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता अधिक मात्रा में स्वीकृत करता रहा है । हाल ही के कुछ दिनों में केवल आवेदकों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, चीनी उद्योग जैसे कई उद्योगों की परियोजनायें स्थापित करने की लागत भी बहुत बढ़ गई है और इसके परिणामस्वरूप सावधिक (टर्म) ऋण के रूप में वित्त की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं । निगम अपने रुपया साधनों के लिये मुख्य रूप से पहिले दिये गये ऋणों की वापसी, बाजार वाण्डों के निर्गमन, रिजर्व बैंक आदि से अल्पावधि ऋणों आदि पर निर्भर रहता है, और पिछले कुछ समय से उसे कुछ तंगी का अनुभव हो रहा है । सरकार निगम के साधनों को बढ़ाने के प्रश्न की निरन्तर समीक्षा करती रहती है ।

गया गंगा चाय बागान

3480. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया गंगा चाय बागानों को दी गई राज सहायता की जांच करने के लिये सरकार नियुक्त की गई समिति ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख): गया गंगा चाय बागान के बारे में चाय बोर्ड द्वारा समिति नियुक्त की गई थी और दिसम्बर, 1974 में सरकार द्वारा उसे अनुमोदित किया गया था। इसकी तीन बार बैठक हुई है परन्तु इसने अभी तक अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

केन्द्रीय मंहगाई भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्यों को उसी अनुपात से सहायता देना

3481. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार केन्द्रीय महंगाई भत्ते में होने वाली प्रत्येक वृद्धि पर उसी अनुपात से विभिन्न राज्यों को भी सहायता देती है ताकि वे अपने कर्मचारियों को ऐसा भत्ता दे सकें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : जी नहीं। अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

पर्यटन से आय बढ़ाने के उपाय

3482. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन से आय को बढ़ाने के लिये और उसे मैक्सिको तथा ट्यूनिशिया, जिनकी आय क्रमशः 4.50 प्रतिशत तथा 5.50 प्रतिशत है, ऐसे छोटे देशों के समान स्तर पर लाने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने हैं तो वे क्या हैं ; और

(ख) यदि ऐसा संभव नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न में विनिर्दिष्ट पर्यटन से प्राप्त आय की प्रतिशत मैक्सिको तथा ट्यूनिशिया की राष्ट्रीय आय की तुलना में है। पर्यटन विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1969 तथा 1970 के लिये राष्ट्रीय आय की तुलना में पर्यटन से प्राप्त आय की प्रतिशत नीचे दी गयी है:–

	1969	1970
मैक्सिको	4.29	3.38
ट्यूनिशिया	4.66	5.04
भारत	0.11	0.11

भारत में पर्यटन अभी विकासशील अवस्था में है। पर्यटन के संबंध में हमारा दृष्टिकोण "सामान्य जनसमूह पर्यटन" नहीं है जैसा कि नीचे दी गयी संख्याओं से देखा जा सकता है :–

	1969	1970
मैक्सिको	20,66,000	22,50,000
ट्यूनिशिया	3,73,000	4,11,000
भारत	2,44,724	2,80,821

पर्यटन संबंधी हमारे दृष्टिकोण का निर्धारण हमारी संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये सम्मिलित हे पर्यटक सृजक मार्केटों से दूरी, पर्यटन अभिवृद्धि के लिये आबंटित बजटगत वित्त व्यवस्था तथा उपलब्ध आधारभूत सुविधायें। इन बातों को ध्यान में रखते हुये, 1978 के लिये हमारा लक्ष्य 800,000 पर्यटक निर्धारित किया गया है और इसे प्राप्त कर लिये जाने की हमें आशा है।

सिक्योरिटी पेपर मिल होंशगाबाद के सम्बन्ध में भरती नियमों को नोटिस बोर्ड पर टांगना

3483. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात के क्या कारण हैं कि भरती नियम सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के नोटिस बोर्ड पर भी नहीं लगाये गये है और न हीं कर्मचारी यूनियन को दिये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : औद्योगिक पदों के संबंध में भर्ती नियम अधिसूचित कर दिये गये है और उनकी एक प्रति कर्मचारी यूनियन को पहले ही दी जा चुकी है। चूंकि तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों के संबंध में भर्ती के नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः जब ये अधिसूचित किये जायेंगे तो इनकी प्रतियां कर्मचारी यूनियन को दे दी जायेगी अथवा नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाययेंगी। पहली और दूसरी श्रेणी के पदों की भर्ती के नियम अधिसूचित कर दिये गये हे।

तस्करों की विदेशों में सम्पत्तियां

3484. **श्री एम० एस० पुरती** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरफ्तार किये गये तस्करों की विदेशों में सम्पत्तियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तस्करों को किन-किन देशों में सम्पत्तियां हैं और यह सम्पत्ति किस रूप में हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रवण कुमार मुखर्जी) : (क), (ख) तथा (ग) : स्वयं तस्करी में, विदेश में बेनामी अथवा अन्यथा रखी गई चल सम्पत्ति को देश में अवैध रूप से आयात करना अन्तर्ग्रस्त है। विदेशी मुद्रा की अनधिकृत रूप से संचित रकम और विदेशों में बिना घोषणा के रखी गयी अचल सम्पत्ति के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। भारतीय क्षेत्र में पाये जाने वाले तस्करी के माल के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

इस बारे में गुप्त सूचना रिपोर्टो की पड़ताल की जा रही है।

पर्यटक यातायात के लिए स्थापित मूलभूत ढांचे का कम उपयोग

3486. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने को करेंगे की कृपा कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों में विद्यमान मुद्रास्फीति का इस देश में विदेशी पर्यटक यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटक यातायात के लिये स्थापित मूलभूत ढांचे का कम उपयोग होने की संभावनाएं हैं : और

(ग) उक्त आकस्मिकता का कैसे मुकाबला करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पश्चिमी देशों में पर्यटक जनक मार्किटों में मुद्रा-स्फीति ने निसंदेह भारत सहित कई देशों के लिये पर्यटक आगमन को प्रभावित किया है। परन्तु, जहां तक इस देश का संबंध है, आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि जारी रही तथा 1973 की तुलना में 1974 में 13,266 पर्यटकों की अर्थात् 3.2 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई।

(ख) और (ग) : इस देश में पर्यटकों के लिये अब तक उपलब्ध कराई गई आवास तथा परिवहन सुविधायें उस पैमाने पर नहीं हे जहां कि उनके अपर्याप्त उपयोग की आशंका की संभावना उत्पन्न हो सके।

इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया में उपयोग में लाई जा रही क्षमता

3487. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की यात्री क्षमता क्या है ;

(ख) एयर इंडिया की यात्री क्षमता क्या हैं ;

(ग) दोनों विमान सेवा कम्पनियों में कितनी क्षमता का क्रमश: उपयोग होता है ; और

(घ) प्रति यात्री किलोमीटर परिवहन की लागत क्या है और रेल तथा सड़क परिवहन की तुलना में इसकी क्या स्थिति है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) विमान का प्रकार	विमानों की संख्या	प्रति विमान सीटों की धारिता	कुल
(i) बोइंग-737	10	127	1270
(ii) कैरावेल	9 (पट्टे पर तीन विमानों सहित)	89	801
(iii) वाइकाऊंट	2	48	96
(iv) एफ-27	9	40	360
(v) एच-एस-748 . . .	15	44	660
			3187

(ख) विमान का प्रकार	विमानों की संख्या	प्रतिविमान सीटों की धारिता		कुल
(i) बोइंग 707	9	142	16—प्रथम श्रेणी	144
			126—मितव्ययी श्रेणी	1134
(ii) बोईंग 747	4	349	32—प्रथम श्रेणी	128
			317—मितव्ययी श्रेणी	1268
			प्रथम श्रेणी	272
			मितव्ययी श्रेणी	2402

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के मार्ग—जाल पर विमानों की धारिता का उपयोग, जिसे यात्री-सीट—अनुपात वाहित यात्री किलोमीटरों का उपलब्ध सीट किलोमीटरों से अनुपात के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, निम्नलिखित थी :—

वर्ष	यात्री सीट अनुपात
1973–74 . . .	70.5 प्रतिशत
1974–75 (जनवरी, 1975 तक)	69.4 प्रतिशत

एयर इंडिया

एयर इंडिया में सीट क्षमता अथवा लाग अनुपात, जिसे वर्ष 1973–74 और 1974–75 (जनवरी 1975 तक) के लिये यात्री भार अनुपात के रूप में आंका गया निम्नलिखित था :—

वर्ष	यात्री भार अनुपात
1973–74	56.8 प्रतिशत
1974–75 (जनवरी, 1975 तक) . . .	55.2 प्रतिशत

(घ) इंडियन एयरलाइंस में, 1973–74 के लिए प्रति यात्री किलोमीटर कुल परिचालन लागत 0.34 रुपये थी।

एयर इंडिया में, 1973–74 के लिए प्रति यात्री किलोमीटर कुल परिचालन लागत 0.27 रुपए थी।

1972–73 के दौरान राज्य सड़क परिवहन उद्यम में प्रति यात्री किलोमीटर परिचालन की औसत लागत 3.8 पैसे थी जो कि 44 राज्य परिवहन उद्यमों में से 22 उद्यमों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।

रेलवेज़ पर प्रति यात्री किलोमीटर लागत अभी उपलब्ध नहीं है।

344 LSD—8.

Holiday camps

3488. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the names of the places in the country where there are holiday camps and the annual total administrative and other expenditure incurred thereon;

(b) the objects of these camps and the beneficiaries thereof and in what form they are benefited; and

(c) whether Government propose to provide these facilities to students also?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c). Holiday camps are run by some State Governments and Local authorities; in some cases also for the benefit of their employees. The Central Department of Tourism does not run holiday camps as such, for tourists. At a number of places Youth Hostels have been put up or are in the process of being put for the benefit of Youth.

Recommendations made by Banking Commission in regard to loans to farmers

3489. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the recommendations made by the Banking Commission in regard to making loans available to the small farmers in the country and when these recommendations were made by it and the manner in which these recommendations have been implemented so far;

(b) whether one of the recommendations of the Banking Commission was in respect of opening of small rural banks; and

(c) if so, the names of places in Rajasthan where such banks have been opened?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) and (b). In order to cater to the needs particularly of medium and small farmers as well as of those sections which had in the past been denied credit facilities. the Banking Commission, which submitted its Report in February, 1972, had recommended the setting up of 'rural banks' either as subsidiaries of the commercial banks or by conversion of the well-managed efficient primary co-operative societies, into "rural co-operative banks". The recommendation of the Commission was based on the promise that the jurisdiction over the co-operative agencies would be transferred from the State List to either the Concurrent List or the Union List. Government having considered the implications of the recommendation of the Commission have decided to await for the present, results of several other steps that have been taken in the recent past to facilitate greater flow of finance to the rural sector by increasing the involvement of commercial banks in direct financing of agriculture as also through financing of primary agricultural co-operative societies and farmers' service societies as recommended by the National Commission on Agriculture.

(c) Does not arise.

सूखे से प्रभावित होने वाले राज्यों के लिए विश्व बैंक सहायता

3490. **श्री डो० पी० जदेजा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम में शामिल किया गया है ;

(ख) क्या इसमें गुजरात राज्य को भी शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप इस राज्य के किस-किस जिले को लाभ पहुंचेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के चुने हुए छः जिलों में कृषि उत्पादन और उससे सम्बन्धित क्रियाकलापों को बढ़ावा देने और उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु भारत और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच 3.5 करोड़ अमेरिकी डालर (26.25 करोड़ रुपये के बराबर) के एक ऋण करार पर 24 जनवरी, 1975 को हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

एकाधिकार गृहों/व्यापारियों/उद्योगपतियों की ओर बकाया आयकर

3491. **प्रो० नारायण चन्द पराशरः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में व्यापारियों उद्योगपतियों के विरुद्ध पांच लाख रुपये से अधिक-आयकर की बकाया धनराशि के कोई मामले गत तीन वर्षों से विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यापारियों / उद्योगपतियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक की ओर, वर्ष-वार, कितनी धनराशि बकाया है ; और

(ग) इस धन राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख): आय कर लगाने के प्रयोजन के निमित्त, कर-निर्धारितियों का वर्गीकरण, उनकी आय के स्रोत, पेशे अथवा व्यवसाय के अनुसार नहीं किया जाता है । इस लिए, भारत में व्यापारियों / उद्योगपतियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना अलग-अलग उपलब्ध नहीं है । फिर भी, उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अन्त की स्थिति के अनुसार जिन कर-निर्धारितियों पर, प्रत्येक मामले में निगम-कर सहित आय कर की 5 लाख रु० से अधिक रकम बकाया थी, उन सब की संख्या नीचे दी गयी है:

निम्नलिखित तारीखों के अनुसार	कर-निर्धारितियों की संख्या	
31-3-1972 .	. 1547	भारत के नियंत्रक महा-लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार ।
31-3-1973	.. 1536	
31-3-1974 .	.. 1629	

ये कर-निर्धारिती देश भर में फैले हुए हैं । इसलिए मांगी गयी सूचना इकट्ठी करने में बहुत समय और श्रम लगेगा जो संभवतः प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष कर-निर्धारिती/निर्धारितियों के संबंध में सूचना चाहते हों तो वह इकट्ठी करके पेश की जा सकती है ।

(ग) बकाया मांग की वसूली के लिये ऐसे सभी उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं जिनकी व्यवस्था आयकर अधिनियम 1961 में की गयी है और जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के लिए अनुरूप हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध क्षेत्रों के विस्थापितों से एकत्र की गई धनराशी

3492. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया ने वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध क्षेत्र के विस्थापितों से जमाखातों (डिपाजिट) के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि एकत्र की ;

(ख) क्या इन वर्षों में जमा खातों (डिपाजिट) को आकर्षित करने के लिये हिमाचल प्रदेश के लोगों में से कोई विशेष भरती की गई थी ;

(ग) प्रत्येक उपरोक्त बैंक द्वारा की गई भरती का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन की सेवाएं समाप्त करने के क्या कारण हैं और क्या धन जमा करने के लिये इन बैंकों द्वारा प्रारम्भ किये गये अभियानों में उन के मूल्यवान योगदान को देखते हुए उन्हें शीघ्र पुनः काम पर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) : यथा संभव सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख), (ग) और (घ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक आफ इंडिया ने 1971–73 के दौरान पोंग बांध क्षेत्र के विस्थापितों को जमाखातों (डिपाजिट) में रकम जमा कराने के वास्ते प्रेरित करने के लिये निम्नलिखित अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती की थी :—

पंजाब नेशनल बैंक	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
लिपि वर्ग कर्मचारी —8	क्षेत्र संदेश वाहक— 8
अधीनस्थ कर्मचारी—10	(फील्ड मैसेन्जर्स सं०)

पंजाब नेशनल बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बैंक ने जुलाई 1972 में 'अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संघ' से एक करार किया था जिस से यह तय किया गया था कि बैंक में अस्थाई लिपिक रखने की प्रथा समाप्त कर दी जाय और अस्थाई लिपिक वर्ग के विद्यमान हकदार कर्मचारियों को भर्ती के लिये शिक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए । तदनुसार पोंग बांध क्षेत्र में अस्थाई रूप से कार्यरत हकदार लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया गया । कुल 8 व्यक्तियों में से केवल एक ने परीक्षा/साक्षात्कार में सफलता प्राप्त की । उसे बैंक में स्थाई रूप से नियुक्त कर लिया गया है । जहां तक अधीनस्थ कर्मचारियों का संबंध है, दस के दस व्यक्तियों की सेवाएें समाप्त कर दी गई हैं किन्तु यदि पद खाली हों तो वे अस्थायी नियुक्ति के हकदार हैं ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि तीनों क्षेत्र संदेशवाहकों (फील्ड मैसेन्जर्स) की उनकी नियुक्ति की प्रस्तावित अवधि पूरी हो जाने के बाद सेवा-मुक्त कर दिया गया था ; अन्य पांच व्यक्ति बैंक में अस्थाई रूप से अभी तक नियुक्त हैं। उस क्षेत्र की शाखाओं में जब स्थान खाली हो तो इन क्षेत्र संदेशवाहकों को अपने काडर में चयन के लिये उम्मीदवार होने की अनुमति दे दी जायेगी।

World Bank's team visit to Indore

3493. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether representatives of the World Bank visited Indore, Madhya Pradesh in January, 1975;

(b) whether a proposal for grant of Rs. 17 crores was submitted to them on behalf of the State Government for completion of Narmada project; and

(c) if so, the decision taken by the World Bank so far?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) Yes. Sir.

(b) State Governments have to submit proposals to the World Bank only through the Central Government. No such proposal has been received by the Central Government so far.

(c) The question does not arise.

भारत-नेपाल सीमा पर तकस्री के सामान का पकड़ा जाना

3494. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गये गांजे तथा तस्करी के सामान के बारे में 18 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में 16 नवम्बर, 1974 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में गिरफ्तार किये गये और सजा दिये गये व्यक्तियों तथा तस्करी के गैर-नेपाली मूल के पकड़े गये सामान की मात्रा पहले के वर्ष की तुलना में जो अत्यधिक कमी हुई है उसका कारण भारत-नेपाल सीमा पर जयनगर तथा अन्य स्थानों पर नियुक्त सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारियों की सांठ-गांठ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस के लिये कोई कार्यवाही की गई है और उसके लिये किन किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त मात्रा में कमी आने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जैसा कि 18-8-1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के उत्तर में बताया गया था, कि भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गये तस्करी के माल की मात्रा 1973 में प्रतिदिन 35,037 रु० के मूल्य की थी जो पिछले वर्ष में 29,321 रु० की तुलना में अधिक थी। वर्ष 1973 में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 194 थी, जो उस से पूर्व वर्ष में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की 223 की संख्या से कुछ ही कम थी।

वर्ष 1973 में सजा पाये व्यक्तियों की संख्या मात्र 1 थी जब कि 1972 में वह 8 थी। यहां इस में तेजी से कमी हुई है किन्तु सजायें न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर होती हैं और इस से सीमा शुल्क अधिकारियों के चरित्र के बारे में सीधे कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

यह भी कहा जा सकता है कि जयनगर में नियुक्त सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों की और भारत नेपाल सीमा पर स्थित अन्य स्थानों पर नियुक्त अधिकारियों की इस बारे में सांठ-गांठ का कोई उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों का निर्माण

3495. श्री बनमाली बाबू: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विकास निगम का विचार पर्यटकों के लिए देश के विभिन्न भागों में चार नये होटलों को निर्मित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये होटल कहां-कहां होंगे तथा वे कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे;

(ग) इनके निर्माण पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) क्या इन में से प्रत्येक होटल से होने वाली आय के बारे में भी कोई मूल्यांकन किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (घ). भारत पर्यटन विकास निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में नई दिल्ली, गोवा, मैसूर, पुरी तथा कोवालम में जांच होटलों के निर्माण के लिए 11.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इन प्रायोजनाओं को साधन उपलब्ध होने, व्यवहार्यता अध्ययनों के सन्तोषजनक परिणाम निकलने तथा सीमेंट के प्रयोग पर लगे प्रतिबन्ध को उठा लेने पर ही प्रारम्भ किया जा सकेगा। अतः इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि ये होटल कब से कार्य करना प्रारम्भ करेंगे।

केरल में लघु उद्योगों के विकास के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋन

3496. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केरल में लघु उद्योगों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान ऋण के रूप में कितनी धनराशि पेश की ; और

(ख) तत्सम्बन्धी बैंक-वार तथा जिलावार आंकड़े क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये बकाया अग्रिमों की राशि की जून, 1972, जून, 1973, और जून, 1974 के अन्त की स्थिति निम्नलिखित है :

(राशि लाख रुपयों में)

	अन्तिम शुक्रवार को					
बैंक समूह का नाम	जून, 1972		जून, 1973		जून, 1974	
	एककों/ खातों की संख्या	राशि	एककों/खातों की संख्या	राशि	एककों/खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया समूह	2990	1537.14	5552	1651.25	6742	1861.07
*2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक .	2401	2268.39	3532	2664.21	4001	3236.60
3. कुल सरकारी क्षेत्र के बैंक .	5391	3805.53	9084	4315.46	10743	5097.67

*(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को दिये गये अग्रिमों के आंकड़े जिलेवार एकत्रित नहीं किये जाते हैं। फिर भी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के क्षेत्रीय वितरण के समग्र आंकड़े अब आंकड़ा-संकलन की नयी प्रणाली के अधीन एकत्र किये जा रहे हैं। केरल के जिलों के सम्बन्ध में दिसम्बर 1972 और 1973 के अन्तिम शुक्रवार के, उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9189/75]**

केरल में कृषि-उद्योगों के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रस्तावित धनराशि

3497. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केरल में कृषि सम्बन्धी उद्दश्यों के लिए ऋण के रूप में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि वितरित की; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में किन सामान्य रूप से कृषि सम्बन्धी योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किये गये उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केरल में जून, 1972, जून, 1973 और जून, 1974 के अन्त तक, स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से दिये गये कृषि ऋणों की बकाया की स्थिति निम्नलिखित है :—

केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया कृषि-ऋण (राशि लाख रुपयों में)

	स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राशि का जोड़
जून, 1972	523.17	824.75	1347.92
जून, 1973	448.40	1046.25	1494.65
जून, 1974	572.09	1442.86	2014.95

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) किसानों को प्रत्यक्ष कृषि-ऋण, मौसमी कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए अल्पावधिक फसल ऋण के रूप में दिये जाते हैं। ये ऋण, लघु सिंचाई योजनाओं, पम्पसैट/आयल इंजिनों के लगवाने, ट्रैक्टरों, पावर टिलर्स, कृषि उपकरण और मशीनों, हल के लिए पशुओं को खरीदने, भूमि सुधार तथा भूमि विकास योजनाओं, गोदामों और शीत भण्डारों के निर्माण, पौधा रोपण आदि के लिए विकास-ऋणों के रूप में भी दिये जाते हैं। कृषि से सम्बद्ध कार्यों जैसे डेयरी उद्योग, मुर्गी-पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन के वित्त पोषण के लिए भी ऋण दिये जाते हैं। नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को, कृषि उपकरण के व्यावसायियों को, तथा कृषि सम्बन्धी सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए उद्यमकर्ताओं को अप्रत्यक्ष कृषि ऋण दिये जाते हैं।

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

349. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान किन-किन देशों को प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया गया, प्रत्येक को कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा किन-किन दरों पर किया गया ; और

(ख) भारत के अलावा अन्य कौन से देश अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क)

देशों के नाम	1974–75 में निर्यातित मात्रा	वसूल की गई दर
सिंगापुर .	300 मे० टन	लगभग 877 डालर प्रति टन की दर से 150 मे०-टन तथा लगभग 865 डालर प्रति मे० टन की दर से और 150 मे० टन (एफ० ओ० बी० कोचीन)
सूडान	50 मे० टन	लगभग 350 पौंड प्रति मे० टन की दर से (लागत बीमा भाड़ा कीमत)।

(ख) मलयेशिया, इन्डोनेशिया, थाईलैंड तथा श्रीलंका ।

नारियल जटा-उद्योग से बनी वस्तुओं का निर्यात

3499. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नारियल-जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात पर अधिक ध्यान देना चाहती है तथा क्या इस सम्बन्ध में कोई रूपरेखा तैयार की गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में किन-किन देशों से बातचीत की गई हैं या की जानी हैं ; और

(ग) यह योजना किस तारीख से क्रियान्वित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बातचीत की गई है। अभी हाल ही में कयर उत्पादों के एक बिक्री-सह-अध्ययन दल ने पश्चिम यूरोपीय देशों, सं० रा० अमरीका तथा ब्रिटेन का दौरा किया ।

(ग) गवेषणा तथा विकास की योजनाएं पहले ही क्रियान्वित की जा रही हैं ।

पटसन से बनी वस्तुओं के बारे में निर्यात निरीक्षण परिषद् का प्रतिवेदन

3500. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद् की समिति (पैनल) ने निर्यात उद्देश्यों के लिए पटसन की विशेष वस्तुओं के निर्माण के बारे में अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन कब पेश किया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट पटसन आयुक्त को 13 नवम्बर, 1973 को प्रस्तुत की गई थी। मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके अभी भी विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कलैक्टोरेट द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण औद्योगिक उत्पादन को धक्का

3501. **श्री सी० एम० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलैक्टोरेट द्वारा चालू महीने में कारखानों से माल हटाने पर लगाये गये नितांत असंगत प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए बहुत से औद्योगिक कारखानों ने अपने उत्पादन में पुनः कटौती करनी आरम्भ कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). फरवरी, 1975 के दौरान कारखानों से उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल की निकासी पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण औद्योगिक उत्पादन में उत्पन्न हुई किसी प्रकार की बाधा सरकार के नोटिस में नहीं आई है ।

व्यापार सम्बन्धी करार

3502. श्री के० लकप्पा :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में अन्य देशों के साथ कितने व्यापार सम्बन्धी करार किये गये हैं ; और

(ख) प्रत्येक करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विगत तीन महीनों के दौरान भारत ने, पाकिस्तान, बंगलादेश, ट्यूनीसिया, चेकोस्लोवाकिया गणराज्य, पोलैंड जनवादी गणराज्य के साथ व्यापार करारों/संलेखों/प्रबन्धों पर हस्ताक्षर किये हैं ।

(ख) व्यापार करारों/संलेखों/प्रबन्धों की प्रतियां पहले ही संसद् पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं ।

पर्यटक यातायात में गिरावट

3503. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में अशान्त स्थिति के कारण विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई प्रत्यक्ष कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी पर्यटक भारत के कुछ भागों में जाने से कतरा रहे हैं; और

(ग) देश के उन भागों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं उन्हें 'अशान्त' नहीं कहा जा सकता और जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है, भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हुई है :—

वर्ष	आने वाले पर्यटकों की संख्या
1970 . .	280,821
1971 .	300,995
1972	342,950
1973 .	409,895
1974 . .	423,161

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

आयातित कच्चे काजू के वितरण के बारे में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में 21 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 694 DATED 21ST FEBRUARY, 1975 REGARDING JUDGEMENT OF KERALA HIGH COURT REGARDING DISTRIBUTION OF IMPORTED RAW CASHEW NUT

खेद है कि असावधानीवश 21 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न सं० 694 के भाग (ग) से (ङ), जिसमें यह पूछा गया था कि क्या केरल राज्य काजू विकास निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल सरकार से मिला था, का नकारात्मक उत्तर दिया गया था। आग जांच करने पर मुझे अब मालूम हुआ है कि केरल राज्य काजू विकास निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल वास्तव में दिसम्बर, 1974 में वाणिज्य मंत्री से मिला था और उसने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति सहित काजू के सम्बन्ध में सामान्य प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया। अतः मेरा निवेदन है कि उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) से (ङ) का जो पहले उत्तर दिया गया था उसे ठीक करके अब निम्नोक्त प्रकार पढ़े :—

प्रश्न	उत्तर
(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को केरल राज्य काजू विकास निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था;	(ग) जी हां।
(घ) यदि हां, तो उसकी मांग क्या थी; और	(घ) केरल राज्य काजू विकास निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल वाणिज्य मंत्री से मिला था और उसने अपील न्यायालय से स्टे लेने के लिए शीघ्र तथा प्रभावी कार्यवाही करने के लिए तथा विधान द्वारा वितरण नीति को न्यायिक हस्तक्षेप से निष्प्रभावी बनाने के लिए अनुरोध किया था।
(ङ) उस पर क्या निर्णय लिए गए हैं?	(ङ) एक अपील पहले ही दायर की जा चुकी है तथा केरल उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध स्टे ले लिया गया है।

आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—जारी

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST A.I.R.—Contd.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : एक मामला है जिस पर आपने कृपया..... **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गुजराल के वक्तव्य को देखा है। मुझ से विनिर्णय देने का अनुरोध किया गया है। श्री धारिया ने 5 तारीख को वक्तव्य दिया था। 5 तारीख के समाचार में 'त्यागपत्र' शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री धारिया ने स्वयं मुझे लिखा है कि वह इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने 'हटाया गया' शब्द का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे सभी मामलों में जिनमें प्रधान मंत्री की सिफारिश पर कोई मंत्री त्याग-पत्र देता है, शब्द 'हटाया गया' का प्रयोग किया जाता है। परन्तु इस मामले में शब्द 'त्यागपत्र' का भी प्रयोग किया गया है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : मैं आपका ध्यान आज के इंडियन एक्सप्रैस की ओर दिलाता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने जो कुछ कहा है उससे उत्पन्न प्रश्न के विषय में मैं कहना चाहता हूं। मैंने तथ्यों पर आधारित आपको जो पत्र लिखा है उसमें मैंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि राष्ट्रपति भवन से शासकीय विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी, सूचना तथा प्रसारण मंत्री के लाखों श्रोताओं को तोड़ा मरोड़ा तथा गलत समाचार प्रसारित किया। मंत्री महोदय ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, यदि आप उन्हें देखें तो ज्ञात होगा कि आकाशवाणी के समाचार कक्ष से उसी तरह काम कराया जाता है जिस तरह गैर-सरकारी समाचारपत्रों से। परन्तु आकाशवाणी एक सरकारी संगठन है वह अन्य समाचारपत्रों पर निर्भर नहीं रह सकता। (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : आकाशवाणी के प्रति आपकी कोई भी शिकायत हो परन्तु मेरा सम्बन्ध तो सभा की कार्यवाही से है। जहां तक समाचार प्रसारण के बारे में सामान्य नीति का प्रश्न है आप, उसके विषय में विशेषाधिकार का मामला उठाने के लिए स्वतंत्र है।

श्री मोहन धारिया (पूना) : स्वयं श्री गुजराल ने यह स्वीकार किया है कि आकाशवाणी या दूरदर्शन से प्रसारित समाचार अधिक विश्वसनीय नहीं होते। (अन्तर्बाधा)।

यू० एन० आई० के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST U.N.I.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : श्री मधु लिमये द्वारा दिए गये प्रस्ताव की सूचना को समाचार पत्रों में जिस रूप में प्रकाशित किया गया है वह एक गम्भीर मामला है। मैंने तथा अन्य कई सदस्यों ने इंडियन एक्सप्रैस तथा यू० एन० आई० के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना पर मुझे विचार करना है। इस विषय में नियम यह है कि कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति किसी सूचना का तब तक प्रचार नहीं करेगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा गृहीत और सदस्यों के पास परिचालित न कर दी जाये। चूंकि स्वयं मैं इससे सम्बन्धित हूं इसलिये इसके विषय में मुझे कुछ कहना कठिन अनुभव हो रहा है। मैं प्रस्ताव पर गौर करूंगा। मैं प्रैस की संसद के एक अंग के रूप में सराहना करता रहा हूं। अतः प्रैस का भी जिम्मेदारी है और प्रक्रिया नियमों को जानने की उससे आशा की जाती है। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है सभा को इसके विषय पर किसी भी समय विचार करने का पूरा अधिकार है परन्तु इसकी प्रक्रिया है। सदस्य अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ भी कह सकता है परन्तु अध्यक्ष उसका उत्तर देने के लिए इतने निचले स्तर पर नहीं आ सकता। विशेषाधिकार के विभिन्न पहलुओं पर मुझे विचार करना पड़ेगा।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रक्षा सेवाएं प्राक्कलन, 1975–76

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं रक्षा सेवाएं प्राक्कलन, 1975–76 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-9173/75]।

वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1975

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1975(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 260 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभापटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गये। दखिए संख्या एल० टी०-9174/75]।

इलायची बोर्ड, एर्णाकुलम का वार्षिक प्रतिवेदन, 1973–74 तथा मध्यवर्ती रजक उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1974)।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(1) मैं इलायची बोर्ड, एरणाकुलम के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०–9175/75]।

(2) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मध्यवर्ती रंजक उद्योग को संरक्षण जारी रखने सम्बन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1974) के हिन्दी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1976/75]।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमान, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 13 मार्च, 1975 को अपनी बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 1975 पारित कर दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक

NORTH EASTERN AREAS (REORGANISATION) AMENDMENT BILL

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 1975, सभा-पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : श्रीमान, मैं चालू सत्र के दौरान दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1975

(2) स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1975।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि 17 मार्च, 1975 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज के आदेश पत्र से ली गई सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अध्यादेश, 1975 के निरनुमादन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा और पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर विचार और उसे पास करना।

(3) **निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :**

(अ) वर्ष 1974–75 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(ब) वर्ष 1972–73 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(स) वर्ष 1974–75 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) वर्ष 1975–76 के लिये गुजरात बजट पर सामान्य चर्चा।

(5) **चर्चा और मतदान :**

(अ) वर्ष 1975–76 के लिये लेखानुदानों की मांगों (गुजरात) पर चर्चा तथा मतदान।

(ब) वर्ष 1974–75 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (गुजरात) पर चर्चा तथा मतदान।

(6) वर्ष 1975–76 के लिये पांडिचेरी बजट पर सामान्य चर्चा।

(7) **निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान–**

(अ) वर्ष 1975–76 के लिये लेखानुदानों की मांगों (पांडिचेरी) पर चर्चा तथा मतदान।

(ब) वर्ष 1974–75 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (पांडिचेरी) पर चर्चा तथा मतदान।

8. प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा और प्रैस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर विचार तथा उसे पास करना।

9. वायु सेना और थल सेना विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा और वायु सेना और थल सेना विधि (संशोधन) विधयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर विचार और उसे पास करना।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर): मैं इस सदन का एक गम्भीर मामले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस के कारण गुजरात के हितों की हानि हो रही है। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के साथ एक समझौता किया है जिस के अन्तर्गत मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में कुछ परियोजनाओं के निर्माण को स्वीकृति दी दे दी गई है इसके लिये नर्मदा विवाद पर निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की गई है।

गुजरात के संसद् सदस्यों में से किसी के पास में उस समझौते की अधिकृत प्रति नहीं है। गुजरात विधान सम्बन्धी सलाहकार समिति को भी इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। यह बात बड़ी ही आपत्ति जनक है। इस समझौते का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत प्रशासनिक सरकार ने नर्मदा जल के सम्बन्ध में गुजरात के अधिकारों का सौदा कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार को चार परियोजनाएं निर्माण करने की अनुमति दे दी गई है और इससे उन्हें 100 प्रतिशत जल दिया जायेगा इस से गुजरात को हानि होगी। क्योंकि गुजरात को इस से कोई लाभ नहीं होगा। अतः मंत्री महोदय इस संबंध में अपना ध्यान दे तथा अगले सप्ताह में कुछ समय दिया जाये ताकि इस समझौते पर सदन में बहस हो सके।

श्री वयालर रवि (चिरयिंकील): मैं सरकार का ध्यान सी० एम० सी० हस्पताल, वेल्लौर, तमिलनाडु में चल रही 68–दिन पुरानी हड़ताल की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एक राष्ट्रीय संस्थान है और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को इस संस्था पर गर्व है और इस संस्था में अमीर और गरीब, सब का इलाज किया जाता है। हड़ताल के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका है। तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसा रवैया अपना लिया है कि उन्होंने 6 लाख रुपया ले लिया है और वाणिज्य कर विभाग ने अस्पताल से 5 लाख रुपया ले लिया है। उप–निदेशक और अतिरिक्त निदेशक डा० मथाय को गिरफ्तार किया गया है और उसे गलियों में घुमाया गया। इस सदन के एक सदस्य श्री जी० विश्वनाथन् ने एक वक्तव्य दिया है कि सरकार लोकतंत्र के सिद्धान्त के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। यह खेद की बात है कि तमिलनाडु सरकार ने इस प्रकार का रवैया अपनाया है। अतः मैं आप के माध्यम से, मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह कोई समझौता कराने के लिए बात चीत करें।

श्री आर. पी. उलगनम्बी (वेल्लोर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वेल्लौर हस्पताल में पिछले 68 दिनों से चल रही हड़ताल वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है । वहां के श्रमिक वर्ग और प्रबन्धकों के बीच विवाद है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न आपने कौनसा उठाया है ?

श्री आर० पी० उलगनम्बी: जब वह मामले को आपस में नहीं निपटा सके तो प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों ने तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस पर निर्णय करने का अधिकार मुख्य मंत्री पर छोड़ दिया । मुख्य मंत्री ने एक निर्णय दिया और उसे सभी के द्वारा मान लिया गया था। कल सभी दलों ने एक सूचना दी और हड़ताल रखी ।

श्री वयालर रवि : यह हड़ताल सरकार द्वारा थोपी गई थी ।

श्री आर. पी. उलगनम्बी : राज्य सरकार ने संरक्षण प्रदान करने के लिये सभी कदम उठाये । यह राज्य से सम्बन्धित विषय है, इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये । इस मामले को इस सदन में उठाना असंवैधानिक तथा अलोकतांत्रिक है । इस प्रकार एक खराब परंपरा का निर्माण हो जायेगा । अतः इस पर इस सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो निवेदन कर रहे हैं, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं ।

डा. कैलाश : मैंने तीन दिन पहले इस हस्पताल के बारे में आपको लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि मैं सभी सदस्यों को एक ही समय में बोलने के लिये नहीं कह सकता ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : जैसा कि यह सभा जानती है कि इस समय देश के सामने सब से बड़ा संकट है कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, कपास, जूट, गन्ना तथा अन्य उत्पादों के मूल्यों का तथा उपभोक्ताओं के लिये मूल्यों का इस संबंध में केवल विचौलियों को ही लाभ हो रहा है और वह उप-भोक्ताओं तथा किसानों दोनों का ही शोषण कर रहे हैं दुर्भाग्य से समस्त मूल्य ढांचे का निर्धारण विचौलियों तथा उद्योगपतियों के दबाव तथा मर्जी से किया जाता है । जब तक उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य निर्धारित नहीं किये जाते . . . बजट में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिये की गई व्यवस्था व्यर्थ हो जायेगी । । इसलिये हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में चर्चा हो तथा इसके लिये मैंने तथा अनेक अन्य सदस्यों ने नियम 193 के अन्तर्गत सूचना दी है और मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इस विषय पर चर्चा चाहेंगे। मुझे आशा है कि संसदीय कार्य मंत्री इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे और किसी तिथि का निर्धारण करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : कल के 'इंडियन एक्सप्रैस' में बंगाल में राहत कार्यों के सम्बन्ध में एक समाचार छपा है । केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2 करोड़ रुपया दिया था । इस राशि का बंगला देश राहत कार्यों के लिये वितरण किया जाना था किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने इस रुपये का हिसाब नहीं दिया है ।

पुनर्वास मंत्री श्री खदीलकर ने अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी पश्चिम बंगाल सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।

समाचार पत्रों से यह विदित हुआ है कि बंगलादेश राहत कार्यों सम्बन्धी करोड़ों रुपयों में गड़बड़ी हुई है तथा इस सम्बन्ध में सी० बी० आई० ने जांच भी की है जिस में कुछ मंत्रियों के विरुद्ध विपरीत टिप्पणी दी गई है। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। 2 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। सी० बी० आई० की रिपोर्ट में कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोप है किन्तु उसे प्रकाशित नहीं किया गया। नियंत्रक तथा महालेखाकार द्वारा भी विपरीत टिप्पणी दी गई है। सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है। इतनी बड़ी धन राशि की इस प्रकार की हेराफ़ेरी नहीं होने दी जा सकती। अतः सरकार को सदन के पटल से सम्बन्धित कागजात रखने चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई): अनुसंधान और विश्लेषण विंग के विषय की ओर सदन का अनेक बार ध्यान दिलाया गया है। यह एक बड़ा ही गम्भीर विषय है और इस सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है। आज के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में यह कहा गया है कि अनुसन्धान और विश्लेषण विंग भारत की एक प्रति-गुप्तचर एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। पहले 1965 तक इसे सी० आई० ए० संगठन में प्रशिक्षण मिलता रहा है। तत्पश्चात् रूस ने इस की सहायता करनी आरम्भ कर दी है। कल भी मैं ने इस विषय को उठाया था किन्तु न तो प्रैस ने और न ही रेडियो पर इस सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। कहा जा रहा है कि इस संस्था पर बड़ी बड़ी राशियां व्यय की जा रही हैं। दिल्ली में ही नकली नामों के अन्तर्गत इसके 7 अथवा 8 कार्यालय है। यह संगठन जासूसी का कार्य भी कर रहा है। यह कुछ शरारत पूर्ण गतिविधियों में भी संलग्न है। मैंने इस सदन में बताया कि नेताजी जांच का प्रथम प्रतिवेदन इस संगठन को भेजा गया था और जिन दो अधिकारियों ने इस पर कार्य किया था उन्होंने दण्डित किया गया। बारपेटा चुनाव के समय इस संगठन के महत्वपूर्ण अधिकारी बारपेटा गये थे और वहां पर तरह तरह के अवांछित गतिविधियों में भाग लिया। यह भी समाचार छपा है कि पश्चिम बंगाल में इस संगठन को नक्सलवादियों को चुनचुन कर मौत के घाट उतारा है। यह संगठन क्या है? क्या यह एक भूत है? क्या यह एक रहस्य है? यह संगठन सत्तारूढ़ दल के लिये जासूसी का और राजनैतिक कार्य कर रहा है और जनता इस का व्यय वहन कर रही है। सरकार को इस संगठन के बारे में बताना चाहिये। 'हिन्दुस्तान टाईमस" में पहली बार समाचार छपा है कि देश पर न तो सरकार राज्य कर रही है न ही कांग्रेस बल्कि इस समय देश पर 'संगठन' का राज्य है। अतः सरकार को इस 'संगठन' के सम्बन्ध में इस सदन को जानकारी देनी चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Speaker Sir, I want to say that the two bills passed by the Bihar legislatures are now pending for the approval of the President. Both these laws are very important and these have been passed by the Bihar Legislative Assembly and the Bihar Legislative Council unanimously. These aim at helping the poor people. But they are pending with the President. I want to know from the hon'ble Home Minister about the reasons for the delay in this regard.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): Sir, it has been reported in the 'Hindustan Times' some Russians living in India are keeping an eye on the

activities of all the Government departments and collect information for their country. It has also been reported that

"एयर फ़ोर्स के दो अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया गया क्योंकि वह रूस के हाथों श्रेणीकृत सूचना बेंच रहे थे।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। "हिन्दुस्तान टाईमस" में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि एयर फ़ोर्स अधिकारी रूस के लिये जासूसी कर रहे थे। मैंने पता लगाया है कि इस संबंध में सारे मामले को कल उच्च न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है तथा एयर फ़ोर्स अधिकारियों को एक नोटिस भी दे दिया गया है। एक ही अधिकारी है और वह भी निर्दोष साबित हो गया है। मेरे पास संबंधित कागजात हैं।

श्री श्यामनंन्दन मिश्र (बेगुसराय): सरकार को इस सम्बन्ध में प्रकाश डालना चाहिये . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सरकार इसका उत्तर देगी।

Dr. Laxminarain Pandeya: It has also been reported that a large sum of money has changed hands. This thing has been going on since long. The Government should make a statement to clear the situation.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच जो सीमित नर्मदा समझौता हुआ बताया जाता है कि उस के बारे में समाचार पत्रों में पिछले कई दिनों से समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। इस समझौते की दिशा में श्री जगजीवन राम ने पहल की है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में लोकप्रिय मंत्रि-मंडल न होते हुए भी यह समझौता कैसे हो गया। प्रधान मंत्री को याद होगा कि उन्होंने नर्मदा जल विवाद को स्वयं दो वर्ष तक स्थगित रखने के बाद यह तर्क देते हुए कि गुजरात में लोक-प्रिय मंत्रि-मण्डल नहीं है, न्यायाधिकरण को सौंप दिया था।

गुजरात सम्बन्धी सलाहकार समिति में मैंने पिछले वर्ष के दौरान चारों बैठकों में नर्मदा जल विवाद का मामला उठाया था, परन्तु उस समय इस समझौते का तनिक भी संकेत नहीं दिया गया। गृह-कार्य मंत्री अगले सप्ताह इस के स्पष्टीकरण के लिए वक्तव्य दें। निस्संदेह यह समझौता राजनीतिक लाभ की दृष्टि से ऐसे समय पर किया गया है जब कि गुजरात में चुनाव बहुत ही निकट भविष्य में होने वाले हैं। यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि संसद् को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान नहीं दिए गये हैं और अध्यापक इन वेतन मानों की मांग कर रहे हैं लेकिन गुजरात में लोक प्रिय मंत्रि मंडल न होने के कारण गुजरात प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यदि अध्यापकों ने हड़ताल की, तो इसका उत्तरदायित्व गुजरात प्रशासन पर होगा। अतः शिक्षा या गृह मंत्री इस मामले की जांच करें।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं क्रिश्चियन मेडीकल कालेज, वेलोर, तामिलनाडु में उत्पन्न हुई हृदय विदारक स्थिति की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री आर० पी० उलगनम्बी: यह राज्य का मामला है। अतः मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह मामला इस सदन में उठाना असंवैधानिक और अलोकतन्त्रीय है। श्रीमान, आप इस बारे में अपना विनिर्णय दें।

डा० हेनरी आस्टिन: मैं यह मामला संविधान के अनुच्छद 131 (क) के अन्तर्गत इस सदन में उठा रहा हूं। यह कालेज संविधान के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है और अल्पसंख्यकों की संस्था है। इसमें हजारों रोगी चिकित्सा करा रहे हैं। इसलिए मानवीय कारणों से भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री आर० पी० उलगनम्बी: जब राज्य सरकार तमिलनाडु में रहने वाले अल्पसंख्यकों को संरक्षण दे रही है तो इस मामले को यहां उठाने की क्या आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: अल्पसंख्यकों को कम से कम एक मिनट तो बोलने का अधिकार है।

डा० हेनरी आस्टिन: वेल्लोर मेडीकल कालेज का अस्पताल अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का अस्पताल है। पिछले दो महीनों से वहां पर सभी सुविधाएं बन्द पड़ी हैं और प्रसिद्ध डाक्टरों को परेशान किया जा रहा है। (**अन्तर्बाधाएं**)। मैं सरकारी अधिकारियों और कालेज के अधिकारियों के बीच हुये पत्र व्यवहार की एक फोटो प्रति प्रस्तुत करता हूं जिससे यह ज्ञात हो जायेगा कि इस संस्था को पुलिस की प्राथमिक सुविधा देने के लिए सरकार ने 5,85,500 रुपये खर्चा लिया है। केन्द्रीय सरकार को यह मामला अपने हाथ में लेना चाहिए। पुलिस संरक्षण प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यह जनकल्याणकारी संस्था है।

श्री वयालार रवि: यह एक राष्ट्रीय संस्था है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी: नहीं, यह निजी प्रबन्धकों द्वारा व्यापारिक आधार पर चलायी जा रही संस्था है। अतः यह मामला इस सदन में नहीं उठाया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु: यह अमरीकी मिशनरियों द्वारा चलायी जा रही संस्था है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे ज्ञात नहीं। जो कुछ जानकारी आनी है वह सरकार के माध्यम से आयेगी।

डा० हेनरी आस्टिन: मैं फोटो प्रतिलिपि सभा पटल पर रखता हूं।*

श्री सेझियान (कुम्बाकोणम): चाहे यह संस्था अल्प संख्यकों की हो या बहुसंख्यकों की, हम सभी इस बारे में चिन्तित हैं। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई सुविधा बन्द नहीं की गई है। राज्य सरकार ने पुलिस का प्रबन्ध करने के लिए खर्चा मांगा गया। इसके औचित्य के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु यह प्रश्न उठाने के लिए यह समुचित स्थान नहीं है क्योंकि जो प्रश्न उठाया जाये उसका उत्तर देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए।

---

*अध्यक्ष महोदय द्वारा तदन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किये जाने के कारण दस्तावेज सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला इस सभा में लाने की बजाय आप वहां जाकर स्वयं उसे सुलझायें ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पनः मध्य प्रदेश के बेलाडीला क्षेत्र में ठेकेदारों की साठ-गांठ से राष्ट्रीय खनन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा जो सरकारी धन की एक बहुत बड़ी रकम निरर्थक खर्च की जा रही है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । ह अधिकारी एक पहाड़ में सुरंग क निर्माण करना चाहते हैं । इसका निर्माण अब ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका है कि उस सुरंग में भयंकर गति से पानी चल रहा है और आगे निर्माण रोक देना पड़ा है । इसका कारण यह है कि इस निगम ने ठीक ढंग से भूगर्भीय सर्वेक्षण नहीं किया था जो सर्वेक्षण किया उसके निष्कर्षों का अध्ययन नहीं किया इससे खनन कार्य बन्द पड़ा है । सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपकी अनुमति से मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं जोकि लेफ्टिनेंट जर्नल जैसे बड़े बड़े सैनिक अधिकारियों द्वारा सेना के लिए कम्बलों की खरीदारी में किये गये घोटाले के बारे में है । इसका उल्लेख लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में है कि इन अधिकारियों ने जिनके ऊपर हमारे सैनिकों के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने का उत्तरदायित्व था, निजी व्यापारियों से साठ-गांठ करके सरकार को धोखा दिया और देश की सैनिक कार्यक्षमता को घटाया । समिति ने यह सिफारिश की कि इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए । परन्तु यह कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है । उस कर्मचारी को जिसने इसका सुराग केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया, नौकरी से निकाल दिया गया । माननीय मंत्री शीघ्र इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री का ध्यान उस हानिकर निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना, सतपुड़ा और चम्बल बिजली परियोजनाओं को भाखड़ा के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव है जबकि इस विषय में राजस्थान और मध्य प्रदेश की राय विपरीत है । राजस्थान में बिजली की दैनिक खपत फरवरी, 1975 तक बढ़कर 83 लाख यूनिट और मार्च, 1975 तक 86 लाख यूनिट हो जायेगी जबकि बिजली की दैनिक उपलब्धि केवल 72 लाख यूनिट है । जब राजस्थान में पहले से ही बिजली की इतनी कमी पड़ रही है तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 15 लाख यूनिट प्रतिदिन की बिजली की मांग को कैसे पूरा किया जा सकेगा ।

अतः इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए या मंत्री महोदय वक्तव्य दें ।

श्री नूरुल हुडा (कछार): क्रिश्चियन मैडीकल कालेज, वेल्लोर, का मामला इस सभा में आज ही उठाया जा चुका है । दुर्भाग्यवश वहां पर पिछले ढ़ाई महीने से विवाद चल रहा है जोकि बहुत गम्भीर है । अतः मेरा अनुरोध है कि श्रम मंत्री और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री तमिलनाडु सरकार से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर उसे सभापटल पर रखें और इस विवाद को, जितना शीघ्र हो सके, सुलझाने में मदद करें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्रीमान, कल देश भर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते के बारे में विरोध दिवस मनाते हुये यह मांग की है कि 15 मार्च, 1975 को महंगाई भत्ते के बारे में होने वाली बातचीत में केन्द्रीय सरकार को कर्मचारियों के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये, महंगाई भत्ते की जो चार किश्तें देय हो चुकी हैं उन्हें तुरन्त दिया जाये, 31 दिसम्बर, 1974 तक के महंगाई भत्ते की बकाया देय रकम भविष्य निधि में जमा करने का आदेश

वापस लिया जाये, और प्रस्तावित बातचीत के विषय पहले से सूचित किये जायें। कृपया वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में आज ही अपना वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Banka): Some difficulties have arisen in the import of material from Russia for the MIG factory at Ozar. It is alleged by the Soviet Union that these difficulties are due to the defaults of our authorities. But the team set up to enquire into he matter has reported reversely.

There is an agreement between India and Soviet Union that each party shall respect the independence, sovereignty and territorial integrity of the other party. On the other hand, it has been reported in the press that two Air Force men spied for U.S.S.R. Does such activity conform to this friendship? It has also been reported in the press that trucks and jeeps meant for disposal to ex-servicemen have been sold out in thousands on the basis of ghost release orders and applications and a large number of people have earned huge profits. It also relates to ordinance and is concerned with the Defence Ministry.

While concluding, I want to say that some of the retiring army officers are reported to be found in possession of excessive assets which cannot be their earned assets. It is imperative that the working of our armed forces and the Defence Ministry should be blameless in the interest of the defence of the country. Corruption among defence forces should not be allowed. The Minister should give clarification in this regard.

Shri Sharad Yadav (Jabalpur): Sir, 36 workers of the Jabalpur Ordnance Factory have been suspended. One worker has been dismissed and fire was also opened by the police in the premises of the factory.

The factual position is this that a worker was beaten. Some people made a demand for taking action against the persons responsible for this. When the General Manager came at 11 A.M. he brought the police with him and the police started beating the whole of the workers.

A labour leader, who saved the lives of three children from a fire which broke out in the colony. has also been dismissed.

Now, I refer to the irregularities being committed by them. A worker was issued a charge-sheet in English. When the worker told them that he did not know English, the information about the case might be given to him in Hindi, the General Manager wrote to him

"फैक्टरी के पास हिन्दी में अनुवाद करने का प्रबन्ध उपलब्ध नहीं है यदि वह मजदूर चाहे तो उसका अपनी ओर से अनुवाद करा सकता है।"

If you kindly allow me. I can place the copy of the letter on the Table of the House. Hindi is the language of the Central Government. The General Manager has shown disrespect to Hindi in writing.

The General Manager is empowered to the extent that he can transfer A Grade Supervisors but he has misused powers. Moreover, he is showing disrespect to our national language, openly. The Defence Minister should make a statement in this regard.

Moreover, a number of thefts have also occurred in the factory. It seems that the thefts are being committed with the connivance of the big officers. The hon'ble Minister should make a statement in this regard also.

श्री एस० एम० बनर्जी: मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। इस अधिकारी के विरुद्ध बड़े ही गम्भीर आरोप हैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही होनी ही चाहिए।

Shri R. R. Sharma (Banda): Atrocities are being perpetrated on the Harijan labourers by the assistant Engineer and contractors in Banda district. Harijan women are being raped there daily. I would like to draw the attention of the honourable Minister to a news reported in "Motherland" under the caption "cops burn hut after girl's refusal to yield". Two Maharashtra police cops wanted to rape a 21-year adivasi girl, when she resisted, her hut was set on fire. Keeping in view the incidence of such atrocities, it is imperative that this subject should be discussed in the House.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): Lastly when I draw the attention of the Prime Minister to the alleged corruption in Maruti limited, she has denied it. But now there are press reports that Smt. Sonia Gandhi has resigned from the post of director of the Technical Services of Maruti Limited because there was lot of burgling in these services.

Again, it is being talked that Smt. Sonia Gandhi and her parents have built a seven-star hotel in Italy. The capital of the country is finding its way in foreign countries in surreptious way. It is very deplorable situation. Allegations of corruption are being levelled against persons holding high positions. We want that the guilty should be punished for it even if the guilty person happens to be the Prime Minister herself or a person of some lower status.

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं इस मामले को उठा रहा हूं क्योंकि श्री रघु रमैय्या ने मुझे पत्र लिखा है कि श्री तुलमोहन राय के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है इसलिये सदन में इस विषय पर बहस नहीं की जा सकती। किन्तु मेरे विचार से यह बहस होनी ही चाहिए क्योंकि इसका संबंध एक सदस्य के व्यवहार से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय ने भी इस संबंध में अपनी व्यवस्था दे दी है और श्री रघु रमैय्या शायद उसे भी नकार कर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र का उल्लंघन किया है उन्होंने कहा है, "मेरे विचार में अध्यक्ष द्वारा 31 मई को दी गई व्यवस्था इस मामले में लागू नहीं होती है।"

1967 में तथा अभी हाल में दी गई आपकी दोनों ही व्यवस्थाओं से हमें इस मामले में सहायता मिलती है। वास्तव में वह हमारा स्पष्ट दिशा निर्देश करती है कि यह सदन इसलिए अपने अधिकार का त्याग नहीं कर सकता कि उस सदस्य के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है।

दूसरी बात यह है कि विदेश व्यापार मंत्री के विशेष सहायक श्री एन० के० सिंह का नाम सी० बी० आई० रिपोर्ट में बार-बार आया। इसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है किन्तु सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रधान मंत्री से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि श्री एन० के० सिंह का सामान, जब विदेश से आया तो पालम पर तलाशी ली गई। किन्तु फिर भी यह अधिकारी धमकियां दे रहा है कि यदि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई तो वह सब

रहस्य बता देगा । इसलिए सरकार उसके विरुद्ध कोई कायवाही नहीं कर रही हैं। सरकार को उसे निलम्बित कर देना चाहिए । उसे उस पद पर नहीं बने रहने देना चाहिए ।

श्री के. रघुरामैया: जहां तक श्री जनेश्वर मिश्र और श्री ज्योतिर्मय बसु की बातों का संबंध है सरकार की स्थिति को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है तथा मैं उसे दोहराऊंगा नहीं । बाकी आवश्यक बातों के संबंध में संबंधित मंत्रियों को सूचित कर दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: माननीय मंत्री को यह बता दिया जाना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था सर्वोच्च है और अन्तिम है । आप सरकार को निर्देश दें कि वह श्री एन० के० सिंह को हटा देवे ।

डा. कैलाश (बम्बई दक्षिण) : जब मैं आप से आपके चेम्बर में मिला था तो आपने इस विषय को राज्य का विषय बताया और कहा कि सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती । किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत आता है । मैं चाहता हूं कि रोगियों तथा विद्यार्थियों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे राज्य का विषय कहा था किन्तु वह इसे अल्पसंख्यकों का संस्थान कहते हैं ।

डा० कैलाश : मुझे इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी गई । मैं तमिलनाडु ध्वज के प्रश्न को भी उठाना चाहता था । उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर उस ध्वज को लगा दिया है । यह बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है । इस मामले को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और गृह मंत्री इस पर अपना ब्यान दें ।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला विषय लिया जाए ।

पांडिचेरी बजट, 1975–76

PONDICHERRY BUDGET, 1975-76

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): जैसा कि सदन को मालूम है कि संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा 7 मार्च, 1975 को पुन: एक आदेश जारी किया गया और जो अधिकार संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में निहित थे वह अधिकार इस अधिनियम की संघ राज्य क्षेत्र के वित्तीय मामलों से संबंधित धाराओं के अनुसार 28 मार्च, 1975 से छह महीनों के लिए संसद में पुन: निहित कर दिये गये हैं । तदनुसार जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत आवश्यक है, महोदय, आपकी अनुमति से मैं संसद के सम्मुख पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का पहली अप्रेल, 1975 से शुरू होने वाले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण रख रहा हूं । इस वार्षिक वित्तीय विवरण और व्याख्यात्मक ज्ञापन के अलावा 1975–76 के पूरे वर्ष के लिए अनुदानों की मांगें भी माननीय सदस्यों में वितरित की जा रही हैं, हालांकि मैं इसी सत्र में यथोचित समय पर वर्ष के पहले पांच महीनों में पांडिचेरी की समेकित निधि से पूरे किये जाने वाले खर्च के लिए लेखानुदान पेश करूंगा जिसमें पांडिचेरी के उपयुक्त विधान मंडल द्वारा पूरे वर्ष के आवश्यक रकमों का अनुदान मंजूर किये जाने तक के व्यय का अनुमान दिया होगा ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)।

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

संशोधित अनुमान, 1974–75

2. संघ राज्य क्षेत्र के चालू वर्ष के बजट में, जो सदन में प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत किया जा चुका है, 11.60 करोड़ रुपए के राजस्व की आय का अनुमान किया गया था जिसमें भारत की समेकित निधि से सहायक अनुदानों के रूप में 4.73 करोड़ रुपए की रकम शामिल थी। वर्ष के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उत्पाद शुल्कों, बिक्री कर और मोटर गाड़ी कर की दरों में वृद्धि करके और बिजली संबंधी शुल्क में संशोधन कर के अतिरिक्त साधन जुटाये। इन उपायों तथा संग्रह में वृद्धि के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों से अब 1.40 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें भारत की समेकित निधि 4.17 करोड़ रुपयों के सहायक अनुदान शामिल हैं। राजस्व खाते के व्यय में भी 11.60 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की अपेक्षा 3 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गयी है जो मुख्यतः इन कारणों से हुई जैसे पांडिचेरी और कारइक्काल क्षेत्र में वर्षा न होने से सूखा पड़ने के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति में संघ राज्य प्रशासन द्वारा किये गये सहायता कार्य, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का दिया जाना तथा संघ राज्य क्षेत्र को सप्लाई की गयी बिजली पर तमिलनाडु द्वारा लगाये गये अधिभार की अदायगी। इसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते में 1.60 करोड़ रुपए का घाटा होगा जबकि वर्ष के मूल बजट में किसी घाटे का अनुमान नहीं किया गया था। पूंजी खाते में प्राप्तियों से अब 16 लाख रुपए की मामूली वृद्धि और भुगतान में 32 लाख रुपये की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जिससे 16 लाख रुपए का घाटा होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 1.76 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है जो पूरी तरह से संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि में वर्ष के शुरू में बकाया रकम में से पूरा कर लिया जाएगा।

बजट अनुमान, 1975–76

3. भारत की समेकित निधि के सहायक अनुदानों को छोड़ कर राजस्व खाते में 9.95 करोड़ रुपए की प्राप्ति और 15.34 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। इस तरह यह घाटा 5.39 करोड़ रुपए का रह जाता है जो भारत की समेकित निधि से मिलने वाले सहायक अनुदानों द्वारा पूरा किया जायगा। पूंजी खाते में 2.96 करोड़ रुपए के भुगतान का अनुमान है जिसमें से 81 लाख रुपए भारत की समेकित निधि से दिये जाने वाले ऋणों को वापस चुकाने के लिए है संघ राज्य क्षेत्र से दिये जाने वाले ऋण के संबंध में अनुमान है कि 41 लाख रुपए वापस मिल जायेंगे। अतः संघ राज्य क्षेत्र के पूंजी खाते के घाटे को पूरा करने के लिए 2.55 करोड़ रुपए का ऋण भारत की समेकित निधि से लिया जाएगा।

आयोजना परिव्यय

4. संघ राज्य क्षेत्र के 1974–75 के बजट म, आयोजना परिव्यय के लिए 4.11 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया था जिसमें भारत की समेकित निधि से सहायक अनुदानों और ऋणों के रूप में 4 करोड़ रुपए की रकम ली जानी थी। वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा अतिरिक्त रकम के जुटा लिये जाने पर चालू वर्ष में आयोजना परिव्यय का अनुमान अब 4.45 करोड़ रुपए का लगाया गया है। 1975–76 के बजट में 5.14 करोड़ रुपए के अधिक आयोजना परिव्यय का अनुमान लगाया

गया है जो पूर्ण रूप से भारत की समेकित निधि से सहायक अनुदान और ऋण लेकर पूरा किया जायेगा। 1975–76 में अनुमानित आयोजना परिव्यय का क्षेत्रवार वितरण व्याख्यात्मक ज्ञाप. के अनुबन्ध में दिया हुआ है जो बजट संबंधी अन्य कागजों के साथ वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा, 1975–76 के अनुमानों में संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं पर व्यय के लिए 36 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।

बजट सामान्य, 1975–76 —सामान्य चर्चा —जारी

GENERAL BUDGET, 1975-76—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सामान्य बजट पर आगे चर्चा होगी। वित्त मंत्री उत्तर देंगे।

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur): I want to point out that the whole of Uttar Pradesh has been affected as a result of the tax imposed on Khandsari and Sugar........interruptions........The Finance Minister should keep this point in mind while replying..........

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिनों में जो बजट पर चर्चा हुई है, मैंने उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना है और मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अनेक माननीय सदस्यों के भाषणों से बहुत कुछ लाभ उठाया है उन्होंने देश की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर नया प्रकाश डाला है।

हम केवल कठिन परिस्थितियों से ही नहीं बल्कि अत्यन्त जटिल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इसके अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पहलू हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पहलू अस्थिरता का है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में व्याप्त है। इससे ही विश्व के अनेक भागों में, विशेषतया पूर्वी देशों में, मुद्रास्फीति का रुख है। इसके अलावा हमारे देश में अशोधित पेट्रोल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और इन सब से हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा है।

1971 के आम चुनाव के तुरन्त बाद हमें बंगला देश की समस्या का सामना करना पड़ा जिसके फलस्वरूप 1971 के अन्त में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। यद्यपि हम विजयी हुए हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हमें इसके लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ा है। फिर इसके बाद हमें लगातार कई वर्ष तक सूखों की भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा है। एसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि हमने जो भी वचन दिये थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें सभी प्राथमिकताओं को पूर्णतः बदलना पड़ा। अतः गत 2–3 वर्ष तक हमारा प्रयास सीधा मुद्रास्फीति को कम करने में ही रहा है। सौभाग्यवश अब स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। लेकिन हम इस संबंध में अब भी उदासीन दृष्टिकोण कदापि नहीं अपना सकते। क्योंकि यदि हमने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया तो हो सकता है कि मुद्रास्फीति का राक्षस पुनः अपना सिर उठा लें अतः हम इस पर निरन्तर नियंत्रण रखने के प्रयास करते रहेंगे।

मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए हमारे मार्ग में तीन प्रकार की कठिनाइयां आई हैं। सरकारी व्यय, केन्द्र और राज्य। इसी कारण हम घाटे की अर्थव्यवस्था यथासम्भव कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रयत्नों के बावजूद चालू वर्ष में 625 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। यहां एक प्रश्न किया गया है कि क्या खाद्यान्न और उर्वरकों के भंडार संबंधी 330 करोड़ रुपए के आंकड़ों का वर्ष के आरम्भ में अनुमान नहीं लगाया था और बजट बनाते समय इन आंकड़ों को ध्यान में नहीं

रखा गया था । जहां तक उर्वरकों के संबंध में 200 करोड़ रुपए की राशि का संबंध है, यह वर्ष के आरम्भ में निर्धारित नहीं की गई थी इसी प्रकार 130 करोड़ रुपए का खाद्यान्न का मामला भी नया मद है । अतः 330 करोड़ रुपए की राशि हमने विदेशों में किये गये क्रय के लिए विदेशी मुद्रा के रक्षित भंडार से निकाली थी । इससे मुद्रास्फीति की सम्भावना नहीं है । अतः 625 करोड़ रुपए में से यदि 330 करोड़ रुपए निकाले जायें तो 125 या 126 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में 300 करोड़ रुपए फिर भी रह जाते हैं । हमने अपने गैर-योजना और गैर-विकास के खर्चों को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये हैं । लेकिन हम योजनाबद्ध व्यय विशेषतया कोर क्षेत्र में बिल्कुल कमी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि एसा किया जाए तो इसका भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा । इसीलिए हमने योजनाबद्ध विकास परियोजनाओं के लिए कुछ अधिक राशि निर्धारित की है ।

दूसरे बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से गैर-सरकारी खर्च, वाणिज्य के लिये वाणिज्य ऋण आदि के संबंध में भी हमने अपनी कम धन और मंहगी धन नीति से कठोर उपाय किये हैं । लेकिन हमने यह बात सुनिश्चित की है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, विशेषतया जहां तक अधिक खपत वाली अत्यावश्यक वस्तुओं का संबंध है, उत्पादन कम न होने पाए ।

तीसरे अवैध धन से गै -सरकारी क्षेत्र में खपत की समस्या है । सौभाग्य से, हमने विभिन्न उपायों से इसे नियंत्रण में कर लिया है । तस्करी, कर अपवंचन, जमाखोरी, चोरबाजारी के बारे में हम नहीं कह सकते कि हमने इन बुराइयों को समाप्त कर दिया है । लेकिन कुछ सीमा तक यह भी नियंत्रण में आ गई हैं । यदि भ्रष्टाचार सम.प्त करने के लिए कहीं प्राथमिकता दी जाती है तो वह केवल काला धन समाप्त करने की दिशा में ही दी जाती है । हम यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे कि जहां तक सम्भव हो यह अवैध क्षेत्र पूर्णतः समाप्त हो जाये । इसके लिए राजनीतिक दलों तथा जनता का सहयोग आवश्यक है । मुझे विश्वास है इस रोग को दूर करने में सहयोग मिलेगा।

श्री नुरूल हुडा (कछार) : ऐसी बात से क्या लाभ होने वाला है । पिछले 25 वर्षों में आपने इसे दूर करने के लिये क्या किया है ? आप केवल बातें करते हैं और झूठी आशाएं जगाते हैं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस प्रकार के व्यवधान से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है । चिल्लाने के लिये मेरे पास गला नहीं है । व्यवधान उत्पन्न करना भी एक रोग जैसा हो गया है । मैं कह रहा था कि यह सही है कि हमने महंगाई भत्ते के बारे में चर्चा की है । यदि घाटे की अर्थ-व्यवस्था बढ़ी तो हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था पर होने वाले इसके प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा । अतः भविष्य में इस विषय पर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान इस समस्या को ध्यान में रखना होगा । रबी क. फसल के लिए मूल्य निर्धारित करना अब अत्यन्त आवश्यक हो गया है । यदि अर्थ-व्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और वेतन भोगियों को कुछ बलिदान करने के लिए कहा जाता है तो अधिक गेहूं उगाने वालों और अन्य वस्तुएं बेचने वालों से भी कुछ कुर्बानी करने के लिए कहा जा सकता है कि वे अधिक मूल्यों की मांग न करें क्योंकि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होने से स्वतः मुद्रास्फीति बढ़ेगी । अतः जो मूल्य वृद्धि की मांग कर रहे हैं, विशेषतया खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि की उन सबको यह बात ध्यान में रखनी होगी । मूल्य स्थिरता बनाये रखने के लिये केवल सरकारी कर्मचारियों से कुरबानी करने के लिए कहना असंगत होगा । ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ।

कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि रुपये का मूल्य गिर रहा है। लेकिन अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य पिछले छह आठ सप्ताहों में एक प्रतिशत बढ़ा है। और इसी अवधि के दौरान डालर की तुलना में भी इसका मूल्य चार प्रतिशत बढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि अपनाए गए उपायों ने न केवल मुद्र स्फीति की स्थिति का ही नियंत्रण किया है अपितु बाहर के देशों में रुपये के मूल्य में भी वृद्धि की है। यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी मुद्रास्फीति को उत्पादन बढ़ाकर ही स्वस्थ रूप में हम कम कर सकते हैं।

बजट में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे संसाधनों तथा इस क्षेत्र में जहां कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, हेतु कुछ निर्देश दिए हैं। सीमित संसाधनों की अवस्था में प्राथमिकताएं निर्धारित करना स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में उचित प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं।

जहां तक कृषि और ऊर्जा का संबध है 1975–76 के बजट में 566 करोड़ रुपये की राशि कृषि के लिए आवंटित की गई है। ऊर्जा के लिए 477 करोड़ रुपये दिये गये हैं। अतः 23 प्रतिशत की कुल वृद्धि के स्थान पर, जहां तक कि केवल इस क्षेत्र का संबंध है, कृषि और ऊर्जा को 45.9 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। इस बात को ध्यान में रखने के बावजूद कि देश में मुद्रास्फीति है, रुपये का मूल्य कम हो गया है। हमने अगले वर्ष की योजना से कृषि तथा ऊर्जा के लिए आवंटित राशि में वृद्धि की है। कृषि के मामले में यह वृद्धि 39.3 प्रतिशत और ऊर्जा के लिए 55.4 प्रतिशत है।

यह पूछा गया है कि इस आवंटन का फायदा तब तक क्या होगा जब तक कि कृषि क्षेत्र में संस्थागत परिवर्तन नहीं किए जाते, भूमि सुधारों को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता और जहां तक भूमि का वितरण नहीं किया जाता। जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है देश में उन्हें लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। छोटे खेतों पर गहरी खेती करके ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। केवल भूमि सुधारों से ही नहीं अपितु किसानों को भूमि के छोटे-छोट टुकड़ों के मालिक बना देने से ही उत्पादन में काफी वृद्धि होगी अतः हमें इस सम्बन्ध में, विशेषकर, अगले वर्ष में कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि विद्यमान परिस्थितियों में ही उत्पादन बढ़ाया जा सके। अतः हमें अब आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है।

हमें विद्यमान परिस्थितियों में ही उत्पादन को यथासंभव बढ़ाना है। यह पूछा गया है कि 260 लाख टन के खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य पर पहुंचकर उत्पादन लक्ष्य 230 अथवा 240 लाख टन तक कम कैसे हो गया है। उत्पादन में क्यों कमी हो रही है। इसका कारण यह है कि बीजों की किस्म हर जगह खराब हुई है। हमने अच्छी किस्म के बीजों को उत्पादन तथा उनकी किस्म को बनाए रखने के मामले को ऊंचा प्राथमिकता दी है। कृषकों द्वारा खेती के काम में लाए जाने वाले पदार्थों के उचित वितरण की अत्यधिक आवश्यकता है। हमें पता चला है कि पदार्थों में काफी बडी मात्रा में मिलावट हुई है।

इस मामले पर कृषि आयोग ने भी विचार किया है। एक समिति की भी नियुक्ति की गई थी जिसने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि इन क्षेत्रों में कमर्शल बैंकों की शाखाओं का विस्तार करने का कोई फायदा नहीं है। इन क्षेत्रों में किसानों की सेवा सोसाइटियां होनी चाहिए जो न केवल किसानों को ऋण इत्यादि दे बल्कि उनका मंडी से भी सम्पर्क कराएं। अब हमने अपने बैंकों से जहां कि ऐसी सहकारी समितियां नहीं हैं, यह जिम्मेदारी सम्भालने को कहा है

जहां पर सहकारी समितियां इस जिम्मेदारी को संभालने तथा वित्तपोषण के लिए तैयार हैं वहां पर कृषकों के लिए ऐसी सेवा सोसाइटियां बड़ी संख्या में संगठित की जा सकती हैं। हमें इस कार्य को चरण-बद्ध रूप में करना होगा।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, एक नीति यह है कि निजी क्षेत्र के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र अकुशल संगठन है अतः इसे पूर्णतया निजी क्षेत्र में ही रखना चाहिए। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने बीच के रास्ते को चुना है।

अतः इस बजट में न केवल औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकताओं को ही दर्शाया गया है अपितु इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विनियोजन के उद्देश्य हेतु अपनाए गए अन्य वित्तीय तथा मीट्रिक उपायों को भी लिया गया है।

इन सीमित संसाधनों के उचित दिशा में प्रयोग हेतु कुछ रियायतें दी गई हैं लेकिन यह रियायतें केवल उन चार पांच आधारभूत उद्योगों, जिनका महत्व न केवल आन्तरिक खपत की दृष्टि से है अपितु निर्यात के उद्देश्यों के कारण भी है, तक सीमित हैं। अतः यह कहने का कोई फायदा नहीं कि हम केवल ऐसे प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे केवल अमीर लोगों और बड़े व्यापारी गृहों को ही फायदा पहुंचेगा। हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका उपयोग उचित रूप से उत्पादन बढ़ाने के लिए ही किया जाए। निर्यात को उचित प्राथमिकता दी गई है।

कुछ क्षेत्रों में हम उपभोग को कम करने की दृष्टि से निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं। हमने चीनी के गैर-लेंवी भाग पर उत्पाद-शुल्क बढ़ाया है ताकि हम आंतरिक खपत के स्थान पर उसका अधिक मात्रा में निर्यात कर सकें। हमें खंडसारी को भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए।

सीमेंट के साथ भी यही किया गया है। सीमेंट का उत्पादन बढ़ रहा है और उस पर विभिन्न प्रतिबन्ध लगे हैं यदि इन प्रतिबन्धों को हटाया जाना है तो इसका एकमात्र उपाय उत्पादन वृद्धि है ताकि आन्तरिक खपत को पूरा करने के बाद निर्यात के लिए भी वह हमें प्राप्त हो।

अतः यह उत्पाद-शुल्क लगाने के सम्बन्ध में हमने इसी पहलू अर्थात् निर्यात संवर्धन को ध्यान में रखा है।

संश्लिष्ट रेशों का उत्पादन काफी फैला हुआ है। इस उद्योग में कई कमियां हैं जिनकी वजह से लोग उत्पाद-शुल्क से बच निकलते हैं। कई एकक संश्लिष्ट धागे का उत्पादन भी करते हैं, हमें उनको उचित संरक्षण देना होगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने कर बढ़ाया है।

जहां तक तम्बाकू का सम्बन्ध है मैं यह मानता हूं कि इसका प्रयोग गरीब जनता द्वारा किया जाता है लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसके अधिक प्रयोग को हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : तम्बाकू गरीब आदमी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : तम्बाकू गरीब आदमी का दुर्व्यसन है क्या हमें इसके प्रयोग के लिए उसे प्रोत्साहन देना चाहिये? अतः मैंने इस पर कर लगाया है और दूसरे हमने वह कराधान उपाय अपनाए हैं जिनसे कि आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री वसन्त साठे : चाय पर भी कर लगा दिया गया है कि गरीब आदमी चाय का प्याला भी न पी सके जब कि शराब पर कोई कर नहीं लगाया गया ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह पूछा गया है कि, इस बार शराब को क्यों नहीं छुआ गया । शराब राज्य का विषय है इसलिए हम उस पर कुछ कर नहीं सकते थे । जिसे हम विदेशी शराब कहते थे वह अब स्वदेशी बन गई है क्योंकि उसका उत्पादन देश मे शुरू हो गया लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि शराब का आयात नहीं होता । आयात के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं व्हिस्की पर सी० आई० एफ० कीमत के ऊपर 600 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जाता है । और बरांडी पर 35 प्रतिशत तक यदि हम इस पर शुल्क बढ़ायेंगे तो इससे उसमें इन वस्तुओं की तस्करों को प्रोत्साहन मिलेगा । क्योंकि इस दशा में यहां के मूल्यों में तथा बाहर के मूल्यों में भारी अन्तर होगा ।

इसके अतिरिक्त शराब का बड़ी ही सीमित मात्रा में आयात किया जा रहा है । अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने हर वस्तु पर कर नहीं लगाया है । हमने इस सम्बन्ध में पूरी तरह सोच समझ कर ही कर लगाया है । बजट के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की आलोचना की गई है । श्री वीरेन्द्र अग्रवाल ने मुद्रास्फीति के बारे में "आंकड़ों का जादू" कह कर इस बजट की आलोचना की है । श्री साल्वे ने इनका प्रभावशाली ढंग से उत्तर दे दिया है और मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता । किन्तु श्री भट्टाचार्य ने अपने भाषण का आरम्भ वहीं सदा से प्रयुक्त होने वाले अपने शब्दों जैसे "जनता विरोधी" तथा "लोकतन्त्र विरोधी" से किया है । जिन बातों को हम "जनता के हित" में मानते हैं वही उन्हें जनता विरोधी मालूम होती है । निश्चय ही हम ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं कर सकते जिनका हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और मुझे विश्वास है शीघ्र ही इस सदन में भी ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं रहेगा । अतः श्री भट्टाचार्य की आलोचना को मुझे अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है । मैंने अपने भाषण में अनेक बातों का जवाब दे दिया है । यह भाषण केवल बजट भाषण ही नहीं था । मैं जानता हूं कि सुन्दर सुन्दर भाषण देने से आर्थिक विकास में कोई अन्तर नहीं आ सकता, अगर सुन्दर भाषणों से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता होता तो हमारी आज कोई समस्या ही नहीं होती । किन्तु दुर्भाग्य से हम केवल सुन्दर भाषण ही दे सकते हैं किन्तु आवश्यकता सुन्दर भाषणों की न होकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्वियन और कार्य करने की आवश्यकता है । हमारा देश कठिन समय से गुजर रहा है ऐसी स्थिति में हमें कार्य की आवश्यकता है जब तक अनुशासन का अभाव रहेगा हम कठिन परिस्थितियों से निपट नहीं सकते । राष्ट्रीय सम्मति के आधार पर अनुशासन लागू किया जाना चाहिये । किन्तु वह चाहते हैं कि अधिक से अधिक अनुशासनहीनता हो ताकि उससे वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें । किन्तु उन्हें इससे कोई भी लाभ उठाने नहीं दिया जायेगा । यदि अनुशासन होगा तो अनेक कठिनाइयों को दूर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । इसमें मैं न केवल इस सदन के सदस्यों का बल्कि देश की समस्त जनता के सहयोग की याचना करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आज मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कम्पनियों द्वारा निवेश आमंत्रित करने के लिये रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना या निवेश आमंत्रित करने के विज्ञापनों की प्रति रिजर्व बैंक को देना अनिवार्य हो, ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है । इसलिए वे नहीं बता सकते हैं कि कितनी कम्पनियों ने जनता से निवेश आमंत्रित किये हैं । इससे जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट, बैंकों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । उनके द्वारा बताये गये तीन प्रकार के व्यय—सरकारी, वाणिज्यिक ऋणों पर आधारित गैर–सरकारी व्यय और अवैध काला धन—में से क्या कालेधन के व्यय के प्रकार के बारे में उन्हें

कोई शिकायतें मिली है। सरकार द्वारा मारे गये विभिन्न छापों में करोड़ों रुपयों के नोटों के बंडल मिले हैं। इसलिए क्या सरकार इस अवैध मुद्रा को बाहर निकालने के लिये विमुद्रीकरण न करने के अपने विचार पर भी अब भी दृढ़ है?

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला (चित्तौड़गढ़) : मंत्री महोदय ने कम्पनियों द्वारा लाभांश के वितरण की सीमा को समाप्त कर दिया परन्तु कम्पनियों के शुद्ध लाभ के वितरण की $33/\frac{1}{3}$ प्रतिशत की सीमा के बारे में कुछ नहीं कहा। कृपया इस बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि इन कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप करों तथा उनकी वसूली पर प्रशासनिक व्यय की कुल राशि कितनी होगी? क्या 34 करोड़ रुपए की राशि आपके व्यय के बाद रहेगी या 34 करोड़ रुपए वसूल किये जायेंगे और 96 करोड़ रुपए खर्च होंगे?

श्री बी० के० दास चौधरी (कुच बिहार) : जहां मंत्री महोदय ने आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाया वहां चाय के निर्यात के लिये प्रोत्साहन 75 पैसे से बढ़ाकर 85 पैसे प्रति किलो कर दिया है। हमारे देश में चाय का निर्यात करने वाले कतिपय एकाधिकार समूह हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रोत्साहन को घटाकर 50 पैसे कर दिया जाये और चाय पर उत्पादन शुल्क में राहत दी जाये।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन): क्या राहत कार्यों के लिए गुजरात राज्य को केवल 4–5 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता देने की छठे वित्त आयोग की सिफ़ारिश को निलंबित करके गुजरात राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उदारता से केन्द्रीय सहायता दी जायगी?

श्री वसन्त साठे (अकोला) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 15–20 करोड़ के काले धन को अब तक सम्पत्ति के रूप में बदला जा चुका होगा, क्या शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण के लिये एक विधेयक लाने पर तथा आर्थिक और सामाजिक अपराधों सम्बन्धी एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है?

श्री दीनानाथ भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मंत्री महोदय ने कृषि पर बल देने की बात कही और कहा कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं। परन्तु पश्चिमी बंगाल तथा अन्य स्थानों में गेहूं तक नहीं मिल रहा है। क्या गारण्टी है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि के बाद भी लोगों को खाद्यान्न मिलेंगे?

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : विभिन्न चाय क्षेत्रों में उत्पादन शुल्क 30 पैसे से 1 रुपया 30 पैसे तक हैं। यदि 30 पैसे को बढ़ाकर 50 का 60 पैसे कर दिया जाये तो 300 करोड़ रुपए का राजस्व आय सम्भव होगी।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): Since the procurement prices are going to be fixed at a rate lower even than the price paid for the foodgrains imported last year, it would result in exploitation of the farmers by the factory owners.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली): मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यय में कितनी मितव्ययिता की जायेगी और इस सम्बन्ध में **क्या** उपाय करने का विचार है?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या मंत्री महोदय को खंडसारी उत्पादों, शक्तिचालित बुनकरों और बोड़ी निर्माताओं में व्याप्त असंतोष की जानकारी है और क्या इस बारे में अपने निर्णय पर वे पुर्नविचार करेंगे।

श्री पी० आर० शिनाय (उद्दीपी) : क्या मंत्री महोदय सभी प्रकार के तस्करों पर कर लगाकर इसे बिल्कुल बन्द करना चाहते हैं ?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : क्या सरकार बेकारी और गरीबी के बारे में आंकड़े देगी और बतायेगी कि अपव्यय को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : बजट में बेरोजगारी दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस बारे में क्या करने का उनका विचार है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : जब तक अमीरों की शोषण की शक्ति को समाप्त नहीं किया जाता तब तक उनपर कर लगाने से ही निर्धन लोगों को कैसे लाभ हो सकता है ?

Shri Madhu Limaye (Banka): Will the hon. Minister withdraw the proposed levy on labelled *bidis* and if he wants to tax, let him tax the liquor?

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The *Khandsari* units in U.P. have been closed down and there are no purchasers for sugarcane. Will the hon. Minister make a policy announcement in this regard?

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar): Consequent on increase in the wages *bidi* factories are being closed down in Damoh. Sagar, Jabalpur, Bhopal, Gondia etc. in M.P. throwing the workers out of employment. What are you doing to do in the matter?

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : जब तक भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर छोटे और बड़े किसानों के बीच भेद नहीं किया जाता क्या उर्वर वैज्ञानिक आधार पर उर्वरकों की सप्लाई की जा सकती है ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (तेल्लीचेरी) : बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रतिवर्ष 53 करोड़ रुपए देश से बाहर भेजे जाते हैं। इस पर कर लगाना चाहिए। पुस्तकों पर कर लगाने के क्या कारण हैं ?

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : क्या हम सरकारी क्षेत्र की 49 प्रतिशत शेयर पूंजी को बेचकर इसे राष्ट्रीय क्षेत्र बना सकते हैं ? दूसरे हमें अपनी बड़ी परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं आदि के लिये धन की आवश्यकता है। जब हमें मित्र देशों, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से साधन उपलब्ध हैं, तो क्या हमें शुद्ध शून्य आय की विचारधारा को बदलकर इस सहायता को नहीं लेना चाहिये ?

Shri Lalji Bhai (Udaipur): May I know the names of States which passed ceiling Bills during 1972 to 1974 and the land acquired during each year as a result thereof?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जहां तक कारोबार का प्रश्न है, उसके लिये वित्त विधेयक पर चर्चा के समय विस्तृत विचार-विमर्श का पर्याप्त अवसर होगा। इसलिए इस समय में इससे सम्बन्धित बातों का उल्लेख नहीं करूंगा।

श्री इंद्रजीत गुप्त द्वारा उठाये गये गैर-बैंककारी कम्पनियों द्वारा जमा स्वीकार किये जाने के बारे में बताना चाहता हूं कि पहले मुझे मालूम नहीं था परन्तु 8 फ़रवरी को कम्पनी-कार्य मंत्रालय ने कम्पनियों से जमा राशियों का ब्यौरा देने के लिये कहा है। अतः यह जानकारी अवश्य उपलब्ध होगी। दूसरे जमा की अधिकतम सीमा कुल साम्य पूंजी की 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत, कर दी गई है और कर में छूट देने के प्रयोजन के लिये केवल 85 प्रतिशत को ध्यान में रखा जायेगा। यदि यह भी पर्याप्त नहीं हुआ तो हम अन्य उपाय करेंगे। मैं विमुद्रीकरण के बारे में केवल इतना कह सकता हूं कि यह ढिंढोरा पीटकर तो किया नहीं जाता है। जब किया जाना होता है तो हो जाता है। लाभांश पर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की सीमा समाप्त करने के लिए वर्तमान अधिनियम में शीघ्र संशोधन किया जायेगा। श्री पीलू मोदी ने कहा कि हमारा प्रशासनिक व्यय करों की वसूली से अधिक नहीं होना चाहिए। हम उनसे पूर्णतः सहमत हैं और प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

सर्वश्री नायक और श्री मावलंकर ने गरीबी और बेरोजगारी का उल्लेख किया। मैं नहीं समझता कि गरीबी का निर्धारण किया जा सकता है। विभिन्न वर्गों की प्रति व्यक्ति आय पता की जा सकती है और ऐसा पहले ही किया जा रहा है। बेरोजगारी के बारे में दैतवाला समिति का निष्कर्ष का कि देश में बेरोजगारी का सही निर्धारण असंभव है। केवल रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों से ही पता लगाया जा सकता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं इसका पता लगाने के लिये एक नई समिति नहीं बनाई जा सकती जैसा कि पीलु मोदी ने कहा। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य एकीकृत विकास की आवश्यकता हैं जिसका मैंने अपने बजट भाषाण में उल्लेख किया है।

मिश्राजी ने वसूली मूल्य और विदेशी उत्पादक को हमारे द्वारा दिये जा रहे मूल्य की बात कही। हम प्राधिकृत आदि धनी देशों से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी गरीब जनता की ओर भी देखना हैं जिनके लिये उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं और इसका लोक वितरण व्ययवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। व्यय में बचत के बारे में श्री भगत के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहता हूं कि हम इस बारे में विशेष रूप से अनुत्पादक व्यय के बारे में हमेशा सजग रहते हैं। श्री चावड़ा ने वित्त आयोग द्वारा नियत की गई 4.5 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा का उल्लेख किया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि शुद्ध कार्यों पर प्रतिशत व्यय की आवश्यकता होती हैं तो हम विभिन्न उपायों के लिये योजना ऋण देते हैं। यदि सदस्य महोदय गुजरात के आंकड़े देखें तो उन्हें पता लग जायेगा कि हमने गुजरात को काफ़ी धन दिया है। शहरी सम्पत्ति की सीमा विचाराधीन हैं।

मैं इस विचार से सहमत हूं कि आर्थिक अपराधों के लिये पृथक् व्यवस्था होनी चाहिये। जहां सर्वोच्च न्यायालय में अपील का उपबन्ध वहां भी लोग उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आते हैं जो वर्षों तक चलता हैं। विधि मंत्रालय इस बारें में एक व्यापक विधेयक तैयार कर रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों को हमारी अर्थ-व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जायेगा। इस देश में ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें काम करने वाले भारतीय हैं और मैं नहीं समझता कि भारतीय इतने देशद्रोही होंगे जो इनके हाथ का खिलौना बन जायें। श्री मिर्धा ने शुद्ध शून्य महायता का प्रश्न उठाया। हम कच्चे तेल के लिये 1200 करोड़ अधिक दे

रहे हैं, उर्वरकों के लिए 700 करोड़ रुपए और खाद्यान्नों के आयात के लिये भी 600–700 करोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार लगभग 2500 करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं। शून्य सहायता का तो प्रश्न ही नहीं रह जाता है। हमें बाहर जा रहे इस धन को वापस प्राप्त करने का प्रयास करना होगा ।

लेखानुदानों की मांगें—1975–76

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, 1975-76

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस परम्परा का पालन करते आ रहे हैं कि इनपर चर्चा नहीं करते हैं।

श्री मधु लिमये (बांका) : जब नियम अनुमति देता है, तो संक्षेप में हमें अपनी टिप्पणी करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमानुसार तो मैं आपको नहीं रोक सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : मैं अपना अधिकार छोड़ता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1975–76 के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें (सामान्य) मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई :—

The following demands for grants on Account for the year 1975-76 were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रु०
1	कृषि विभाग	30,32,000
2	कृषि	9,47,10,000
		1,95,28,56,000
3	मीन उद्योग	1,36,08,000
		25,53,000
4	पशुपालन और डेरी विकास	5,13,08,000
		59,85,000
5	वन . . .	1,38,95,000
		60,49,000
6	खाद्य विभाग .	51,64,52,000
		1,57,34,000

1	2	3
		रु०
7	ग्रामीण विकास विभाग	9,72,29,000
		1,37,51,000
8	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग . .	1,73,000
9	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संदाय . . .	6,56,00,000
10	सिंचाई विभाग	2,11,86,000
		2,35,77,000
11	वाणिज्य मंत्रालय . . .	14,64,000
12	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन . . .	33,28,62,000
		47,79,38,000
13	संचार मंत्रालय . .	16,64,000
		35,83,000
14	विदेश संचार सेवा . . .	1,30,50,000
		81,00,000
15	डाक-तार कार्यकरण व्यय	77,59,75,000
16	डाक-तार साधारण राजस्वों को दिया जाने वाला लाभांश आरक्षित निधियों का विनियोग और साधारण राजस्वों से लिए गए उधारों का प्रतिसंदाय . .	5,91,86,000
17	डाक-तार पर पूंजी लागत	28,75,67,000
18	रक्षा मंत्रालय	26,82,000
		2,77,52,000
19	रक्षा—सेवाएं — सेना . . .	2,50,12,97,000
20	रक्षा सेवाएं—नौसेना . .	22,43,36,000
21	रक्षा सेवाएं —वायुसेवा	74,06,38,000
22	रक्षा सेवाएं—पेंशनें .	18,83,35,000
23	रक्षा सेवाओं पर पूंजी लागत . .	39,62,71,000
24	शिक्षा विभाग	23,42,000
25	शिक्षा	21,83,55,000
		67,83,000
26	समाज कल्याण विभाग	2,37,81,000

1	2	3
27	ऊर्जा मंत्रालय . .	7,58,000
28	शक्ति विकास	4,04,02,000
		16,00,65,000
29	कोयला और लिग्नाइट . .	3,14,22,000
		38,65,33,000
30	विदेश मंत्रालय . . .	16,54,56,000
		5,05,00,000
31	वित्त मंत्रालय . .	5,32,99,000
32	सीमा-शुल्क	4,02,21,000
33	संघ उत्पाद-शुल्क	5,39,84,000
34	आय-कर, संपदा -शुल्क , धन-कर और दान-कर	5,89,10,000
35	स्टाम्प	1,56,94,000
		13,66,000
36	लेखा परीक्षा	10,80,72,000
37	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल .	5,86,20,000
		3,49,63,000
38	पेंशन	5,75,00,000
39	अफीम और एल्केलाइड कारखाने . . .	13,31,99,000
		9,18,000
40	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण .	3,70,71,58,000
	भारित—	1,68,69,50,000
	ब्याज संदाय .	1,97,97,36,000
41	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	6,68,59,000
		42,43,83,000
42	सरकारी सेवकों को उधार आदि .	8,94,45,000
	भारित—	
	ऋण का प्रतिसंदाय	14,20,90,49,000
43	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय . . .	10,76,000
44	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य . . .	12,12,07,000
		5,34,15,000

1	2	3
		रु०
45	परिवार नियोजन . . .	11,18,41,000
		21,67,000
46	गृह मंत्रालय	42,40,000
47	मंत्रिमंडल	19,90,000
48	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग . . .	1,02,25,000
		4,17,000
49	पुलिस	29,02,86,000
		1,49,17,000
50	जनगणना	56,43,000
51	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय . . .	23,83,90,000
		3,14,30,000
52	दिल्ली .	16,57,86,000
		6,98,13,000
53	चंडीगढ़ .	2,43,41,000
		77,91,000
54	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह .	2,95,66,000
		1,40,19,000
55	अरुणाचल प्रदेश .	3,89,50,000
		1,17,33,000
56	दादरा और नागर हवेली .	21,39,000
		24,04,000
57	लक्ष द्वीप . .	38,21,000
		17,50,000
58	उद्योग और सिविल प्रदाय मंत्रालय	50,40,000
59	उद्योग	2,04,02,000
		31,25,58,000
60	ग्राम और लघु उद्योग	4,76,80,000
		6,67,77,000
61	सिविल प्रदाय और सहकारिता	88,27,000
		4,61,12,000
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	5,85,000

1	2	3
		रु०
63	सूचना और प्रचार	2,49,41,000
		37,42,000
64	प्रसारण . . .	4,87,41,000
		3,52,33,000
65	श्रम मंत्रालय	10,94,000
66	श्रम और रोजगार	6,03,83,000
		96,000
67	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	3,67,60,000
68	न्याय प्रशासन	13,11,000
69	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय .	11,29,000
70	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग . .	12,08,64,000
		29,72,86,000
71	उर्वरक और रसायन उद्योग . . .	3,01,000
		60,74,72,000
72	योजना मंत्रालय . . .	2,06,000
73	सांख्यिकी	1,51,09,000
74	योजना आयोग	56,60,000
75	नौवहन और परिवहन मंत्रालय . .	37,82,000
76	सड़कें	11,52,87,000
		12,90,27,000
77	पत्तन दीप स्तंभ और नौवहन . . .	2,54,68,000
		32,73,60,000
78	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन . . .	8,16,000
		3,74,33,000
79	इस्पात विभाग . . .	6,50,02,000
		33,20,22,000
80	खान विभाग	4,52,000
81	खान और खनिज	4,22,53,000
		14,06,84,000
82	पूर्ति विभाग	3,95,000

1	2	3
		रु०
83	पूर्ति और निपटान .	1,42,59,000
84	पुनर्वास विभाग . .	3,88,96,000
		3,67,71,000
85	पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय— .	7,39,000
86	मौसम विज्ञान . . .	1,58,23,000
		33,50,000
87	विमानन . . .	2,95,76,000
		4,10,02,000
88	पर्यटन .	55,58,000
		97,24,000
89	निर्माण और आवास मंत्रालय . . .	8,37,000
90	लोक निर्माण .	9,08,79,000
		2,51,28,000
91	जल प्रदाय और मलवहन .	17,84,000
92	आवास और नगर विकास	1,27,02,000
		5,28,30,000
93	लेखन सामग्री और मुद्रण .	3,93,57,000
94	परमाणु ऊर्जा विभाग	6,69,000
95	परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं . . .	7,33,01,000
		11,62,71,000
96	न्यूक्लीय विद्युत् स्कीमें	5,36,15,000
		6,98,44,000
97	संस्कृति विभाग . .	1,13,07,000
98	पुरातत्व .	98,39,000
99	इलैक्ट्रानिक विभाग .	1,23,11,000
		36,50,000
100	विज्ञान और शिल्प विज्ञान विभाग	1,43,97,000
		25,00,000
101	भारतीय सर्वेक्षण	2,60,01,000
102	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का अनुदान .	6,24,86,000

1	2	3
103	अन्तरिक्ष विभाग	4,43,10,000
		1,38,58,000
104	लोक सभा	70,51,000
105	राज्य सभा	26,47,000
106	संसदीय कार्य विभाग	3,22,000
	भारित—	
	राष्ट्रपति का कर्मचारिवृन्द गृह और भत्ते	10,43,000
107	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	83,000
	भारित—	
	संघ लोक सेवा आयोग	28,02,000
	योग	

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत को संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि "वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, the Schedule. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किय जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

न्यास विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा न्यास विधि (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION REGARDING DISAPPROVAL OF THE TRUST LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975 AND TRUST LAWS (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय के सांविधिक संकल्प और भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधयक पर एक साथ विचार करेगी।

Dr. **Laxminarain Pandeya** (Mandsaur): Sir, I beg to move the resolution disapproving the Trust Laws (Amendment) Ordinance, 1975 as promulgated by the President on January 7, 1975.

While taking similar measures in July last year it was stated that those measures would not adversely affect the activities of the Unit Trust. But when such measures started having adverse effects on the deposits with the Unit Trust and large sums of money were withdrawn, the Government had to contemplate some steps to check this trend. Although the present Ordinance was issued on January 7, the Government had already in view the necessity of such steps. It was reported in the Indian Express that Government was going to raise the limit of tax free interest on deposits with the Unit Trust. The Government gave such indications even before December. In spite of the fact that the Government has been reiterating that the curb on dividends will not adversely affect the activities of the Unit Trust, the unit holders encashed their units worth Rs. 14 crores and the Government sold units worth Rs. 10 crores during the period from July to December last year. The Government itself has admitted the adverse effects on the sale of units, but the Chairman of the Unit Trust is not prepared to admit that this Ordinance and this Bill has been initiated to overcome the present financial crisis.

According to Government, the curb on dividends is a necessary step for bringing stability in the share market, but in fact the share market is going down and whatever effect we see in the share market is due to other financial activities and enhancement in bank rate and other measures.

I want to say that you were already aware of those objects which are to be achieved through this ordinance. The hon. Members had made it clear at the time of imposing curbs on dividends that you would not succeed in checking the inflation through that measure.

While explaining the circumstances for this immediate legislation, you have stated that the prices of shares have gone down and rates of dividend on ordinary shares have fallen down. But I do not agree with you in this matter.

Big investors may be attracted to divert their capital to Unit Trust but this is not the case with small savers. They can not be attracted to invest their money in units in spite of increased lmit for exemption of taxes.

In my view there will be no improvement in the position of Unit Trust in regard to liquidity of assets. At present the Unit Trust has invested its funds in 425 companies but this ordinance will not bring the desired results since these companies do not depend entirely on the Unit Trust for their finances. The Unit Trust has ordinary shares worth Rs. 57.90 crores, preference shares worth Rs. 16.38 and other investment of Rs. 24.59 crores. There has been a worst impact on the investment position due to the taking back of the amount of units by the people. The Unit Trust will not be benefited by the changes which have been brought in the Acts on Income Tax and other taxes by this Ordinance. The Ordinance has provided that there cannot be any decree on the unit holdings, but it is doubtful that this protection may bring any improvement. If you compare the figures of resale and fresh sale of units after the imposition of curb on dividends, you would know the position of the Unit Trust. Such steps should be taken as may create confidence in the minds of the people.

The question of increasing dividends to small unit holders should be reconsidered. If they get more interest in depositing their money in banks. why will they invest in units?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

52वां प्रतिवेदन

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बावनवें प्रतिवेदन से जोकि सभा में 13 मार्च, 1975 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत हो।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बावनवें प्रतिवेदन से जोकि सभा में 13 मार्च, 1975 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

देश में फासिस्टवाद के फैलाव के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE: GROWTH OF FASCISM IN THE COUNTRY—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्यामनन्दन मिश्र, जो पिछली बार अपने संकल्प पर बोल रहे थे, अपना भाषण पुन: आरम्भ करें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : पिछली बार बजट का दिन होने के कारण इस महत्व-पूर्ण संकल्प की ओर किसी का ध्यान नहीं था।

(श्री इसहाक साम्भली पीठासीन हुए)

(Shri Ishaque Sambhale in the Chair)

यदि जनमत पूर्णत: सजग और सचेत नहीं होगा, तो इस खतरनाक प्रवृत्ति की ओर हम इतना आगे बढ़ जायेंगे कि फिर पीछे नहीं लौटा जा सकेगा। 1969 से ऐसे कार्य किये जाते रहे हैं जिनसे अधिक से अधिक शक्ति हथिया ली जाये। इस शक्ति का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए या देश के आर्थिक विकास के लिए नहीं किया गया है। परन्तु इस शक्ति का प्रयोग शिखरस्थ नेता की सर्वोच्चता को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया है जैसा कि उन अन्य देशों में भी हुआ जहां कि फासिज्म ने जन्म लिया। सभी भावी फासिस्ट पार्टियों के नेताओं ने केवल तत्कालीन व्यवस्था और लोकतन्त्र को नष्ट करने के लिए, और अपना वैयक्तिक शासन जमाने के लिए अधिक से अधिक शक्ति हथियायी। यही हिटलर और मुसोलिनी के साथ हुआ और यही श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ होने वाला है जोकि सत्तारूढ़ दल की नेता हैं और इस दल का स्वरूप भी आज ऐसा ही है।

पहले उन्होंने यह सोचा कि उनका दल उनके इस रास्ते में बाधा डाल रहा है, इसलिए दल का 1969 में बंटवारा हो गया। तत्पश्चात महान प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाले दल ने यह सोचा कि संसद उसके रास्ते में बाधक है, इसलिए 1970 में संसद का विघटन किया गया। 1971 में इस दल ने जनता का समर्थन मांगा जो इसने हर उपाय करके प्राप्त कर लिया। अब इस दल के अध्यक्ष श्री बरुआ

का कहना है कि वह आगामी चुनावों के दौरान समाजवाद के लिए जनता का समर्थन मांगेंगे । आप कब तक जनता को इस तरह मूर्ख बनाते रहेंगे । वर्तमान नेतृत्व में यह दल कुछ न कुछ नारे उठाते रहे हैं । बंगला देश उनकी सफलता नहीं है । अब पुनः वह पाकिस्तान से खतरे का नारा दे रहे हैं जबकि हमारे देश की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या से बहुत अधिक है । यदि कोई ऐसा युद्ध हुआ तो वह वर्तमान नेतृत्व में उतनी सफलता के साथ नहीं लड़ा जा सकता जितना कि पिछली बार लड़ा गया था क्योंकि इस दल ने विजय का उपभोग अपने लिये किया था ।

तत्पश्चात् इस दल ने मूल अधिकारों को बाधक समझा, इसलिए इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने में भी हिचकिचाहट नहीं की । धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकसमुदायों के कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि इन अधिकारों का हनन करने वाले विपक्षी दल हैं । (अन्तर्बाधाएं) ।

जनवरी, 1973 में इस दल ने सोचा कि न्यायपालिका बाधक है, इसलिए उसे भी दबाया गया । तत्पश्चात् नौकरशाही को बाधक समझा गया, इसलिए उसे सत्तारूढ़ दल के प्रति वचनबद्ध होने के लिए कहा गया । यह दल देश का शासन केवल आपातकालीन तथा असाधारण शक्तियों के द्वारा ही चला सकता है जो कि एक प्रकार से फासिज्म ही है ।

अनेक माननीय नेताओं को बिहार में जाने की अनुमति नहीं है । क्या हम इस पद्धति पर गौरव का अनुभव करें ? क्या हमें देश के किसी भी भाग में जाने आने की स्वतन्त्रता नहीं है ? देश में ग्राम कानून लागू नहीं किया जा रहा है और आपातकालीन स्थिति अभी भी बनी हुई है ? यद्यपि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई युद्ध नहीं हो रहा है । प्रधान मन्त्री ने भी कहा है कि अब देश में युद्ध के कारण आपातकालीन स्थिति लागू नहीं है बल्कि आर्थिक संकट के कारण अभी जारी है । अगर देश में आर्थिक संकट है तो आपातकालीन स्थिति को अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत जारी नहीं रखा जा सकता । संविधान के अन्तर्गत "आर्थिक आपात स्थिति" जैसा कोई विधान नहीं है । वित्तीय आपात स्थिति है किन्तु उसके लिये अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत उद्घोषणा करनी होगी । आपातकालीन स्थिति को जारी रख कर हम पाकिस्तान से स्वयं को श्रेष्ठ नहीं ठहरा सकते । सारे उप-महाद्वीप में आपातकालीन स्थिति लागू है क्या हमने ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये संघर्ष किया है क्या ऐसी ही लोकतन्त्र पद्धति की हमने कामना की थी ।

राजनीतिक विरोधियों को मीसा के अन्तर्गत तथा अन्य कारणों से जेलों में डाल दिया गया है । इसके लिए क्या स्पष्टीकरण दिया गया है ? इस सदन में यह आश्वासन दिया गया है कि मीसा के अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और न ही किसी राजनैतिक आन्दोलन को दबाया जायेगा किन्तु आज देश में यही हो रहा है । जो भी नियन्त्रण सत्ताधारी दल पर संविधान में थे उन्हें सत्ताधारी दल समाप्त कर रहा है । किसी भी लोकतन्त्र को स्वस्थ आधार पर चलाने के लिए नियन्त्रण बड़े आवश्यक होते हैं । इंग्लैंड में कोई भी सदस्य प्रधान मन्त्री को कह सकता है कि उसका मन्त्री विशेष भ्रष्ट है तो उसके लिए प्रधान मन्त्री अपने बहुमत का प्रयोग करके यह निर्णय नहीं करेगा कि वह मन्त्री विशेष भ्रष्ट है अथवा नहीं । आरोप में यदि कोई सच्चाई उसे प्रतीत होगी तो वह उसी प्रकार का निर्णय लेगा । किन्तु यहां तो हत्या के मामले पर निर्णय बहुमत से किया जाता है । संसदीय नियन्त्रण भी प्रायः शून्य हो चुके हैं । विधान सभाओं

के सत्र पांच दिन के बाद समाप्त कर दिये जाते हैं। हरियाणा विधान सभा तो मजाक बन कर रह गई है। एक माननीय सदस्य को आधे घंटे की कार्यवाही में सभा की सदस्यता से वंचित करके, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। बताईये इस तरह की संसद कसे कोई नियन्त्रण प्रशासन पर रख सकती है ?

मजेदार बात यह है कि यह तानाशाही प्रवृत्तियों का विकास समाजवाद की भाषा बोलकर कर रहे हैं। अधिकाधिक जनता गरीबी से भी निम्न स्तर पर जीवन बसर कर रही है। क्या इसके लिये देश में किसी को भी उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता है ? क्या उससे परिणाम बुरे नहीं होंगे ? इन लोगों का यह दावा है कि हम समाजवाद लाने के लिये प्रगति कर रहे हैं। नाम समाजवाद का लिया जा रहा है किन्तु पूंजीपतियों के हितो की रक्षा की जा रही है बड़े व्यापारियों के साथ पूरा-पूरा गठबंधन है। परिणाम यह है कि गरीबी बढ़ रही है। क्या इससे भयानक परिणाम नहीं निकल सकते ?

कीमतों में 27 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है आर्थिक असमानता 40 प्रतिशत के दर से बढ़ रही है। बड़े बड़े व्यापारियों की आस्तियों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बड़े बड़े व्यापारियों को कुछ मिल हीं नहीं रहा उनके खजाने काले धन से भरपुर हो रहेहैं। इस धन का प्रयोग बड़ी उदारत से अपने हित साधन के लिए सत्ताधारी दल कर रहा है ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में भी परिवर्तन कर दिया गया है और हम निर्मुक्त बाजार अर्थ व्यवस्था की स्थिति का अनुमान लगा रहे हैं। लाइसस देने के मामलें के क्षमता-सीमा भी समाप्त कर दी गई है।

तानाशाही प्रवृत्तियों के विकास के विरुद्ध निर्मुक्त प्रैस ही महत्वपूर्ण गारंटी है। लेकिन अब प्रैस की स्वतन्त्रता पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वह चुप रहे। प्रैस परिषद् की निन्दा की भी उपेक्षा की जा रही है जैसा कि उनका कोई महत्व ही नहीं है। हमने देखा है कि बिहार, पंजाब और हरियाणा में सत्ताधारी दल की सरकारों ने किस प्रकार सर्चलाइट, प्रदीप और ट्रीब्यून जैसे समाचार पत्रों का दमन किया है क्योंकि उन्होंने निर्मुक्त और निष्पक्ष होकर अपने विचार व्यक्त किये थे।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है यह समाजवादी प्रगति के लिए अत्यन्त सशक्त साधन है जो लोकतन्त्र को अर्थ दे सकता है शीतनिद्रा के समान शीतल है। अब प्रधान मन्त्री हिटलर जैसे वित्तीय जादूगर की तलाश में है ताकि वह इसके द्वारा देश में परिवर्तन ला सके। आबादी बढ़ रही है। तथा कृषि उत्पाद बढ़ती हुई आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। बेरोजगारी भी बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है अतः इस देश में भी वही आतंकवादी तरीके अपनाये जा रहे हैं जो फासिस्टवाद ने अपनाया है। इसके अतिरिक्त देश में दोहरी अर्थव्यवस्था का विकास हो गया है एक तो आधुनिक उद्योगीकृत क्षेत्र, जिसमें उत्पादन की दर बहुत है तथा जहां अधिक वेतन दिया जाता है तथा दूसरा परम्परागत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जहां उत्पादन भी कम है और वेतन भी। केवल राज्य उद्यम से ही समाजवाद की प्रगति नहीं हो सकती।

सरकार द्वारा जो आतंकवादी तरीके अपनाये जा रहे हैं वह हैं पुलिस पर होने वाले व्यय में निरन्तर वृद्धि। 1952 से लेकर आज तक अर्ध-सैनिक दलों की संख्या 8,00,000 तक पहुंच गई है। जो इस देश की सशस्त्र सेना की संख्या के समान है। 1973-74 के लिए लोक लेखा समिति

के प्रतिवेदन के अनुसार 24 वर्षों में पुलिस पर होने वाले व्यय में 52 गुणा वृद्धि हुई है जो 1950-51 में 3 रोड़ रुपये से बढ़ कर 1974-75 में 156 करोड़ रुपये हो गया है और राज्य सरकार ने 1973-74 में 300 करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय किये हैं। इस देश में अनेक लोग विशेषकर राजनैतिक विरोधी जेलों में सड़ रहे हैं और अब इस देश का राजतन्त्र अपनी अकुशलता, बहुसंख्यावाद और सत्ताधारी दल के भ्रष्टाचार के कारण खतरनाक रवैया अपनाता जा रहा है। सत्ताधारी दल की बहु-संख्यावाद को धन्यवाद कि हम राजनीतिक अराजकता में रह रहे हैं जिसमें कि औचित्य की अपील अत्यधिक मुनाफे वाला राजनीतिक साधन बन गया है। ऐसी परिस्थिति में ही अन्य देशों में फासिस्टवाद उभर कर शक्ति में आया था और दिवारों पर ऐसे खतरनाक और गम्भीर लेख लिखे जाते थे। यदि जनमत पूर्णतः सतर्क और सावधान नहीं हुआ तो इस देश में भी उसी प्रकार का फासिस्टवाद और वैसी ही शासन व्यवस्था का विकास हो जायेगा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा पेश किये गये संकल्प में संशोधन पेश करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं उक्त संकल्प सम्बन्धी दो संशोधन पेश करता हूं।

श्री मती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

(i) for "the Government is" substitute "certain communal, reactionary and anti-democratic elements are"

(सरकार देश में फासिस्टवाद के बढ़ने की परिस्थितियां पैदा कर रही है)

के स्थान पर

[कतिपय साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी तथा लोकतंत्र विरोधी तत्व देश में फासिस्टवाद के बढ़ने की परिस्थितियां पैदा कर रहे है) **प्रतिस्थापित किया जाये**]।

(ii) for "resolves that a Parliamentary Committee be constituted to make recommendations to counteract this dangerous trend" substitute "recommends to the Government to effectively check such activities of those reactionary and communal forces and individuals in order to save our independence and democratic values which are being threatened by the said forces".

[("संकल्प करती है कि इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने की सिफारिश करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाये) **के स्थान पर** ("सरकार से सिफारिश करती है कि उन प्रतिक्रियावादी तथा साम्प्रदायिक शक्तियों तथा व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका जाये, ताकि हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्री मूल्यों को उक्त शक्तियों द्वारा पैदा किये जा रहे खतरे से बचाया जा सके।)" **प्रतिस्थापित किया जाये**] (3)।

श्रीमती सावित्री श्याम (आंवला) : मैं उक्त संकल्प में संशोधन संख्या 4 पेश करती हूं।

Shri Vasant Sathe (Akola): We have been hearing Mr. Mishra for 45 minutes, but he has not made it clear as to how the leadership of the country is moving towards fascism.

आज देश में एक आन्दोलन चलाया जा रहा है। सभी विरोधी तत्व एक ही नेता को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी से वह आशा करते हैं कि वह देश में समग्र क्रान्ति ला सकता है। इसी प्रकार की आशा हिटलर ने जर्मन के लोगों में बंधाई थी। वह भी सम्पूर्ण क्रान्ति की बात करता था। क्या इसी प्रकार की क्रान्ति वह लाना चाहते हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जा रहा है। उनके लोकनायकत्व की भी कुछ दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। विनोबा जी ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। विरोधी पक्ष ने जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया है वह उनके फासिस्टवादी प्रकृति की द्योतक है। संकल्प के प्रस्तावक महोदय ने यह भी कह दिया कि जो समाजवाद की बातें करते हैं वे फासिस्ट हैं। वर्तमान प्रशासन के अधीन पूंजीवादी बढ़ते जा रहे हैं, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शासन के नेता फासिस्ट नहीं हैं अन्यथा व इन तथाकथित शोषकों को कैसे बढ़ने देते? हमारे यहां सच्चा लोकतंत्र है इसीलिए स्वतंत्र और मुक्त उद्योग चल रहे हैं। क्या 'फासिस्ट राज' में इस प्रकार उद्योग चल सकते हैं? लोग बिना सोच समझे यह कह देते हैं कि देश में तानाशाही भी फासिस्टवाद आ रहा है। यह गलत धारणा है। श्री जयप्रकाश नारायण अपने हर भाषण में इस बात को दुहराते हैं। यह सरासर झूठ है।

श्री मिश्र जी कहते हैं कि सत्ताधारी दल ने सारे हथकण्डे अपना कर बहुमत प्राप्त किया है! किन्तु अभी हाल ही में जबलपुर में विरोधी पक्ष का उम्मीदवार भारी बहुमत से विजयी हुआ। क्या उन्होंने इसमें गलत तरीके अपनाए? यह लोकतंत्र की पहली परीक्षा है।

यह भी कहा जा रहा है कि विरोधी पक्ष को शान्तिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। पर अभी 6 मार्च को ही बड़ा भारी जलूस निकाला गया था। इससे स्पष्टतः इस बात का पता चलता है कि वर्तमान शासन में शान्तिपूर्ण विरोध करने का अधिकार विद्यमान है आप इस प्रकार के शासन को तानाशाह या फासिस्ट कह रहे हैं। क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? क्या फासिस्टवादी शासन में इस प्रकार विरोध प्रकट करने दिया जाता है? क्या आप विश्व में फासिस्ट शासन वाला कोई भी एक देश बता सकते हैं जहां विरोधी पक्ष को एक लाख लोगों का विशाल मोर्चा निकालने की अनुमति हो? श्री मिश्र की दलीलों में कोई जान नहीं है।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया): श्रीमन् 1951, 1961 और 1971 की जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमिहीन लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। सरकारी प्रकाशन 'न्यू हाराइजन इन एग्रीकल्चर' में कहा गया है कि 10 प्रतिशत परिवारों का 60 प्रतिशत भूमि पर अधिकार है। सरकारी रिपोर्ट इस निष्कर्ष की पुष्टि करती हैं कि भूमिहीन कृषि श्रमिक को एक वर्ष में अधिक से अधिक 150–160 दिन काम मिलता है। मूल्य बढ़ रहे हैं और वे वर्ष में 200 दिन बेरोजगार रहते हैं। स्पष्ट है कि वे भूख से मरते हैं। फिर भी प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री आदि सभी कहते हैं कि भूख से कोई भी मृत्यु नहीं हो रही है। त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल तथा देश के अन्य भागों में गरीबी,

बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई के कारण हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। प्रधान मंत्री को इसकी पूरी जानकारी है और वे जानती हैं कि इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। वे लोगों को दबाने के लिये प्रतिरक्षा, पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल पर अधिक व्यय कर रही हैं। मैं पश्चिमी बंगाल के बारे में निश्चित रूप से जानता हूं कि पुलिस कानून और व्यवस्था बनाये रखने की अपेक्षा गुंडों को शरण दे रही है। बर्दवान में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के वकील की हत्या कर दी गई और हत्यारे ने थाने में शरण ले ली। विदेशी खतरे के कारण आपात की स्थिति नहीं है बल्कि यह तो न्यायालय में अपील करने के जनता के मूलभूत और सांवैधानिक अधिकार छीनने के लिए है। क्या यही लोकतंत्र है कि रेलवे कर्मचारियों के परिवारों को क्वार्टर से निकालकर बाहर कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय, पुलिस और प्रशासन सब सत्तारुढ़ दल के हित के लिये हैं। निर्वाचन आयुक्त तक को सत्तारुढ़ दल के हित के लिये और निर्देश के अनुसार काम करना पड़ता है। इस देश में लोकतंत्र के आधार को समाप्त कर दिया गया है और उसकी कमर तोड़ दी गई है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम पास करते समय कहा गया था कि यह राजनैतिक विरोधियों के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा। परन्तु स्थिति यह है कि शासक दल जिसे चाहे, प्रोफेसर हो, विद्यार्थी हो या राजनीतिक कार्यकर्ता, उसे गिरफ्तार कर लेती है और तस्कर नहीं पकड़े जाते हैं। पश्चिमी बंगाल में गत तीन वर्षों में 1,000 हत्यायें हुई हैं अर्थात् प्रति दिन तीन। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। गीता चटर्जी नामक महिला ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया है कि उनके पति को हत्या कर दी गई और चार कांग्रेसी नेताओं ने उनके साथ बलात्कार किया। पश्चिमी बंगाल में गुंडों ने निर्वाचित ट्रेड यूनियनों के तीन सौ कार्यालयों पर हमला किया। अभी हाल में श्री त्रिदिब चौधरी को दमदम के निकट कांग्रेसी गुंडों ने सभा नहीं करने दी यद्यपि दफा 144 नहीं लगाई हुई थी। यदि मेरा कथन असत्य हो, तो मैं सदस्यता से त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हूं।

6 मार्च को पश्चिमी बंगाल में सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधिपति तारकुंडे की अध्यक्षता में एक नागरिक सम्मेलन हुआ था जिस में विश्वविद्यालय के सिंडीकेट के सदस्यों ने भी भाग लिया था। इसमें संवैधानिक अधिकारों की मांग की गई थी। कुछ दिन बाद कांग्रेस छात्र परिषद् ने सिंडीकेट के कलकत्ता के तीन सदस्यों को सिंडीकेट से निकालने की मांग की। क्या यही लोकतन्त्र है। कांग्रेस शासन बड़े भूमिधारियों का पोषक है। एकाधिकारियों ने और अधिक लाभ कमाया है। जब वे लोगों को धोखा नहीं दे पाते हैं तो दमन चक्र चलाते हैं। सत्तारूढ़ दल के अन्दर भी लोकतन्त्र नहीं है। श्री मोहन धारियां इस के प्रमाण हैं। जो श्रीमती इन्दिरा गांधी सोचे और समझे वही लोकतन्त्र है। इस से फासिज्म का विकास होता है।

संकल्प में संसदीय जांच की मांग की गई है। यदि वे ईमानदार हैं तो उन्हें इस के लिये तैयार हो जाना चाहिये। श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने "दी पीपुल हू टायल" नामक कविता में कहा है कि अन्त में जीत जनता की होती है, अत्याचारी की नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि जनता का संघर्ष तेज होगा और उसे सत्तारूढ़ दल कुचल नहीं सकेगा, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : श्री मिश्र ने कहा कि यहां लोकतन्त्र नहीं है। 1971 में सामान्य निर्वाचन हुए जिस में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और विरोधी पक्ष को पराजय का मुंह देखना पड़ा। लोकतन्त्र का मूल सिद्धान्त यही है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन हो। 1972 में हमने न केवल अपने देश में लोकतन्त्र को सुदृढ किया बल्कि बंगला देश को भी लोकतंत्रीय देशों की सूची में शामिल किया। चौबीसवें और पच्चीसवें संविधान संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई परन्तु सर्वोच्च

[श्री बी० आर० शुक्ल]

न्यायालय ने उन्हें वैध करार दिया। इसी तरह मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के विरुद्ध याचिका भी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गई। क्या इसे तानाशाही कहा जा सकता है? जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कुछ विधायकों के विरुद्ध चुनाव याचिकायें स्वीकार कीं तो क्या यह फासिज्म की ओर कदम था? बिल्कुल नहीं।

बिहार और गुजरात में विधिवत् निर्वाचित सदस्य थे। सभा में निर्णय करने के स्थान पर सड़क पर फैसले करने का रास्ता अपनाया गया। लोगों को गंजा कर के गधों पर बैठा कर सड़कों पर घुमाया गया। आज एक सम्मानित और लम्बी राष्ट्र सेवा वाले एक नेता दलहीन व्यवस्था की बात करते हैं। हमारा अनुभव है कि दलीय व्यवस्था की लोकतन्त्र की सफलता और उसे बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने विद्यार्थियों से कालेज न जाने और परीक्षाओं में न बैठने के लिये कहा। उन से मंत्रियों और विधायकों के घरों पर धरना देने और उन्हें डराने धमकाने के लिये कहा जाता है ताकि वे त्याग-पत्र दे दें। गुजरात में यह नाटक सफल हो चुका है। यदि लोकतन्त्र को समाप्त होने से रोकना न तो सरकार को ऐसे प्रयासों के विफल करने के लिये कार्यवाही करनी होगी। हम लोकतन्त्र का सम्मान करते हैं इसीलिये श्री जय प्रकाश नारायण जब यहां आये तो उन्हें पूर्ण सम्मान दिया गया और उनके लिए प्रधान मंत्री के बराबर सुरक्षित मंच बनाया गया।

सत्तारूढ़ दल देश में फासिस्टवादी प्रवृत्तियों के विकास के लिये जिम्मेदार नहीं है। इस के लिये तो भारतीय साम्यवादी दल को छोड़कर अन्य सभी विरोधी दल जिम्मेदार हैं। हमें विरोधी दलों की चालों को विफल बनाने के लिये सावधान रहना चाहिये। जब इस देश का इतिहास लिखा जायेगा तब उस में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि विरोधी दल बेकार की बातों में अपना समय नष्ट करते रहे और राष्ट्र निर्माण के लिये कोई भी कार्य नहीं करते रहे।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : महोदय, मैं प्रस्तावक श्री मिश्र को यह प्रस्ताव पेश करने के लिये बधाई देता हूं। आजादी के बाद हमारे देश में एकाधिकार पुंजी बढ़ती गई है। एकाधिकार कम्पनियों और गृहों ने अपनी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ बना कर प्रचार के साधन हमारे देश के प्रेस के नियंत्रण को हथिया लिया है। इन्होंने हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन के कतिपय क्षेत्रों को भ्रष्ट बना दिया है।

हमारे देश में पूंजीवादी लोकतन्त्र का प्रचलन रहा है। इस देश में परिश्रम न करने वालों के पास तो धन रहा है लेकिन परिश्रम करने वालों के पास धन नहीं रहा है। अब स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत के एकाधिकारियों ने यह निर्णय कर लिया है कि उन्हें लोकतन्त्र को समाप्त करना होगा, क्योंकि 1971 के चुनावों में श्री नवल टाटा, जो एक बड़े एकाधिकार गृह से सम्बन्धित थे, पराजित हो गये और उनकी जमानत जब्त हो गयी थी। इसी तरह श्री के० के० बिड़ला भी पराजित हुए। वे इस तरह के राजनीतिक लोकतन्त्र का अस्तित्व सहन नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि सभी एकाधिकार प्राप्त प्रेस गुंडागर्दी, हिंसा तथा लोकतन्त्र को नष्ट करने की बातें कर रहे हैं और विधान सभा भंग करने तथा बल प्रयोग का खुला समर्थन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो वास्तविकता सामने आयी है वह यह है कि भारत के पूंजीवादी एकाधिकारियों तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों के सहयोग से लोकतन्त्र को समाप्त कर पूंजीवाद कायम करने के लिये एक हो रहे हैं। हम एक ऐसे चौराहे पर पहुंच चुके हैं जहां या तो भारतीय जनता और भारतीय लोकतन्त्र पूंजीवादी मार्ग छोड़ दें और गैर-पूंजीवादी मार्ग का सहारा लें अथवा पूंजीवादी लोकतन्त्र को समाप्त कर के फासिस्टवाद का सहारा लेंगे। यह खतरा समूचे देश के सामने है और इस संसद् को स्थिति का आकलन कर के कार्यवाही करने के लिये निर्णय करना है।

ऐसी स्थिति में मैं श्री मिश्र से सहमत हूं। निराश बेरोजगार युवक को कोई भी गुमराह कर सकता है। यही कारण है कि आज की परिस्थितियों में हम दलहीन लोकतन्त्र का आह्वान कर रहे हैं, जबकि फासिस्टवाद आने के बाद दल समाप्त होते हैं किन्तु यहां फासिस्टवाद दलों के समाप्त होने के बाद आता है और हम तो विधान सभाओं के भंग करने का आह्वान भी सुन रहे हैं।

हम यह सुनते आ रहे हैं कि "विधायकों को थप्पड़ मारो, संसद् सदस्यों को थप्पड़ मारो" यह आह्वान खुले आम श्री जयप्रकाश नारायण ने दिया था—इन्हें घसीटो तथा त्यागपत्र देने के लिये बाध्य करो। इन के परिवारों को न छेड़ो। एकाधिकार प्रेस इस तरह के आह्वानों का प्रचार खुले आम कर रहे हैं। लोक तन्त्र विरोधी इस आन्दोलन का मुख्य संगठनात्मक आधार क्या है? श्री जयप्रकाश नारायण ने अभी हाल में जनसंघ के एक सम्मेलन में कहा है—"यदि जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फासिस्ट हैं तो मैं भी फासिस्ट हूं।"

हमें अपने देश में लोकतन्त्र और लोकतन्त्रीय ताकतों को मजबूत करना चाहिये। एकाधिकारियों, बड़े जमींदारों, चोर बाजारी करने वालों तथा जमाखोरी करने वालों को हटा दिया जाना चाहिये। जब तक पूंजीवाद को नहीं त्यागा जायेगा तब तक लोकतन्त्र सुरक्षित नहीं है। यह सभा इन बातों को ध्यान में रख कर इस समस्या पर विचार करे।

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk): It can be estimated by this resolution how fascist forces are working. Fascist forces have been carrying on a movement in our country to kill democracy. This movement has come at a time when people would not tolerate it and would fight for the protection of their rights. These forces want to create such an atmosphere in the country as would make the people think that parliamentary democracy cannot function in this country and thus there is no need of it and it should be put an end to. But the people can no longer tolerate it. The people are aware of the designs of these forces. The people are now aware which are the fascist forces and which are not. Shri Jayaprakash Narayan is asking the police and the Defence forces not to obey the orders of their authorities. What more proof is required to judge as to which are the fascist forces and which are not.

These fascist forces humiliate the Members of the Legislatures. Many a times people are browbeaten to give contributions. They indulge in acts of violence. The people of Muzaffarpur were compelled to go on strike on account of victimization by such forces. After all what is fascism? Fascism creates hatred. These forces are creating hatred in the country. Gandhiji and Shri L. N. Mishra were the victims of this atmosphere of hatred.

It is on account of the training given by Gandhiji and Panditji and the peace-loving nature of Shrimati Indira Gandhi that such an atmosphere prevails in the country as permits these people to say that there is not this freedom or that freedom in the country. These people have freedom to set fire to public and private property. They have also the freedom to humiliate M.L.As. and M.Ps. then what sort of freedom do they want. My submission therefore is that if they want to murder democracy in the name of freedom then we will have to beware of them. A ban should be imposed on them and their activities curbed.

In 1948 Shri Jayaprakash Narayan had demanded a ban on R.S.S. which was responsible for the murder of Mahatma Gandhi. He demanded a resignation from Sardar Patel also for not dealing with them with iron hands. Then in 1968 he had said that as long as Jan Sangh has association with R.S.S. it cannot be

[Shrimati Subhadra Joshi]

a democratic party. Now it is same Jayaprakash Narayan who is saying that R.S.S. should not be banned because it is an organisation aiming at social service.

I would also like to draw the attention of the House to a matter of vital importance. After Independence Jayaprakash Narayan did not accept the mission of strengthening democracy in the country but he agreed to become Vice-President of "Congress for cultural Freedom"—a body which is an organisation of C.I.A. Can such a person be considered responsible to lead the people.

The setting up of a military base in the Indian Ocean, attempt to create anarchy in the country and supply of arms to Pakistan by America are all a part of conspiracy. The Government should pay more attention to this factor.

At the end I would like to say that communal reactionary and anti-democratic elements are creating conditions for the growth of fascism in the country. They are also threatening our independence and democratic values. I would request the Government to check effectively such activities and save the country.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): Mr. Chairman, Sir, the resolution which has been moved by Shri Mishra is very important. But I feel that serious thought has not been given to it by my congress friends as it deserved. Shri Mishra has said that power is getting concentrated in a few hands only for the last several years. Therefore we will have to think whether it will strengthen democracy or weaken it. It is essential for the smooth running of democracy that there should be decentralisation of power both politically and economically. But we find that in the regime of congress monopolies are growing and growing. The power has concentrated in the hands of a single individual. What does this indicate? It indicates that there is no responsibility of the Cabinet.

Just as economic prices were getting concentrated so are political forces getting concentrated. It was not the case before. The concentration of authority is going in the hands of a single individual. It is a danger to democracy and it would not benefit the people at all. Every change in democratic set up is imposed from above. This imposition from above is anti-democratic. It is not a good thing in a democracy that everything right from the allocation of an election ticket upto the nomination of a Chief Minister should be decided by a single individual. Therefore there is the necessity of evolving a new system. If that system will be strengthened everybody including persons of fascist attitudes, will work within the framework of that system. Therefore I feel that democratic traditions should be strengthened if fascism has to be contained.

Shrimati Subhadra Joshi had made a mention of R.S.S. In this connection I have to say that there is no bar for anyone in going, sitting, listening and making a speech there. It is an open book and it is working for the last so many years. In spite of the fact that you have been holding power for the last twenty-seven years and it is progressing then it is credit worthy for it.

With these words I support this resolution.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): I welcome this resolution with some amendments and I also support the amendment moved by Smt. Subhadra Joshi.

It is a well known fact that a high price was paid for the achievement of freedom for India. After Independence, we set up a democracy and the people heard a sigh of relief. But now some forces are out to destroy this democracy.

They are rearing their precious and ugly head to deprive the people of the democracy which we have given to ourselves. These forces are working against the people. In the name of launching campaign against price rise, corruption and profiteering, they are attacking the duly elected representatives of the people and they are being obstructed in the discharge of their duties in the Legislative Assemblies. First of all, these forces made Gujarat as their target. Now they are active in Bihar. If these people are not fascists, what are they?

Communal riots have broken out during the movement in Gujarat as a result of which the Muslim population suffered loss in men and money. What was the fault of the poor people? It was only their fault that they did not extend their co-operation to the movement spearheaded by these forces. What was the advantage of this movement? The prices instead of coming down further soared high.

In Bihar, these forces are getting the help of the fascist forces such as R.S.S. and the Jan Sangh. The peace-loving leader is in their pocket now. These forces are indulging in violence. They are not allowing the M.L.As. to attend Legislative Assemblies. Are not these fascist tactics? Even then, they are branding us as fascists. It is very strange.

The mover of the resolution has said that Pakistan, being a small country cannot afford to attack India. But it seems that they have learnt nothing from history. Is it not a fact that a small country like Germany, destroyed whole of Europe and Italy run over the whole of North Africa.

This is a free and democratic country. People have the right to express their own thoughts they can convince the people with their manifestos. The people can also elect them. I request them that they should not adopt fascist methods. We have made innumerable sacrifices to achieve freedom of the country. They should keep this fact in mind.

इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार, 17 मार्च, 1975 / 26 फाल्गुन 1896 (शक) के 11 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 17th March, 1975/Phalguna 26, 1896 (Saka).

GMGIPND—LS III—844 (aii) LS—21-8-75—200.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

18 LSS/75—1.